



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13102026-277126
CG-DL-E-13102026-277126

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 316]
No. 316]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 12, 2026/आश्विन 20, 1948
NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 12, 2026/ASVINA 20, 1948

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अक्तूबर, 2026

अंतिम जांच परिणाम

मामला सं. एडी(एसएसआर) 01/2026

विषय: चीन जन.गण. से 'ऐरीलाइड्स' के रूप में भी ज्ञात एरोमेटिक के एसीटो एसिटाइल व्युत्पन्न या हेटरोसाइटिक मिश्रणों के आयातों के संबंध में निर्णायक समीक्षा जांच में अंतिम जांच परिणाम।

फा. सं. 7/04/2026-डीजीटीआर.—क. प्रस्तावना

समय-समय पर यथासंशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे आगे 'अधिनियम' भी कहा गया है) और उसकी समय समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "पाटनरोधी नियमावली" अथवा "नियमावली" भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए;

1. निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके बाद "प्राधिकारी" कहा गया है) को मेसर्स लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड (जिसे इसके बाद 'आवेदक' या 'घरेलू उद्योग' कहा गया है) से एक आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें चीन जन.गण. (जिसे इसके बाद "संबद्ध देश" कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 'ऐरीलाइड्स' के रूप में भी ज्ञात एरोमेटिक के एसीटो एसिटाइल व्युत्पन्न या हेटरोसाइटिक मिश्रणों (जिन्हें इसके बाद "संबद्ध वस्तु" अथवा "विचाराधीन उत्पाद" अथवा "पीयूसी" भी कहा गया है) के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क को आगे बढ़ाने तथा उसमें वृद्धि के लिए निर्णायक समीक्षा की मांग की गई है।
2. आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर, प्राधिकारी ने संबद्ध जांच शुरू करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 7/04/2026 - डीजीटीआर, दिनांक 19 मार्च, 2026 द्वारा एक सार्वजनिक सूचना जारी की। यह जांच करने के लिए नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क (5) के अनुसार जांच शुरू की गई थी कि क्या इस शुल्क की समाप्ति से घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति के जारी रहने या बार बार होने की संभावना है और क्या पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना जारी रखने की आवश्यकता है।

ख. मामले की पृष्ठभूमि

3. चीन जन.गण. से विचाराधीन उत्पाद के आयात से संबंधित मूल पाटनरोधी जांच प्राधिकारी द्वारा अधिसूचना फा.सं. 6/28/2020-डीजीटीआर दिनांक 21 अगस्त 2020 द्वारा शुरू की गई थी। घरेलू उद्योग द्वारा दायर विधिवत प्रमाणित आवेदन-पत्र के अनुसरण में और विस्तृत जांच के बाद, प्राधिकारी ने यह निष्कर्ष निकाला कि संबद्ध देश से आयातों से घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति पहुंचाई है। तदनुसार, प्राधिकारी ने 19 अगस्त 2021 के अंतिम जांच परिणाम द्वारा पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की। इसके बाद, वित्त मंत्रालय ने अधिसूचना 60/2021-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 14 अक्टूबर 2021 द्वारा संबद्ध सामानों के आयात पर शुल्क लगाया।
4. अधिनियम की धारा 9क (5) के अनुसार, लगाए गए किसी भी पाटनरोधी शुल्क का, जब तक कि पहले रद्द नहीं किया जाता है, उन्हें लगाए जाने की तारीख से पांच साल की

समाप्ति पर प्रभाव समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा, नियमावली के नियम 23(1ख) में निम्नलिखित प्रावधान है:

"अधिनियम के तहत लगाया गया कोई भी निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क, उसे लगाए जाने की तारीख से पांच वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए प्रभावी होगा, जब तक कि निर्दिष्ट प्राधिकारी उस अवधि की समाप्ति से पहले उचित समय के भीतर, अपनी पहल पर या घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से विधिवत प्रमाणित अनुरोध पर, उस अवधि की समाप्ति से पहले शुरू की गई समीक्षा पर इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते हैं कि उक्त पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति जारी रहने या बार-बार होने की संभावना है।"

5. उपरोक्त के अनुसार, प्राधिकारी को घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से किए गए विधिवत प्रमाणित अनुरोध के आधार पर समीक्षा करने की आवश्यकता है कि क्या मौजूदा पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति के जारी रहने या बार-बार होने की संभावना है।
6. वर्तमान समीक्षा के क्षेत्र में अंतिम जांच परिणाम दिनांक 19 अगस्त 2021, और अधिसूचना संख्या 60/2021-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 14 अक्टूबर 2021 के सभी पहलू शामिल हैं।

ग. प्रक्रिया

7. जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया अपनाई गई है:

ग.1 जांच की शुरुआत

- i. जांच शुरू करने से पहले संबद्ध देश की सरकार को भारत में उनके दूतावास के माध्यम से वर्तमान पाटनरोधी आवेदन-पत्र की प्राप्ति के संबंध में अधिसूचित किया गया था।
- ii. आवेदन-पत्र में उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, भारत में संबद्ध देश के दूतावास, संबद्ध देश में विचाराधीन उत्पाद के ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, भारत में संबद्ध सामानों के ज्ञात आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के साथ आवेदन-पत्र में उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार जांच की शुरुआत की अधिसूचना की प्रति साझा करके जांच की शुरुआत के संबंध में सूचित किया गया था।

- iii. नियम 6 के अनुसार, आवेदन-पत्र की जांच करने और पाटन, क्षति, संभावना और कारणात्मक संपर्क के प्रथम दृष्टया साक्ष्य पाए जाने पर, प्राधिकारी ने अधिसूचना सं. 7/04/2026 - डीजीटीआर दिनांक 19 मार्च 2026 जारी की, जो भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित हुई, जिसमें विचाराधीन उत्पाद के संबद्ध देश से आयात के संबंध में निर्णायक समीक्षा पाटनरोधी जांच शुरू की गई।

ग.2 जांच की अवधि और क्षति अवधि

- iv. वर्तमान जांच के उद्देश्य से जांच की अवधि (पीओआई) 1 अक्टूबर 2024 से 30 सितंबर 2025 (12 माह) है। क्षति विश्लेषण के संदर्भ में प्रवृत्तियों की जांच में वर्ष 2022-23, 2023-24, 2024-25 और जांच की अवधि शामिल है।

ग.3 आयात आंकड़े

- v. क्षति की अवधि के लिए संबद्ध सामानों के लेनदेन-वार आयात आंकड़े प्राप्त करने के लिए डीजी सिस्टम से अनुरोध किया गया था। आंकड़े प्राप्त हो गए थे और लेनदेनों की उचित जांच के बाद आवश्यक विश्लेषण के लिए उन पर भरोसा किया गया है।

ग.4 आवेदन-पत्र के अगोपनीय रूपांतर का परिचालन

- vi. नियम 6(3) के अनुसार, आवेदन-पत्र के अगोपनीय रूपांतर की प्रति संबद्ध देश की सरकार को उनके दूतावास के माध्यम से, संबद्ध देश के संबद्ध आयातों के ज्ञात निर्यातकों, आवेदन-पत्र की प्रति के लिए लिखित में अनुरोध करने वाले अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराई गई थी।

ग.5 संबद्ध देश के निर्यातकों द्वारा प्रतिभागिता

- vii. नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार इस जांच के लिए सामान्य मूल्य और निवल निर्यात कीमत के संबंध में सूचना मंगाने के लिए निम्नलिखित उत्पादकों और निर्यातकों को प्रश्नावलियां भेजी गई थी।

क्र.सं.	उत्पादक/निर्यातक
1	केमस्केप्स एपीएस
2	साइकेम कंपनी लिमिटेड

3	हांगझू डिंगहाओ केमिकल कंपनी लिमिटेड
4	हांगझू डिंगशेंग केमिकल कंपनी लिमिटेड
5	हांगझू पैरामाउंट प्रोडक्ट कॉर्पोरेशन
6	नानजिंग स्काईफ्लाई केमिकल कंपनी लिमिटेड
7	नानटोंग एसिटिक एसिड केमिकल कंपनी लिमिटेड
8	नानटोंग ब्रूस्ट इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी लिमिटेड
9	किंगदाओ हैवान ग्रुप कंपनी लिमिटेड
10	किंगदाओ हैवान स्पेशलिटी केमिकल कंपनी लिमिटेड
11	किंगदाओ लेंगके कंपनी लिमिटेड
12	शंघाई पॉइंट्स बायोफार्मास्युटिकल कंपनी लिमिटेड
13	सिनकेम इंटरनेशनल कंपनी लिमिटेड
14	यूनिक केमिकल लिमिटेड
15	वीटा इंटरनेशनल लिमिटेड

viii. संबद्ध देश की सरकार को भारत में उनके दूतावास के माध्यम से निर्यातक प्रश्नावली भी भेजी गई थी। संबद्ध देश की सरकार से अनुरोध किया गया था कि वह संबद्ध देश में संबद्ध सामानों के उत्पादकों/निर्यातकों को जांच शुरुआत अधिसूचना और निर्यातक प्रश्नावली भेजें और उन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दें।

ix. उपरोक्त के उत्तर में, संबद्ध देश के निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने उत्तर दिया है और निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर दायर किया है:

क्र.सं.	उत्पादक/निर्यातक
1	नैनटोंग एसिटिक एसिड केमिकल कंपनी लिमिटेड
2	किंगदाओ हैवान स्पेशलिटी केमिकल कंपनी लिमिटेड

ग.6 आयातकों/प्रयोक्ताओं द्वारा प्रतिभागिता

- x. नियमावली के नियम 6 (4) के अनुसार आवश्यक सूचना मंगाने के लिए भारत में विचाराधीन उत्पाद के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को आयातक प्रश्नावली भेजी गई थी।

क्र.सं.	भारत में आयातकों और प्रयोक्ताओं के नाम
1	अद्वैत डाई केम
2	अनिल ऑर्गेनिक्स
3	एरीज ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
4	आसाही टेनेट्स कलर प्राइवेट लिमिटेड
5	क्रिस्टल ऑर्गेकोम प्राइवेट लिमिटेड
6	हरक्यूलिस पिगमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
7	ह्यूबाक कलरेंट्स इंडिया लिमिटेड
8	ह्यूबरग्रुप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
9	कुशान इम्पेक्स
10	क्वालीकेम प्राइवेट लिमिटेड
11	लब्धि इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
12	मिशिका कंसल्टेंट्स
13	एन एस एक्सपोर्ट्स
14	नीलज्योति केमिकल्स
15	प्रसाद इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
16	राजेश डाई केम
17	सुदर्शन केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड
18	विबफास्ट पिगमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
19	विजय केमिकल इंडस्ट्रीज
20	विपुल ऑर्गेनिक्स लिमिटेड

- xi. उपरोक्त के प्रत्युत्तर में, भारत के किसी भी आयातक/प्रयोक्ता ने उत्तर नहीं दिया है या आयातक/प्रयोक्ता प्रश्नावली का उत्तर दायर नहीं किया है:

ग.7 पंजीकृत हितबद्ध पक्षकार

- xii. निर्धारित समय सीमा के भीतर खुद को पंजीकृत करने वाले सभी हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची वेबसाइट पर अपलोड की गई थी। सभी पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों को निर्देश दिया गया था कि वे सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को वर्तमान कार्यवाही में अपने सभी अनुरोधों का अगोपनीय रूपांतर परिचालित करें।

ग.8 आर्थिक हित प्रश्नावली

- xiii. सभी ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, आयातकों, और घरेलू उद्योग को एक आर्थिक हित प्रश्नावली जारी की गई थी। आर्थिक हित प्रश्नावली प्रशासनिक लाइन मंत्रालय के साथ भी साझा की गई थी। आर्थिक हित प्रश्नावली घरेलू उद्योग, नानटोंग एसिटिक एसिड केमिकल कंपनी लिमिटेड और किंगदाओ हैवान स्पेशलिटी केमिकल कंपनी लिमिटेड द्वारा दायर की गई थी।

ग.9 मौखिक सुनवाई

- xiv. नियम 6(6) के अनुसार प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को 12 जून, 2026 को आयोजित सुनवाई में मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर दिया। मौखिक सुनवाई में अपने विचार देने वाले पक्षकारों को निर्देश दिया गया था कि वे मौखिक रूप से व्यक्त विचारों के लिखित अनुरोध दें, उसके बाद प्रत्युत्तर अनुरोध दें, यदि कोई हों।

ग.10. अन्य प्रक्रिया

- xv. विदेशी उत्पादकों, निर्यातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों, जिन्होंने उत्तर नहीं दिया है या इस जांच से संगत सूचना नहीं दी है, को असहयोगी हितबद्ध पक्षकार माना गया है।
- xvi. विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर किए गए अनुरोधों का अगोपनीय रूपांतर सभी भाग लेने वाले हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराया गया था। सभी हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची डीजीटीआर वेबसाइट पर अपलोड की गई थी और सभी से अनुरोध किया गया था कि वे सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोधों का अगोपनीय रूपांतर ईमेल करें।

- xvii. नियम 6(8) के अनुसार, जहां भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान कार्यवाही के दौरान समय पर पहुंच से इनकार कर दिया है या अन्यथा आवश्यक सूचना प्रदान नहीं की है, या जांच में अत्यधिक बाधा डाली है, ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना गया है, और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम दर्ज किए गए हैं।
- xviii. नियम 7 के अनुसार, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई सूचना की जांच ऐसी गोपनीयता के दावों की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी। संतुष्ट होने पर, जहां भी आवश्यक था, गोपनीयता के दावों को स्वीकार कर लिया गया है, और ऐसी सूचना को गोपनीय माना गया है और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया गया है। जहां भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर दायर की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर प्रदान करने का निर्देश दिया गया था।
- xix. जांच शुरुआत अधिसूचना के साथ एक आर्थिक हित प्रश्नावली भी रसायन और उर्वरक मंत्रालय के साथ दिनांक 20 मार्च, 2026 के ईमेल के माध्यम से साझा की गई थी। हालांकि, वर्तमान मामले में लाइन मंत्रालय द्वारा कोई प्रतिक्रिया/टिप्पणियां दर्ज नहीं की गई हैं।
- xx. नियम 8 के अनुसार, घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों का सत्यापन वर्तमान कार्यवाही के लिए आवश्यक मानी गई सीमा तक किया गया था। प्राधिकारी ने वर्तमान मामले में अपने विश्लेषण में हितबद्ध पक्षकारों के सत्यापित आंकड़ों पर विचार किया है।
- xxi. क्षतिरहित कीमत की गणना घरेलू उद्योग द्वारा दी गई सूचना के आधार पर भारत में घरेलू समान वस्तु की इष्टतम उत्पादन लागत और उत्पादन तथा बिक्री लागत के आधार पर और सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) को ध्यान में रखते हुए और नियमावली के अनुबंध-III में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार की गई है।
- xxii. सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए सभी तर्कों और प्रदान की गई सूचना को उस सीमा तक माना गया है जहां तक इसे साक्ष्य के साथ समर्थित किया गया है और वर्तमान जांच के लिए संगत माना गया है।

xxiii. इन अंतिम जांच परिणामों में ‘***’ किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना और नियमावली के तहत मानी गई सूचना दर्शाते हैं।

xxiv. संबद्ध जांच के लिए अपनाई गई विनिमय दर 1 अमेरिकी डॉलर = 86.76 रु. है, जो जांच की अवधि के दौरान लागू आयातित सामानों के मूल्य के परिवर्तन के लिए सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 14 के तहत केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा अधिसूचित विनिमय दरों का औसत है। इन्हीं अंतिम जांच परिणाम में समान दर लागू की गई है।

(स्रोत: <https://foservices.icagate.gov.in/#/services/viewExchangeRate>)

ग.11 प्रकटन विवरण और प्रकटन-पश्चात टिप्पणियां

xxv. नियमावली के नियम 16 के अनुसार, प्राधिकारी ने 1 अक्टूबर 2026 को सभी हितबद्ध पक्षकारों को विचाराधीन आवश्यक तथ्यों वाले प्रकटन विवरण जारी किए, और हितबद्ध पक्षकारों को अपनी टिप्पणियां दायर करने के लिए 7 अक्टूबर 2026 तक का समय दिया गया। घरेलू उद्योग, नैनटोंग एसिटिक एसिड केमिकल कंपनी लिमिटेड और किंगदाओ हैवान स्पेशलिटी केमिकल्स कं, लिमिटेड से प्रकटन विवरण के बाद टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं। प्राधिकारी ने इन अंतिम जांच परिणामों में संगत मानी गई सीमा तक प्रकटन पश्चात टिप्पणियों की जांच की है। कोई भी अनुरोध जो केवल पूर्व अनुरोध की पुनरावृत्ति है और जिसकी पहले ही पर्याप्त रूप से जांच की जा चुकी है, उसे संक्षिप्तता के लिए दोहराया नहीं गया है।

घ. विचाराधीन उत्पाद

घ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

8. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किए हैं।

घ.2 घरेलू उद्योग के अनुरोध

9. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- i. चूंकि वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है, इसलिए विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र मूल जांच के समान ही है।
- ii. घरेलू उद्योग विचाराधीन उत्पाद की समान वस्तु का उत्पादन कर रहा है।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

10. वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है और विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र मूल जांच में परिभाषित के समान ही बना हुआ है। मूल जांच में परिभाषित और जांच शुरुआत के चरण में विचाराधीन उत्पाद को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है -

“8. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद “एरोमैटिक के एसिटो एसिटाइल व्युत्पन्न या हेटरोसायक्लिक मिश्रण” या “एरीलाइड्स” है। निम्नलिखित प्रकार के एराइलाइड वर्तमान जांच के क्षेत्र में शामिल हैं जबकि अन्य सभी रूपों को बाहर रखा गया है: क. एसिटोएसिटानिलाइड या एएए; ख. एसिटोएसिट मेटा-ज़ाइलिडाइड या एएएमएक्स; ग. एसिटोएसिटो-ओ-एनिसाइड या एएओए; घ. एसिटोएसिट-ओ-टोलुइडाइड या एएओटी; ड. एसिटोएसिटोक्लोरोएनीलाइड या एएओसीए।”

“9. सुगंधित या हेट्रोसाइक्लिक यौगिकों के विभिन्न प्रकार के एसिटो एसिटाइल व्युत्पन्न हो सकते हैं जो विश्व स्तर पर उत्पादित और बेचे जाते हैं। भारत में उत्पादित अन्य ज्ञात डेरिवेटिव निम्नलिखित हैं, हालांकि, ये विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से परे हैं क्योंकि ये विशिष्ट कस्टम उत्पाद हैं, जो ग्राहकों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार कम मात्रा में उत्पादित किए जाते हैं और ऐसे एराइलाइड्स का कोई ज्ञात आयात नहीं है:

- (i) एएपी ए - एसिटोएसिट-पी-एनिसाइड
- (ii) एएपीसीए - एसिटोएसिट-पी-क्लोरोएनिलामाइड
- (iii) एनए सीएसए - एसिटोएसिट-पी-क्रेसिडाइन-ओ-सल्फोनिक एसिड
- (iv) एएपीसीओए - एसिटोएसिट-पी-क्लोरो-ओ-एनिसाइड
- (v) सीएल-डीईपी - एन, एन ' - (2-क्लोरो-1 , 4-फेनाईलीन) बीआईएस (3-ऑक्सोबुटानियमाइड)
- (vi) एएएसपीपी - पॉट 4 एसिटोएसिटाइलमिनोबेन्ज़सल्फोनेट
- (vii) एएपीटी-एसिटो एसिट पी-टोलुइडाइड

निम्नलिखित सुगंधित या हेट्रोसाइक्लिक यौगिकों के अन्य ज्ञात एसिटो एसिटाइल डेरिवेटिव हैं, जिनका कम मात्रा में आयात किया जा रहा है, लेकिन विचाराधीन

उत्पाद के दायरे में शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि ये भी कस्टम-निर्मित उत्पाद प्रकार हैं और घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित नहीं किए जा रहे हैं।

i. 2', 5' - डाईमेथेक्सी-4' -क्लोरो-एसीटोएसिटानिलाइड, नैफ्थोल एसआईआरजी और

ii. 5-एसीटोएसिटाइल एमिनोबेन्ज़िमोडोलोन, 5-एबीआई"

11. उत्पाद क्षेत्र में शामिल उत्पाद प्रकारों के आधार पर निम्नलिखित पीसीएन बनाया गया है:।

- i. एसीटोएसिटानिलाइड या एएए;
- ii. एसीटोएसिट-मेटा-ज़ाइलिडाइड या एएएमएक्स;
- iii. एसीटोएसिटो-ओ-एनिसाइड या एएओए;
- iv. एसीटोएसिटो-ओ-टोलुडाइड या एएओटी;
- v. एसीटोएसिटोक्लोरोएनीलाइड या एएओसीए।

12. किसी भी आयातक, निर्यातक और अन्य हितबद्ध पक्षकार ने विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के क्षेत्र के संबंध में कोई तर्क नहीं दिया है। इस प्रकार, प्राधिकारी का विचार है कि वर्तमान समीक्षा जांच में विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र वही रहता है जो मूल जांच में है और जांच की शुरुआत के स्तर पर माना गया है।

13. ऐरोमैटिक या हेटेरोसायक्लिक यौगिकों या एरीलिड्स के एसिटो एसिटाइल डेरिवेटिव के उत्पादन में प्रयुक्त प्रमुख कच्चा माल ग्लेशियल एसिटिक एसिड है। ग्लेशियल एसिटिक एसिड का उपयोग डिकेटेन (मध्यवर्ती) का उत्पादन करने के लिए किया जाता है, जिसका उपयोग विभिन्न सुगंधित यौगिकों का उपयोग करके विभिन्न एराइलाइड्स का उत्पादन करने के लिए किया जाता है। विनिर्माण प्रक्रिया में ऐरोमैटिक ऐमीन्स के डाइकीटीन के साथ ऐजो युग्मन शामिल है। विचाराधीन उत्पाद मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार के पीले रंग के रंग बनाने के लिए मध्यवर्ती के रूप में उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग नारंगी, लाल रंग और कृषि रसायन क्षेत्र में भी किया जाता है।

14. विचाराधीन उत्पाद उप शीर्ष 292429 के तहत सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के अध्याय 29 के तहत वर्गीकृत है। यह देखा जाता है कि जांच की अवधि के दौरान अन्य कोडों, अर्थात् 2924 29 20, 2924 29 90 और 2924 29 30 के तहत संबद्ध सामानों

का आयात किया गया है। यह भी नोट किया जाता है कि सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और किसी भी तरह से संबद्ध जांच के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

- 15 विचाराधीन उत्पाद के लिए माप की निर्धारित इकाई मीट्रिक टन (एमटी) है, और इस जांच के लिए इसे अपनाया गया है।
16. विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के संबंध में किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा टिप्पणियों के अभाव में, प्राधिकारी उस क्षेत्र की पुष्टि करते हैं जो मूल जांच में परिभाषित किया गया है, जिसे नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है।

वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद "ऐरोमैटिक के एसिटो एसिटोइल व्युत्पन्न या हेटेरोसायक्लिक मिश्रण" या "एरीलाइड्स" हैं। निम्नलिखित प्रकार के एराइलाइड वर्तमान जांच के क्षेत्र में शामिल हैं जबकि अन्य सभी रूपों को बाहर रखा गया है: क. एसिटोएसिटानिलाइड या एएए; ख. एसिटोएसिट मेटा-ज़ाइलिडाइड या एएएमएक्स; ग. एसिटोएसिटो-ओ-एनिसाइड या एएओए; घ. एसिटोएसिट-ओ टोलुइडाइड या एएओटी; ड. एसिटोएसिटोक्लोरोएनीलाइड या एएओसीए।"

17. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध सामान और संबद्ध देश से आयातित सामान, भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, प्रकार्यों और प्रयोगों, उत्पाद विनिर्देशों, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन और सामानों के प्रशुल्क वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं। दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। तदनुसार, यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद नियमावली के नियम 2(घ) के अभिप्राय से विचाराधीन उत्पाद के लिए 'समान वस्तु' है और विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र मूल जांच में परिभाषित के समान रहता है।

ड. घरेलू उद्योग का क्षेत्र और आधार

ड.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

18. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने घरेलू उद्योग और आधार के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किए हैं।

ड.2 घरेलू उद्योग के अनुरोध

19. घरेलू उद्योग ने घरेलू उद्योग और आधार के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:
- आवेदक भारत में संबद्ध सामानों का एकमात्र उत्पादक है।
 - आवेदक ने न तो संबद्ध देश से संबद्ध सामानों का आयात किया है और न ही वह भारत में किसी आयातक या संबद्ध देश से उत्पादक/निर्यातक से संबद्ध हैं।

ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

20. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग निम्नलिखित रूप में परिभाषित है:

“(ख) “घरेलू उद्योग” का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में “घरेलू उद्योग” पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।”

21. यह आवेदन-पत्र मैसर्स लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। भारत में संबद्ध सामानों का कोई अन्य उत्पादक नहीं है। आवेदक ने संबद्ध देश से संबद्ध सामानों का आयात नहीं किया है और संबद्ध देश में किसी निर्यातक या भारत में आयातक से संबद्ध नहीं है।
22. तदनुसार, प्राधिकारी का मानना है कि आवेदक नियमावली के नियम 2 (ख) के अभिप्राय से घरेलू उद्योग है। नियम 5 की आवश्यकता को पूरा करते हुए आवेदन-पत्र दायर किया गया है।

च. विविध मुद्दे और गोपनीयता

च.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

23. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने विविध मुद्दों और गोपनीयता के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:
- आवेदक द्वारा अविश्वसनीय आयात आंकड़ों का प्रयोग किया गया है।

- ii. आवेदन-पत्र में पाटन और/या क्षति के पर्याप्त साक्ष्य नहीं हैं जो जांच की शुरुआत करने को उचित ठहराते हैं।
- iii. नियम के अनुसार पाटनरोधी शुल्क 5 साल बाद समाप्त हो जाना चाहिए और शुल्क का जारी रहना एक अपवाद है।
- iv. पाटनरोधी शुल्क की निरंतरता केवल तभी अनुमेय है जब पाटन की निरंतरता या पुनरावृत्ति और घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति की संभावना को दर्शाने वाले पर्याप्त, सकारात्मक और विश्वसनीय साक्ष्य मौजूद हों।

च.2 घरेलू उद्योग के अनुरोध

24. घरेलू उद्योग ने विभिन्न मुद्दों और गोपनीयता के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:
 - i. आवेदक ने गौण स्रोतों के अनुसार आयात आंकड़ों पर भरोसा किया था। हितबद्ध पक्षकार द्वारा कोई पर्याप्त साक्ष्य पेश नहीं किया गया है जिससे यह पता चले कि आवेदकों के आयात आंकड़ें अविश्वसनीय कैसे हैं। हितबद्ध पक्षकार चीन से वास्तविक निर्यात आंकड़ों पर सूचना प्रदान करके प्राधिकारी की सहायता कर सकता था। हालाँकि, पक्षकार ऐसा करने में विफल रहा है।
 - ii. जांच शुरुआत अधिसूचना में ही दर्ज है कि प्राधिकारी ने विधिवत प्रमाणित आवेदन-पत्र और प्रथम दृष्टया साक्ष्य की जांच के बाद निर्णायक समीक्षा शुरू की है।

च.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

25. विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदान की गई सूचना का अगोपनीय रूपांतर नियम 6(7) और व्यापार सूचना 10/2018 दिनांक 7 सितंबर 2018 के अनुसार सभी हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराया गया था।
26. नियमावली के नियम 7 में यह प्रावधान है कि:

“गोपनीय सूचना: (1) नियम 6 के उप नियमावली (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को अनुरोध किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय

मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार कार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार कार को ऐसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना अनुरोध करने वाले पक्षकार कारों से उसका अगोपनीय सारांश अनुरोध करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार कार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार कार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण अनुरोध करेगा कि सार करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।”

27. गोपनीयता के संबंध में घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों की प्राधिकारी द्वारा संगत मानी गई सीमा तक जांच की गई और तदनुसार हल किया गया। यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग और हितबद्ध पक्षकारों ने सूचना पर गोपनीयता का दावा किया है, जैसे उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग, बिक्री की मात्रा, बाजार हिस्सेदारी, स्टॉक, बिक्री कीमत, लागत, लाभ, नकद लाभ, निवेश पर आय, क्षतिरहित कीमत, उत्पादन लागत संबंधी सूचना, सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत, पाटन मार्जिन, क्षति मार्जिन, कीमत समायोजन, लाभ संबंधी सूचना, बिक्री चैनल, बिक्री और खरीद दस्तावेज, ग्राहकों और आपूर्तिकर्ताओं के नाम, आदि। यह भी देखा जाता है कि जहां भी क्षति की अवधि के लिए सूचना है, उसे सूचीबद्ध आधार पर प्रदान किया गया है। सामान्य मूल्य, क्षतिरहित कीमत और कीमत कटौती जैसी सूचना रेंज में प्रकट की गई है।
28. हितबद्ध पक्षकारों ने विभिन्न सहायक दस्तावेजों और सूचनाओं पर गोपनीयता का दावा किया है, जहां भी ऐसी सूचना उनके द्वारा सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं की गई है। उन मामलों में जहां किसी हितबद्ध पक्षकार ने सार्वजनिक रूप से अपनी वार्षिक रिपोर्ट और वित्तीय विवरणों का खुलासा नहीं किया है, उन्हें गोपनीय बताया गया है। जहां भी हितबद्ध पक्षकारों ने किसी दस्तावेज को गोपनीय बताया है, यह नोट किया जाता है कि इन हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया है कि ये दस्तावेज सार के लिए अतिसंवेदनशील नहीं हैं और कारण दिए हैं कि सार क्यों संभव नहीं है।

29. प्राधिकारी ने सूचना की प्रकृति और संबंधित पक्षकार द्वारा प्रस्तुत कारणों को ध्यान में रखते हुए गोपनीयता के प्रत्येक दावे की जांच की है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि सभी हितबद्ध पक्षकारों ने अपने व्यवसाय से संबंधित संवेदनशील सूचना को गोपनीय बताया है। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने जहां भी आवश्यक हुआ, गोपनीयता के दावों को स्वीकार कर लिया है, और ऐसी सूचना को गोपनीय माना गया है और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया गया है।
30. इस अनुरोध संबंध में कि घरेलू उद्योग द्वारा अविश्वसनीय आयात आंकड़ों पर भरोसा किया गया है, यह नोट किया जाता है कि जांच शुरुआत अधिसूचना का स्पष्ट पठन से पता चलता है कि प्राधिकारी ने जांच शुरुआत के उद्देश्य के लिए डीजी सिस्टम से प्राप्त आयात आंकड़ों पर भरोसा किया है। ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है जो यह संकेत दे कि घरेलू उद्योग ने प्रस्तावित निर्धारण के लिए अपने स्वयं के आयात आंकड़ों के विशेष उपयोग पर जोर दिया था। तदनुसार, इस संबंध में तर्क को प्रमाणित नहीं पाया गया है।
31. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए इस अनुरोध के संबंध में कि घरेलू उद्योग ने वर्तमान जांच शुरू करने को उचित ठहराने के लिए कोई ठोस साक्ष्य नहीं लाया गया है और प्राधिकारी ने तथ्यों की उचित जांच नहीं की है, यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग ने जांच शुरुआत करने को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त सूचना प्रदान की थी और प्राधिकारी द्वारा यह संतुष्ट होने के बाद जांच शुरू की गई थी कि जांच की शुरुआत का औचित्य बनाने के लिए पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं।
32. हितबद्ध पक्षकारों के इस अनुरोध के संबंध में कि पांच वर्ष के बाद पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति एक नियम है और शुल्क जारी रखना एक अपवाद है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी नियमावली की धारा 9क (5) और नियम 23 में निम्नलिखित प्रावधान हैं:

नियम 23. समीक्षा। - [(1) अधिनियम की धारा 9क के प्रावधान के तहत लगाया गया कोई भी पाटनरोधी शुल्क, पाटन का प्रतिकार करने के लिए, जो क्षति पहुंचा रहा है, तब तक और जहां तक आवश्यक है, लागू रहेगा। (1क) निर्दिष्ट प्राधिकारी, जहां उचित हो, अपनी पहल पर या किसी भी हितबद्ध पक्षकार के अनुरोध पर, जो ऐसी समीक्षा की आवश्यकता को प्रमाणित करने वाली सकारात्मक सूचना प्रस्तुत करता है, किसी भी पाटनरोधी शुल्क का लगाया जाना जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा करेंगे, और निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने

के बाद से उचित समयावधि समाप्त हो जाने पर, निर्दिष्ट प्राधिकारी, उसकी वापसी के लिए केन्द्र सरकार को सिफारिश करेंगे, जहां वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि घरेलू उद्योग को क्षति तब जारी रहने या बार बार होने की संभावना नहीं है, उपर्युक्त पाटनरोधी शुल्क हटाया जाए या उसमें अंतर किया जाए तथा इसीलिए अब उसकी आवश्यकता नहीं है।

33. प्राधिकारी यह पाते हैं कि, पाटनरोधी नियमावली के लागू प्रावधानों के अनुसार, पाटनरोधी शुल्क उस पाटन का मुकाबला करने के लिए उस अवधि तक लागू रहना आवश्यक है, जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहा है। अतः, पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना और जारी रखने का उद्देश्य पाटित आयातों के क्षतिकारक प्रभावों को दूर करना है। नियम 23(1) में यह प्रावधान है कि पाटन के कारण होने वाली क्षति का मुकाबला करने के लिए जब तक और जिस हद तक आवश्यक है, तब तक शुल्क लागू रहेगा। जबकि धारा 9क (5) पांच वर्ष की अवधि के लिए पाटनरोधी शुल्क लगाने का प्रावधान करती है, यह स्पष्ट रूप से शुल्क जारी रखने को संरक्षित करती है जहां समीक्षा यह सिद्ध करती है कि इस शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति के जारी रहने या बार बार होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त, यह परिपाटी भारत के लिए विशिष्ट नहीं है, बल्कि वैश्विक रूप से अपनाई जाती है। घरेलू उद्योग ने उन उत्पादों की सूची दी है, जिन पर विभिन्न प्राधिकारियों ने 20 वर्ष तक की अवधि के लिए भी पाटनरोधी उपाय वैश्विक रूप से बढ़ाए हैं।

छ. भारत में आयातों के संबंध में, सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण

छ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

34. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं।
- i. घरेलू उद्योग ने गलत दावा किया है कि संबद्ध देश एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था है।
 - ii. भाग लेने वाले उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य उनके द्वारा रखे गए लागत रिकॉर्ड के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है।

छ.2 घरेलू उद्योग के अनुरोध

35. घरेलू उद्योग ने सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- i. चूंकि चीन को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था माना जाता है, इसलिए चीनी उत्पादकों को यह सिद्ध करने की आवश्यकता है कि उनका घरेलू उद्योग बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियों में प्रचालन करता है।
- ii. वर्तमान जांच में किसी भी चीनी उत्पादक ने बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार (एमईटी) प्रश्नावली दायर नहीं की है। इसलिए, प्राधिकारी को पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-I के पैराग्राफ 7 के अनुसार सामान्य मूल्य निर्धारित करना चाहिए।

छ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

छ.3.1 सामान्य मूल्य

36. धारा 9क(1)(ग) के तहत, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:

“i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमावली के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा

ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:-

(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमावली के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमावली के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उद्गम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत;

(ख) बशर्ते यदि उक्त वस्तु का आयात उदगम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल यानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उदगम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

37. प्राधिकारी चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण के संबंध में पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध I के पैरा 7 और 8 के तहत निम्नलिखित संगत प्रावधान नोट करते हैं:

“7. गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयात के मामले में, उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए भारत में समान उत्पाद के लिए वास्तविक रूप से भुगतान किया गया अथवा भुगतान योग्य, आवश्यकतानुसार पूर्णतया समायोजित कीमत रहित, सामान्य मूल्य का निर्धारण तीसरे देश के बाजार अर्थव्यवस्था में कीमत अथवा परिकलित मूल्य के आधार पर अथवा भारत सहित ऐसे किसी तीसरे देश से अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव नहीं है, या किसी अन्य उचित आधार पर किया जाएगा। संबद्ध देश के विकास के स्तर तथा संबद्ध उत्पाद को देखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा यथोचित पद्धति द्वारा एक समुचित बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश का चयन किया जाएगा और चयन के समय पर उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना पर यथोचित रूप से विचार किया जाएगा। बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी अन्य तीसरे देश के संबंध में किसी समयानुरूपी मामले में की जाने वाली जांच के मामले में जहां उचित हों, समय-सीमा के भीतर कार्रवाई की जाएगी। जांच से संबंधित पक्षकार कारों को किसी अनुचित विलंब के बिना बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के चयन के विशेष में सूचित किया जाएगा और अपनी टिप्पणियां देने के लिए एक समुचित समयावधि प्रदान की जाएगी।”

“8 (1) “गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश” वाक्यांश का अर्थ है कि ऐसा देश जिसे निर्दिष्ट प्राधिकारी लागत अथवा कीमत ढांचे के बाजार सिद्धान्तों को लागू नहीं करने वाले देश के रूप में मानते हैं, जिसके कारण ऐसे देश में पण्य वस्तुओं की बिक्रियां उप पैराग्राफ (3) में निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार वस्तुओं के सही मूल्य को नहीं दर्शाती है।”

(2) यह कहना पूर्वानुमान लगाना होगा कि कोई देश जिसे जांच के पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान निर्दिष्ट प्राधिकारी अथवा डब्लू .टी.ओ. के किसी सदस्य

के समक्ष प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी जांच के प्रयोजनार्थ एक गैर- बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश निर्धारित अथवा माना गया है, एक गैर- बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश है। तथापि, गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश या ऐसे देश से संबंधित फर्म निर्दिष्ट-प्राधिकारी को सूचना तथा साक्ष्य उपलब्ध कराकर इस परिकल्पना को समाप्त कर सकते हैं जो यह साबित करता हो कि ऐसा देश उप पैरा (3) में निर्दिष्ट मानदंड के आधार पर एक गैर बाजार अर्थ-व्यवस्था वाला देश नहीं है।

(3) निर्दिष्ट प्राधिकारी प्रत्येक मामले में निम्नलिखित मानदंड पर विचार करेंगे कि क्या: (क) ऐसे देश में कच्ची समग्रियों प्रौद्योगिकी लागत और श्रम, उत्पादन, बिक्रियों तथा निवेश सहित कीमतों, लागतों तथा निवेशों के संबंध में संबंधित फर्म का निर्णय आपूर्ति तथा मांग को दर्शाने वाले बाजार संकेतों तथा इस संबंध में किसी विशिष्ट राज्य हस्तक्षेप के बिना होता है और यह कि क्या मुख्य निवेशों की लागतें वास्तविक रूप से बाजार मूल्यों को दर्शाती है ; (ख) ऐसी फर्मों की उत्पादन लागतों तथा वित्तीय स्थिति पूर्ववर्ती गैर-बाजार अर्थव्यवस्था प्रणाली से उठाये गये विशिष्ट विरूपणों के अधीन होती है, खासकर ऋणों की प्रतिपूर्ति द्वारा परिसम्पत्तियों के मूल्यहास, अन्य बट्टे खाते वस्तु विनियम व्यापार तथा ऋणों की क्षतिपूर्ति के जरिए तथा भुगतान के संबंध में ; (ग) ऐसी फर्म दिवालियापन तथा सम्पत्ति कानून के अधीन होती है जो कि फर्मों के प्रचालन की कानूनी निश्चितता तथा स्थायित्व की गारंटी देता है ; (घ) विनियम दर के परिवर्तन बाजार दर पर किये जाते हैं। तथापि, जहां इस पैराग्राफ में निर्दिष्ट मानदंड के आधार पर लिखित रूप में पर्याप्त साक्ष्य दर्शाया जाता है कि पाटनरोधी जांच के अधीन एक अथवा ऐसी अधिक फर्मों के लिए बाजार स्थितियां लागू होती हैं, निर्दिष्ट प्राधिकारी पैरा 7 तथा इस पैरा में निर्दिष्ट सिद्धान्तों के पैरा 1 से 6 में निर्दिष्ट सिद्धान्तों को लागू कर सकते हैं।

(4) उप पैराग्राफ (2) में किसी बात के होते हुए भी, निर्दिष्ट प्राधिकारी जो संगत मापदंड के अद्यतन विस्तृत मूल्यांकन के आधार पर ऐसे देश को बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश मान सकते हैं जिसमें उप पैराग्राफ (3) में विनिर्दिष्ट मापदंड में किसी सार्वजनिक दस्तावेज में ऐसे मूल्यांकन का प्रकाशन शामिल हो, जिसे विश्व व्यापार संगठन के किसी सदस्य देश द्वारा पाटनरोधी जांच के प्रयोजनार्थ बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माने जाने के लिए माना या निर्धारित किया हो।

38. जांच शुरुआत के चरण में, प्राधिकारी ने चीन जन.गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश मानकर कार्यवाही की। जांच की शुरुआत होने पर, प्राधिकारी ने चीन जन.गण. में उत्पादकों/निर्यातकों को जांच शुरुआत की सूचना का उत्तर देने और इस बारे में सूचना प्रदान करने की सलाह दी कि क्या उनके आंकड़ों/सूचना को सामान्य मूल्य निर्धारण के लिए अपनाया जा सकता है। प्राधिकारी ने दिनांक 20 मार्च, 2026 के ईमेल के माध्यम से चीन जन.गण. में सभी ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को इस संबंध में संगत सूचना प्रदान करने के लिए बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार/पूरक प्रश्नावली की प्रतियां भेजीं।

39. डब्ल्यूटीओ में चीन के अभिगम नयाचार के अनुच्छेद 15 में निम्नलिखित प्रावधान है:

“(क) जीएटीटी 1994 के अनुच्छेद -VI और पाटनरोधी करार के तहत कीमत तुलनात्मकता का निर्धारण करने में, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे अथवा उस पद्धति का उपयोग करेंगे, जो निम्नलिखित नियमावली के आधार पर घरेलू कीमतों या चीन में लागतों के साथ सख्ती से तुलना करने पर आधारित नहीं है:

(i) यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती हैं तो निर्यात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।

(ii) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त अनुपालन पर आधारित नहीं है, यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग हैं।

(ख) एससीएम समझौते के पैरा II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राजसहायता को बताते समय एससीएम समझौते के संगत प्रावधान लागू होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने

के लिए तब पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखती है और चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती हैं। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों का उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यमान निबंधन और शर्तों को ठीक करना चाहिए।

(ग) आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैरा (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी कार्य समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को कमिटी ऑन सब्सिडीज और काउंटर वेलिंग मैसर्स के लिए अधिसूचित करेगा।

(घ) आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य को राष्ट्रीय कानून के तहत चीन ने एक बार यह सुनिश्चित कर लिया है कि यह एक बाजार अर्थव्यवस्था है, तो उप पैराग्राफ के प्रावधान (क) समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में प्राप्ति की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ क (II) के प्रावधान प्राप्ति की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त होंगे। इसके अलावा, आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।"

40. यह नोट किया जाता है यद्यपि डब्ल्यूटीओ पाटनरोधी करार के अभिगम नयाचार के अनुच्छेद 15 (क) (ii) में निहित प्राधान 11 दिसंबर, 2016 को समाप्त हो गए हैं, तथापि, अभिगम नयाचार के 15(क)(i) के तहत दायित्व के साथ पठित डब्ल्यूटीओ पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2.2.1.1 के तहत प्रावधानों में बाजार अर्थव्यवस्था स्तर का दावा करने के संबंध में पूरक प्रश्नावली में दी जाने वाली सूचना/आंकड़ों के माध्यम से संतुष्ट होने के लिए पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 8 में निर्धारित मानदंड पूरा करने की आवश्यकता होती है।

41. यह नोट किया जाता है कि नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 में गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के लिए सामान्य मूल्य का निर्माण करने की तीन पद्धतियां निर्धारित हैं, (क) बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत या निर्मित मूल्य के आधार पर; (ख) तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों में निर्यात कीमत; और (ग) किसी अन्य उपयुक्त आधार पर। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 के प्रावधानों के तहत सामान्य मूल्य पहले किसी प्रतिनिधि देश में कीमत या निर्मित मूल्य, या भारत सहित अन्य देशों में ऐसे किसी देश से निर्यात कीमत के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए। तथापि, जब यह आधार संभव न हो, तो तभी प्राधिकारी भारत में प्रदत्त या देय कीमत सहित किसी अन्य उपयुक्त आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित कर सकते हैं।
42. चीन जन.गण. के निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर दायर किया गया है।

क्र.सं.	उत्पादक/निर्यातक
1	नैनटोंग एसिटिक एसिड केमिकल कंपनी लिमिटेड
2	किंगदाओ हैवान स्पेशलिटी केमिकल कंपनी लिमिटेड

43. जांच शुरुआत के चरण में, प्राधिकारी ने चीन जन.गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था देश मानने की धारणा के साथ कार्यवाही की। जांच शुरुआत के स्तर पर, प्राधिकारी ने चीन जन.गण. में उत्पादकों/निर्यातकों को जांच शुरुआत करने की सूचना का उत्तर देने और यह सूचना प्रदान करने की सलाह दी कि क्या उनके आंकड़ों/सूचना को सामान्य मूल्य निर्धारण के लिए अपनाया जा सकता है। प्राधिकारी ने इस संबंध में संगत सूचना प्रदान करने के लिए चीन जन.गण. में सभी ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार/पूरक प्रश्नावली की प्रतियां भेजीं।
44. घरेलू उद्योग सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों ने रिकॉर्ड में कोई सूचना नहीं दी है जो बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत या निर्मित मूल्य के आधार पर सामान्य मूल्य के निर्धारण की अनुमति दे सके, बाजार अर्थव्यवस्था में कीमतों या लागत के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता है। यह भी देखा जाता है कि किसी बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों को निर्यात कीमत के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है। विचाराधीन उत्पाद का कोई समर्पित कोड नहीं है।

और यह देखते हुए कि उत्पाद में पीसीएन मिश्रण शामिल है, एक बाजार अर्थव्यवस्था देश से निर्यात कीमत को सामान्य मूल्य निकालने के लिए आधार के रूप में नहीं माना जा सकता है। इस दृष्टि से, भारत में घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत को ध्यान में रखते हुए, बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक खर्चों और उचित लाभ के लिए समायोजित करते हुए, भारत में देय कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया गया है। इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

छ.3.2 निर्यात कीमत

क. नंटोंग एसिटिक एसिड केमिकल कंपनी लिमिटेड

45. चीन जन.गण. में संबद्ध सामानों के उत्पादक और निर्यातक नैन्टोंग एसिटिक एसिड केमिकल कंपनी लिमिटेड ने प्रश्नावली का उत्तर दायर किया है। जांच की अवधि के दौरान, नंटोंग एसिटिक एसिड केमिकल कंपनी लिमिटेड ने भारत को सीधे *** एमटी का निर्यात किया है। उत्पादक/निर्यातक ने समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, अंतर्देशीय परिवहन, बंदरगाह और अन्य संबंधित खर्चों के निमित्त समायोजन का दावा किया है और सत्यापन के बाद इसे अनुमति दी गई है। तदनुसार, कारखानागत स्तर पर पीसीएन वार निर्यात कीमत निर्धारित की गई है और कारखानागत स्तर पर सभी पीसीएन को एकत्रित करने के बाद भारत औसत निर्यात कीमत निर्धारित की गई है, और इस प्रकार निर्धारित कारखानागत निर्यात कीमत पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

ख. किंगदाओ हैवान स्पेशलिटी केमिकल कंपनी लिमिटेड

46. किंगदाओ हैवान स्पेशलिटी केमिकल्स कं, लिमिटेड, चीन के कंपनी कानून के तहत निर्गमित एक सीमित देयता कंपनी है। चीन जन.गण. में संबद्ध सामानों के उत्पादक और निर्यातक किंगदाओ हैवान स्पेशलिटी केमिकल कंपनी लिमिटेड ने प्रश्नावली का उत्तर दायर किया है। जांच की अवधि में किंगदाओ हैवान स्पेशलिटी केमिकल कंपनी लिमिटेड ने भारत में असंबद्ध खरीदारों को *** यूएसडी बीजक मूल्य के ***एमटी संबद्ध सामानों का सीधे ही निर्यात किया है। उत्पादक/निर्यातक ने समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, अंतर्देशीय परिवहन, बंदरगाह और अन्य संबंधित खर्चों के निमित्त समायोजन का दावा किया है और सत्यापन के बाद उनकी अनुमति दी गई है। तदनुसार, कारखानागत स्तर पर पीसीएन के अनुसार निर्यात कीमत निर्धारित की गई है और कारखानागत स्तर पर सभी पीसीएन को जोड़ने

के बाद भारत औसत निर्यात कीमत निर्धारित की गई है, और इस प्रकार निर्धारित कारखानागत निर्यात कीमत पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

ग. असहयोगी उत्पादक/निर्यातक

47. प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निवल निर्यात कीमत निर्धारित की है। निर्धारित कारखानागत निर्यात कीमत नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दिखाई गई है।

छ.3.3 पाटन मार्जिन

48. विचाराधीन उत्पाद के सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत को ध्यान में रखते हुए, संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के लिए पाटन मार्जिन निम्नानुसार निर्धारित किया गया है:

क्र. सं.	विवरण	सामान्य मूल्य	निर्यात कीमत	पाटन मार्जिन		
		डॉ./एमटी	डॉ./एमटी	डॉ./एमटी	%	रेंज
1	नैनटोंग एसिटिक एसिड केमिकल कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	10 - 20
2	किंगदाओ हैवान स्पेशलिटी केमिकल्स कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	50 - 60
3	अन्य सभी उत्पादक/निर्यातक	***	***	***	***	80 - 90

यह देखा जाता है कि चीन जन.गण. के उत्पादकों/निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन न्यूनतम स्तर से अधिक है।

ज. क्षति का मूल्यांकन और कारणात्मक संपर्क

ज.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

49. क्षति और कारणात्मक संपर्क के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i. मांग में वृद्धि के साथ चीन जन.गण. से भारत में आयात बढ़ गया है और क्षति की अवधि के दौरान मांग में कमी के साथ कम हो गया है।
- ii. आवेदक की क्षमता की स्थिति लंबे समय से स्थिर बनी हुई है, जबकि भारत में मांग में वृद्धि हुई है।
- iii. एक स्पष्ट मांग और आपूर्ति अंतर है, जो संबद्ध देश से आयात की आवश्यकता को रेखांकित और मान्य करता है।
- iv. घरेलू उद्योग अपने निर्यात को बढ़ा रहा है और निर्यात बाजार पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहा है।
- v. घरेलू उद्योग का बिक्री निष्पादन मजबूत वृद्धि को दर्शाता है क्योंकि क्षति की अवधि के दौरान घरेलू बिक्री में ***% और निर्यात बिक्री में ***% की वृद्धि हुई है।
- vi. अग्रिम प्राधिकार के तहत आयात की काफी मात्रा की संभावना के आकलन के लिए विचार नहीं किया जा सकता है।
- vii. वार्षिक रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कंपनी ने "लचीली वृद्धि" हासिल की है, जिसमें मात्रा ***% बढ़ी है और ईबीआईटीडीए ***% बढ़कर ***रु. मिलियन हो गया है, जो कि ***% के पीएटी मार्जिन द्वारा समर्थित है। यह भी नोट किया जाता है कि विशिष्टताओं के क्षेत्र ने ***% राजस्व वृद्धि और ***% मात्रा वृद्धि दर्ज की।
- viii. 22% आरओसीई के समान अनुप्रयोग के परिणामस्वरूप अनुचित और बढ़ा हुआ लाभ क्षतिरहित कीमत को विकृत करता है, और सेस्टेट ने उस पर प्रश्न उठाया है। इसके बजाय एक उचित आय सामान्य प्रतिस्पर्धी परिस्थितियों में वास्तविक लाभ पर आधारित होनी चाहिए।
- ix. प्रवृत्तियां इस निष्कर्ष का समर्थन नहीं करती हैं कि घरेलू उद्योग व्यावसायिक रूप से ढह रहा है या केवल इसलिए कि वर्तमान शुल्क समाप्त हो रहा है, वास्तविक क्षति की पुनरावृत्ति का सामना करने की संभावना है।
- x. उपलब्ध साक्ष्य बताते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा सामना की जाने वाली कोई भी वित्तीय चुनौतियां चीन जन.गण. से आयात के कारण प्रतिकूल मात्रा प्रभावों से नहीं बल्कि संबद्ध आयात से असंबंधित कारकों से उत्पन्न होती हैं।
- xi. घरेलू उद्योग की निवल स्थायी परिसंपत्तियां क्षमता में किसी भी वृद्धि के बिना बढ़ गई हैं। यदि निवल स्थायी परिसंपत्तियों में वृद्धि परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन के कारण है, तो इसे क्षतिरहित कीमत के निर्धारण के उद्देश्य से अनदेखा किया जाना चाहिए।
- xii. मूल शुल्क वास्तविक रूप से एक अलग वास्तविक मैट्रिक्स में लगाया गया था। जबकि घरेलू उद्योग को उस जांच के दौरान काफी क्षति हुई थी जिसके कारण

शुल्क लगाया गया था, निष्पादन में अत्यधिक सुधार हुआ है जो शुल्क लगाना आवश्यक नहीं मानता।

ज.2 घरेलू उद्योग के अनुरोध

50. क्षति और कारणात्मक संपर्क के संबंध में घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:-

- i. यह दावा कि मांग और आपूर्ति अंतर के कारण आयात में वृद्धि हुई, भ्रामक है। जांच की अवधि में मांग आपूर्ति अंतर [***] एमटी है जबकि चीन से आयात की मात्रा [***] एमटी है।
- ii. क्षति की अवधि में संबद्ध सामान की मांग बढ़ गई है।
- iii. क्षति की अवधि में संबद्ध आयात की मात्रा में 18% की वृद्धि हुई है।
- iv. निर्यात उद्देश्यों के लिए अग्रिम लाइसेंस योजना के तहत संबद्ध सामानों की एक काफी मात्रा का आयात किया गया है।
- v. यहां तक कि व्यक्तिगत उत्पाद प्रकार के मामले में भी आयात का घरेलू बाजार पर निराशाजनक प्रभाव पड़ा है।
- vi. जांच की अवधि में उत्पादन की मात्रा में गिरावट आई है।
- vii. जांच की अवधि में क्षमता उपयोग में भी गिरावट आई है।
- viii. शुल्क लागू होने के बावजूद आयात की बाजार हिस्सेदारी काफी बनी हुई है।
- ix. निवेश पर आय ने उसी प्रवृत्ति का पालन किया जो कि लाभ की प्रवृत्ति है और ***% तक गिरावट आई।
- x. घरेलू उद्योग 2024-2025 तक लाभ कमा रहा था, हालांकि, जांच की अवधि में इसे नकद हानियां हुई हैं।
- xi. मांग में वृद्धि के बावजूद घरेलू उद्योग की मालसूची का स्तर बढ़ गया है।
- xii. जांच की अवधि में पाटन से, संबद्ध आयातों ने क्षति की अवधि में लाभ, नकद प्रवाह और निवेश पर आय के संदर्भ में घरेलू उद्योग की वृद्धि प्रभावित की है।
- xiii. पाटनरोधी शुल्क लगाने से आवेदक घरेलू बाजार में बना रह सकता है। पाटनरोधी शुल्क लगाने से पूर्व, पाटन का प्रतिकूल प्रभाव आवेदक की मात्रा और कीमत मानदंडों, दोनों पर महसूस किया गया था।
- xiv. क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग, घरेलू बिक्री, बाजार हिस्सेदारी, नकद लाभ, कर पूर्व लाभ और कर तथा निवेश पर आय, मालसूची और वृद्धि सहित आवेदक के आर्थिक मापदंडों ने क्षति की अवधि में पर्याप्त सुधार दर्शाया है।

- xv. प्राधिकारी ने लगातार यह माना है कि शुल्क छूट योजनाओं के तहत आयात को पाटन और क्षति विश्लेषण के लिए नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।
- xvi. अग्रिम प्राधिकार के तहत आयात को ध्यान में रखा जाना चाहिए क्योंकि इस तरह के आयात घरेलू उद्योग को अपनी आपूर्ति बढ़ाने के लिए उपलब्ध अवसरों पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, जिससे घरेलू उद्योग को उपलब्ध प्रभावी मांग कम हो जाती है।
- xvii. घरेलू प्रचालनों के लिए नियोजित पूंजी में उतार-चढ़ाव निर्यात बिक्री में गिरावट और घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री में वृद्धि के कारण है, न कि आवेदक द्वारा किए गए किसी भी असमान पुनर्मूल्यांकन के कारण।
- xviii. जब प्रति यूनिट आधार पर देखा जाता है, तो यह देखा जाएगा कि निवल अचल परिसंपत्तियां केवल रु. [***] प्रति एमटी बढ़ गई हैं। यह वृद्धि इसलिए भी है क्योंकि संयंत्र में कुछ पूंजीगत व्यय किए जाते हैं जिसके परिणामस्वरूप संयंत्र की क्षमता में कोई बदलाव नहीं हो सकता है लेकिन लागत में वृद्धि होगी।

ज.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

51. अनुबंध-II के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली के नियम 11 में यह प्रावधान है कि क्षति के निर्धारण में “... पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर इस प्रकार के आयातों का परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत तथ्यों पर विचार करते हुए ...” घरेलू उद्योग को क्षति दर्शाने वाले कारकों की जांच शामिल होगी। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, इस बात की जांच करना आवश्यक माना गया है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा काफी कीमत कटौती की गई है अथवा यह कि क्या इस प्रकार के आयातों के प्रभाव से अन्यथा कीमतों का बहुत अधिक मात्रा में हास हुआ है अथवा कीमत में वृद्धि रुकी है, जो अन्यथा बहुत अधिक मात्रा में हुई होती। भारत में घरेलू उद्योगों पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए, इन सूचकांकों जिनका उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता हो जैसे उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री की मात्रा, मालसूची, लाभप्रदता, निवल बिक्री प्राप्ति, पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि पर विचार पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II के अनुसार किया गया है।
52. घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा क्षति और कारणात्मक संपर्क पर किए गए विभिन्न अनुरोधों की रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों और लागू कानूनों पर विचार करते

- हुए जांच और विश्लेषण किया गया है। प्राधिकारी द्वारा क्षति विश्लेषण यथा-तथ्यतः घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों को हल करता है।
53. इस अनुरोध के संबंध में कि मांग में वृद्धि के साथ चीन जन.गण. से भारत में आयात में वृद्धि हुई है और क्षति की अवधि के दौरान मांग में कमी के साथ कम हो गई है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि मांग-आपूर्ति में अंतर है, लेकिन यह पाटन को उचित नहीं ठहराता है। प्राधिकारी यह मत है कि निर्यातक उचित कीमत पर उत्पाद का निर्यात करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन पाटित कीमत पर नहीं।
54. इस अनुरोध के संबंध में कि अग्रिम प्राधिकार के तहत काफी मात्रा में आयात को संभावना के आकलन के लिए नहीं माना जा सकता है, यह देखा जाता है कि पाटन और क्षति विश्लेषण के लिए शुल्क छूट योजनाओं के तहत आयात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। प्राधिकारी का मत है कि आयात घरेलू उद्योग को अपनी आपूर्ति बढ़ाने के लिए उपलब्ध अवसरों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, जिससे घरेलू उद्योग के लिए उपलब्ध प्रभावी मांग कम हो जाती है। तदनुसार, अग्रिम प्राधिकार के तहत आयात की एक काफी मात्रा की मौजूदगी संभावना विश्लेषण के लिए अत्यधिक संगत है।
55. पाटन के लिए अग्रिम लाइसेंस के तहत आयातों को अलग रखने और क्षति निर्धारण के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि इन आयातों को पाटन और क्षति का पता लगाने के उद्देश्य से ध्यान में रखा गया है क्योंकि यह पाटित आयात इन निर्यातकों को अपनी आपूर्ति बढ़ाने के लिए उपलब्ध घरेलू उद्योग के अवसरों पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं और उस हद तक, संबद्ध सामानों की मांग कम हो जाती है। यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग को क्षति के आकलन के प्रयोजन के लिए शुल्क छूट के तहत आयात को शामिल करना प्राधिकारी की सतत परिपाटी है।
56. मूल जांच की तुलना में निष्पादन में सुधार पर हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध करने के संबंध में, प्राधिकारी का मानना है कि उद्योग के निष्पादन में सुधार लागू पाटनरोधी शुल्क का परिणाम है। मूल जांच की आवश्यकता समीक्षा जांच से अलग है। निर्णायक समीक्षा जांच में आवश्यकता यह सिद्ध करने की है कि शुल्क की समाप्ति से घरेलू उद्योग में पाटन और क्षति जारी रहने की संभावना है। क्षति के निर्धारण के संबंध में, यदि पाटनरोधी शुल्क का वांछित प्रभाव पड़ा है, तो घरेलू उद्योग की स्थिति में पाटनरोधी शुल्क प्रभावी अवधि के दौरान सुधार होने की उम्मीद की जाएगी। प्राधिकारी कलयाणी

स्टील लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी 2006 (203) ईएलटी 418 (त्रि - दिल्ली) के मामले में सेस्टैट के निर्णय का संदर्भ लेते जो नीचे दिया गया है।

“15.1 कोई एक या अधिक कारक घरेलू उद्योग को पर्याप्त रूप से क्षति पहुंचा सकते हैं। कीमत पर पाटित आयातों के प्रतिकूल प्रभाव से दर्शाई गई निर्णायक क्षति आर्थिक कारकों और पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के कारण घरेलू उद्योग की स्थिति पर तत्वों के कुछ आंशिक सुधारों को गिनकर अलग नहीं किया जाएगा।”

57. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों और तर्कों पर विचार करते हुए वस्तुनिष्ठ रूप से क्षति के मापदंडों की जांच की है। प्राधिकारी द्वारा किए गए क्षति विश्लेषण में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों को हल किया गया है।

ज.3.1 पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव

क. मांग/खपत का आकलन

58. प्राधिकारी ने भारत में उत्पाद की मांग या स्पष्ट खपत को घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री और सभी स्रोतों से आयात के योग के रूप में निर्धारित किया है।

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	2022-23	2023-24	2024-25	जांच की अवधि
1	संबद्ध देश से आयात	एमटी	3,546	3,610	4,605	4,358
2	अन्य देशों से आयात	एमटी	742	200	120	120
3	घरेलू उद्योग की बिक्री	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	प्रवृत्ति	100	129	145	143
4	कुल मांग		***	***	***	***
	प्रवृत्ति	प्रवृत्ति	100	112	136	123

59. आंकड़े बताते हैं कि विचाराधीन उत्पाद की मांग क्षति की अवधि में बढ़ी है, लेकिन जांच की अवधि में थोड़ी कम हो गई है। क्षति की अवधि में, उत्पाद की मांग में ***% वृद्धि हुई है।

ख. निरपेक्ष और सापेक्षिक रूप से आयात

60 पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी को यह विचार करने की आवश्यकता है कि क्या पाटित आयातों में या तो पूर्ण रूप से या भारत में उत्पादन या खपत के सापेक्ष काफी वृद्धि हुई है। क्षति विश्लेषण के लिए, प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम आयात आंकड़ों पर भरोसा किया है। सूचना निम्नानुसार है:

क्र. सं.	विवरण	यूओएम	2022-23	2023-24	2024-25	जांच की अवधि
1	संबद्ध देश से आयात	एमटी	3,546	3,610	4,605	4,358
2	अन्य देशों से आयात	एमटी	742	200	120	120
3	निम्नलिखित के संबंध में संबद्ध आयात					
क	भारतीय उत्पादन	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति		100	81	88	88
ख.	भारतीय खपत	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	94	102	99
ग	कुल आयात	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	115	118	118

61. यह नोट किया जाता है कि:

- i. संबद्ध आयात 2022-23 से 2024-25 तक बढ़े हैं, लेकिन जांच की अवधि में गिरावट आई। क्षति की अवधि में संबद्ध आयातों की मात्रा में 18% की वृद्धि हुई है।

- ii. भारतीय उत्पादन के संबंध में, संबद्ध देश से आयात क्षति की अवधि के दौरान काफी रहे हैं। इस तरह के आयात आधार वर्ष में भारतीय उत्पादन का ***% और जांच की अवधि के दौरान ***% रहा।
- iii. संबद्ध देश से आयात, भारतीय खपत के संबंध में, आधार वर्ष में ***% और जांच की अवधि के दौरान ***% था। जबकि बीच के वर्षों के दौरान अनुपात में मामूली उतार-चढ़ाव देखा गया, यह क्षति की अवधि के दौरान काफी स्तर पर बने रहे।
- iv. अन्य देशों से आयात आधार वर्ष में 742 एमटी से घटकर जांच की अवधि के दौरान 120 एमटी हो गये, जिससे पता चलता है कि गैर-संबद्ध देशों से आयात पूरी क्षति की अवधि में नगण्य रहे।
- v. शुल्क लागू होने और घरेलू उद्योग के पास पर्याप्त क्षमता होने के बावजूद, आयात निरपेक्ष और सापेक्षिक रूप से स्थिर रहा है।

ज.3.2 पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

62. नियमावली के अनुबंध II(ii) के अनुसार, कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में, प्राधिकारी को यह विचार करने की आवश्यकता है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों से काफी कीमत कटौती हुई है या क्या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों को काफी मात्रा तक कम करना है या कीमत वृद्धि रोकना है, जो अन्यथा काफी मात्रा तक हुई होती।

क. कीमत कटौती

63. जांच की अवधि के लिए आयात की पहुंच कीमत के साथ घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति की तुलना करके प्रत्येक प्रकार के संबद्ध एराइलाइड्स के लिए कीमत कटौती निर्धारित की गई है। नीचे दी गई तालिका संबद्ध देश से कीमत कटौती को दर्शाती है।

क्र.सं.	उत्पाद	आयात	निवल बिक्री	आयातों का पहुंच मूल्य	कीमत कटौती		रेंज
		मात्रा	प्राप्ति				
		एमटी	रु./एमटी	रु./एमटी	रु./एमटी	%	
1	एएए	1,819	***	***	***	***	10-20
2	एएएमएक्स	862	***	***	***	***	20-30
3	एएओए	688	***	***	***	***	10-20

4	एएओसीए	176	***	***	***	***	20-30
5	एएओटी	814	***	***	***	***	20-30
6	कुल	4,358		***	***	***	20-30

64. यह देखा जाता है कि सभी ग्रेडों के लिए आयात का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति से कम है, जो दर्शाता है कि आयातित सामान घरेलू उद्योग की कीमतों को कम करते हैं। कीमत में कटौती का मार्जिन काफी माना जाता है।

ख. कीमत हास और न्यूनीकरण

65. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयात घरेलू कीमतों को कम कर रहे हैं और क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों का काफी हद तक हास करना है या कीमतों में वृद्धि को रोकना है जो अन्यथा सामान्य क्रम में हुई होती, क्षति की अवधि में लागत और कीमतों में परिवर्तन की तुलना निम्नानुसार की गई थी:

क्र.सं.	विवरण	यूनिट	2022-23	2023-24	2024-25	जांच की अवधि
1	बिक्री लागत	रु./एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	91	87	85
2	बिक्री कीमत	रु./एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	84	82	77
3	पहुंच मूल्य	रु./एमटी	229,543	195,543	186,172	180638
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	85	81	79

66. आंकड़े विचाराधीन अवधि के दौरान कीमत हास और कीमत न्यूनीकरण, दोनों को दर्शाते हैं। बिक्री कीमत 2022-23 में ***रु./एमटी से घटकर जांच की अवधि में ***रु./एमटी हो गई, जो लगभग की***% की गिरावट दर्शाती है (सूचकांक 100 से 77) इसी अवधि में बिक्री लागत में लगभग ***% (सूचकांक 100 से 85) तक गिरावट आई, जबकि पहुंच मूल्य में लगभग ***% (सूचकांक 100 से 79) तक गिरावट आई। तदनुसार, बिक्री कीमत, बिक्री लागत की तुलना में तेजी से गिरावट आई, जो कीमत न्यूनीकरण दर्शाती है, जबकि इसी अवधि में बिक्री कीमत में काफी गिरावट कीमत हास दर्शाती है।

ज.3.3 घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंड

67. नियमावली के अनुबंध-II में यह प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में सभी संगत आर्थिक कारकों और तत्वों जिनका घरेलू उद्योग की हालत पर प्रभाव पड़ता हो, जिनमें बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट; वे कारक जो घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा पर प्रभाव डालते हों; नकद प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, विकास, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव का वस्तुपरक और निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होना चाहिए। घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति मापदंडों पर नीचे चर्चा की गई है। प्राधिकारी ने विभिन्न तथ्यों और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अपने अनुरोधों में दिए गए तर्कों को ध्यान में रखते हुए, क्षति के मापदंडों की निष्पक्ष रूप से जांच की है।

क. उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्रियां

68. प्राधिकारी ने क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री पर विचार किया है।

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	2022-23	2023-24	2024-25	जांच की अवधि
1	क्षमता	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	100	100
2	कुल उत्पादन (पीयूसी+एनपीयूसी)	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	126	147	139
3	क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	126	147	139
4	विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	125	148	140
5	घरेलू बिक्री	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	129	145	143

69. यह देखा जाता है कि:

- i. घरेलू उद्योग की क्षमता क्षति की अवधि के दौरान अपरिवर्तित रही है।
- ii. घरेलू उद्योग के उत्पादन और क्षमता उपयोग में 2022-23 से 2024-25 तक सुधार हुआ है, लेकिन जांच की अवधि में इसमें गिरावट आई है। क्षति की अवधि के दौरान, घरेलू उद्योग के उत्पादन और क्षमता उपयोग में सुधार हुआ है।
- iii. विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन 2024-25 तक बढ़ गया है, लेकिन जांच की अवधि में गिरावट आई है।
- iv. घरेलू बिक्री 2022-23 से 2024-25 तक बढ़ी है, लेकिन जांच की अवधि के दौरान इसमें मामूली गिरावट आई है।
- v. पाटनरोधी शुल्क लगाने से घरेलू उद्योग को अपना उत्पादन और घरेलू बिक्री बढ़ाने में मदद मिली है।
- vi. हालांकि घरेलू उद्योग ने क्षति की अवधि के दौरान लगातार अपनी संस्थापित क्षमता को बनाए रखा है, जांच की अवधि के दौरान उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री में गिरावट से संकेत मिलता है कि घरेलू बाजार में पर्याप्त मांग के बावजूद यह अपनी संस्थापित क्षमता का इष्टतम स्तर तक उपयोग करने में सक्षम नहीं रहा है।

ख. सभी आपूर्तिकर्ताओं की बाजार हिस्सेदारी

70. प्राधिकारी ने संबद्ध देश और अन्य देशों के रूप में घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच की है।

क्र.सं.	विवरण	यूनिट	2022-23	2023-24	2024-25	जांच की अवधि
1	संबद्ध देश	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	96	108	96
2	अन्य देश	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	27	11	15
3	घरेलू उद्योग	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	115	106	117

71. यह देखा जाता है कि:

- घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी 2023-24 में बढ़ी, 2024-25 में घटी लेकिन जांच की अवधि में फिर से बढ़ गई।
- संबद्ध देश से आयात की बाजार हिस्सेदारी 2023-24 में घट गई, 2024-25 में बढ़ गई लेकिन जांच की अवधि में फिर से घट गई।
- शुल्क लागू होने के बावजूद संबद्ध आयात की बाजार हिस्सेदारी काफी है।

ग. लाभप्रदता, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय

72. घरेलू उद्योग के निष्पादन की जांच लाभप्रदता, लाभ, नकद लाभ, पीबीआईटी और निवेश पर आय के संबंध में की गई है।

क्र.सं.	विवरण	यूनिट	2022-23	2023-24	2024-25	जांच की अवधि
1	लाभ/हानि	रु./एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	-45	-11	-77
2	लाभ/हानि	लाख रु.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	-58	-16	-110
3	पीबीआईटी	लाख रु.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	-19	-2	-78
4	नकद लाभ	लाख रु.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	5	48	-33
5	निवेश पर आय	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	-18	-2	-79

73. यह देखा जाता है कि:

- घरेलू उद्योग 2022-23 में लाभ कमा रहा था लेकिन संबद्ध आयात की कीमतों में गिरावट के कारण, घरेलू उद्योग का लाभ काफी घट गया और उसके बाद हानियां

हुई। लाभ 2023-24 में नकारात्मक हो गया जिसमें 2024-25 में हानियां घट गई, परंतु जांच की अवधि में उसके बाद बढ़ गई।

- ii. इसी तरह की प्रवृत्ति कर पूर्व लाभ में देखी गई है। नकद लाभ और पीबीटी दोनों में गिरावट आई है और जांच की अवधि में नकद घाटा और निवेश पर नकारात्मक आय में बदल गई है।
- iii. 2022-23 में निवेश पर आय सकारात्मक थी, 2023-24 में नकारात्मक हो गई, 2024-25 में मामूली रूप से सुधार हुआ और जांच की अवधि में और गिरावट आई।

घ. मालसूची

74. क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की मालसूची की स्थिति नीचे दी गई तालिका में दी गई है:

क्र.सं.	विवरण	यूनिट	2022-23	2023-24	2024-25	जांच की अवधि
1	प्रारंभिक मालसूची	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	115	98	151
2	अंतिम मालसूची	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	85	106	118
3	औसत मालसूची	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	99	102	133

75. यह नोट किया जाता है कि जांच की अवधि में औसत मालसूची में काफी वृद्धि हुई है। जांच की अवधि में मांग में वृद्धि के बावजूद घरेलू उद्योग की मालसूची का स्तर बढ़ गया है।

ड. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता

76. क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

क्र.सं.	विवरण	यूनिट	2022-23	2023-24	2024-25	जांच की अवधि
1	कर्मचारियों की संख्या	संख्या	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	102	98	97
2	वेतन और मजदूरी	लाख रु.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	133	112	113
3	प्रति दिन उत्पादकता	एमटी/दिन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	125	148	140
4	प्रति कर्मचारी उत्पादकता	एमटी/कर्मचारी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	123	151	145

77. यह देखा जाता है कि कर्मचारियों की संख्या 2023-24 में बढ़ गई है और उसके बाद 2024-25 में घट गई है, और जांच की अवधि में इसमें और गिरावट आई है। 2023-24 में प्रदत्त वेतन और मजदूरी भी बढ़ गई और उसके बाद इसमें गिरावट आई।

78. प्रति दिन उत्पादकता और प्रति कर्मचारी उत्पादकता में 2024-25 तक वृद्धि हुई लेकिन जांच की अवधि में गिरावट आई।

च. वृद्धि

79. क्षमता, उत्पादन, घरेलू बिक्री मात्रा, पीबीटी, पीबीआईटी, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय के संदर्भ में घरेलू उद्योग की वृद्धि नीचे दी गई तालिका के अनुसार है:

क्र.सं.	विवरण	यूनिट	2023-24	2024-25	जांच की अवधि
1	उत्पादन (पीयूसी)	वाई/वाई	25%	18%	-5%
2	घरेलू बिक्री	वाई/वाई	29%	12%	-1%
3	कर पूर्व लाभ – कर-पूर्व लाभ – लाख रु.	वाई/वाई	-158%	73%	-599%
5	कर पूर्व ब्याज – लाख रु.	वाई/वाई	-119%	88%	-3211%
6	नकद लाभ – लाख रु.	वाई/वाई	-95%	921%	-169%
7	नियोजित पूंजी पर आय	वाई/वाई	-118%	89%	-3903%

80. यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग ने वर्ष 2023-24 में मात्रा मापदंडों में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की, लेकिन कीमत मापदंडों में गिरावट आई। 2024-25 में मात्रा और मूल्य मापदंडों में सकारात्मक वृद्धि देखी गई। हालांकि यह देखा जाता है कि जांच की अवधि में मात्रा और मूल्य दोनों मापदंडों में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है।

छ. पूंजी निवेश बढ़ाने की क्षमता

81. यह नोट किया जाता है कि देश में मांग और आपूर्ति का अंतर है। यह भी नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग की लाभप्रदता और नियोजित पूंजी पर आय में गिरावट आई है और जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग घाटे के साथ काम कर रहा था। इसलिए, पूंजी निवेश बढ़ाने की क्षमता गंभीर रूप से प्रभावित हुई है, जिससे घरेलू उद्योग अपनी क्षमता का विस्तार करने से रोक रहा है।

ज. घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

82. डीजी सिस्टम आयात आंकड़ों की जांच से यह पता चलता है कि संबद्ध देश से आयात की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और बिक्री लागत से कम है। परिणामस्वरूप,

घरेलू उद्योग को अपनी बिक्री कीमत कम करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जो बिक्री की लागत से नीचे गिर गई। इसका घरेलू उद्योग की लाभप्रदता पर काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। यह तथ्य कि घरेलू उद्योग को हानियां हुई हैं और उसने जांच की अवधि के दौरान निवेश पर नकारात्मक आय दर्ज की, स्पष्ट रूप से निरंतर पाटित आयातों का प्रतिकूल प्रभाव दर्शाता है।

झ. पाटन की मात्रा

83. यह देखा जाता है कि संबद्ध देश से भारत में संबद्ध सामानों का पाटन जारी है।

झ. क्षति के जारी रहने या बार-बार होने की संभावना

झ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

84. क्षति की संभावना के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i. पाटन और क्षति के जारी रहने या बार-बार होने की कोई संभावना नहीं है।
- ii. भारत को निर्यात की एक छोटी सी हिस्सेदारी है, प्रमुख बिक्री घरेलू बाजार में है।
- iii. इस सुझाव के साथ असंगत कि नैनटोंग के पास अतिरिक्त क्षमता है या भारत को निर्यात को पुनर्निर्देशित किया गया है।
- iv. घरेलू उद्योग द्वारा आगे बढ़ाया गया संभावना विश्लेषण मुख्य रूप से चीनी क्षमताओं, मालसूची और भविष्य के निर्यात व्यवहार के बारे में मान्यताओं पर आधारित है।
- v. किसी तीसरे देश के बाजारों में क्षमता या निर्यात की मौजूदगी से नुकसान की संभावना सिद्ध नहीं की जा सकती है।
- vi. प्राधिकारी को यह जांचने की आवश्यकता है कि क्या यह दर्शाने का सकारात्मक साक्ष्य है कि शुल्क की समाप्ति से पाटित आयातों में वृद्धि होने की संभावना है, जो घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति पहुंचाएंगे। ऐसा कोई साक्ष्य रिकॉर्ड में नहीं रखा गया है।

झ.2 घरेलू उद्योग के अनुरोध

85. घरेलू उद्योग ने क्षति की संभावना के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- i. पाटनरोधी शुल्क लगाने के बाद पाटन जारी रहा है, जो स्वयं उपायों की समाप्ति की स्थिति में पाटन की संभावना को सिद्ध करता है।
- ii. किंगदाओ हैवान स्पेशलिटी केमिकल्स कंपनी के निर्यात जांच की अवधि में तीसरे देशों को निर्यात कम हुए हैं। हालांकि, भारत को निर्यात में काफी वृद्धि हुई है।
- iii. किंगदाओ हैवान स्पेशलिटी केमिकल्स कंपनी लिमिटेड की कीमत घरेलू बाजार के लिए भी गिर गई है, भारत को निर्यात कीमत घरेलू बिक्री कीमत की तुलना में अधिक दर से गिर गई है।
- iv. संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद का आयात भारत में काफी मात्रा में प्रवेश करना जारी रहा है। 2021 में पाटनरोधी शुल्क लगाने के बाद भी, आयात की मात्रा काफी रही है और मांग का 40% है।
- v. संबद्ध आयात में आधार वर्ष से जांच की अवधि तक समग्र वृद्धि दर्ज की गई। यह तथ्य कि जब शुल्क लागू थे तब आयात में वृद्धि हुई, उपायों की समाप्ति की स्थिति में आगे वृद्धि की संभावना सिद्ध करता है।
- vi. मूल जांच में, प्राधिकारी ने सभी पीसीएन में 0-20% की सीमा में सकारात्मक कीमत कटौती पाई। कीमत में कटौती काफी बढ़ गई है और अब यह पीसीएन में 10-30% तक है।
- vii. यदि पाटनरोधी उपाय विफल हो जाते हैं तो यह कीमत ह्रास जारी रहने या तेज होने की संभावना है, जिससे घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति होगी।
- viii. भारतीय बाजार अत्यधिक कीमत संवेदी है, जिसमें उपभोक्ता मुख्य रूप से कीमत के आधार पर खरीद निर्णय लेते हैं। आयात घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम कीमतों पर आते हैं और यदि शुल्क जारी नहीं रखा जाता है, तो घरेलू उद्योग को या तो अपनी बिक्री कीमत कम करनी होगी और यहां तक कि अधिक हानियां उठानी होंगी या बिक्री की मात्रा और परिणामस्वरूप बाजार हिस्सेदारी खोनी होगी।
- ix. चीन में क्षमता उन देशों में मांग से अधिक है। 267.8 केटी की वर्तमान क्षमता के मुकाबले चीन में मांग केवल 136.6 केटी है। यह तथ्य कि क्षमता इतनी अधिक

है, सिद्ध करता है कि शुल्कों की समाप्ति से, उत्पादक भारतीय बाजार में बाढ़ ला देंगे।

झ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

86. प्राधिकारी ने, धारा 9क (5), नियम 23 और पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II (vii) के अनुसार वास्तविक क्षति के खतरे से मापदंडों में निर्धारित अपेक्षा पर विचार करते हुए और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा रिकॉर्ड में लाए गए अन्य संगत कारकों पर विचार करते हुए क्षति के जारी रहने या बार-बार होने की संभावना की जांच की है।
87. वर्तमान जांच चीन जन.गण. से विचाराधीन उत्पाद के आयात पर लगाए गए शुल्कों की निर्णायक समीक्षा है। नियमावली के तहत, प्राधिकारी को यह निर्धारित करने की आवश्यकता है कि क्या मौजूदा शुल्क की समाप्ति पाटन के जारी रहने या बार बार होने और घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है।
88. इस तरह का संभावना विश्लेषण करने के लिए कोई विशिष्ट पद्धति उपलब्ध नहीं है। हालाँकि, नियमावली के अनुबंध-II के खंड (vii) में, अन्य बातों के साथ-साथ, उन कारकों का प्रावधान है जिन पर विचार किया जा सकता है, अर्थात्
 - क. भारत में पाटित आयातों में वृद्धि की काफी दर आयात में काफी वृद्धि की संभावना को दर्शाती है।
 - ख. किसी भी अतिरिक्त निर्यात को लेने के लिए अन्य निर्यात बाजारों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, निर्यातकों की क्षमता में पर्याप्त रूप से स्वतंत्र रूप से निपटान योग्य, या आसन्न, पर्याप्त वृद्धि जो भारतीय बाजारों में पर्याप्त रूप से पाटित निर्यातों की संभावना को दर्शाती है।
 - ग. क्या आयात ऐसी कीमतों पर आ रहे हैं जिनका घरेलू कीमतों पर काफी न्यूनीकरण या हासमान प्रभाव पड़ेगा और जिससे आगे के आयात की मांग बढ़ने की संभावना है; और
 - घ. वस्तु की मालसूची की जांच की जा रही है।
89. प्राधिकारी ने, अन्य बातों के साथ-साथ, उपरोक्त आवश्यकताओं पर विचार किया है और यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति की स्थिति, पाटन की

संभावना है, और यदि हां, तो क्या पाटनरोधी शुल्क समाप्त करने की स्थिति में घरेलू उद्योग को उससे क्षति होने की संभावना है।

क. निरंतर पाटन

90. नीचे दी गई तालिका चीन से आयात के मामले में मूल जांच और वर्तमान जांच में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाटन मार्जिन को दर्शाती है।

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	मूल जांच	वर्तमान जांच
1	नैनटोंग एसिटिक एसिड केमिकल्स कंपनी लिमिटेड	%	20-30%	10-20%
2	किंगदाओ हैवान स्पेशलिटी केमिकल्स कंपनी लिमिटेड	%	30-40%	50-60%
3	अन्य सभी	%	40-50%	80-90%

91. तालिका से पता चलता है कि चीन से पाटन जारी है। वर्तमान अवधि में पाटन की निरंतरता उपायों की समाप्ति की घटना में पाटन की संभावना को दर्शाती है।

ख. भारत में पाटित आयातों की वृद्धि की दर

92. डीजीसीआईएंडएस लेनदेन वार आयात आंकड़ों की सूचना नीचे दी गई है।

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	2022-23	2023-24	2024-25	जांच की अवधि
1	चीन जन.गण. से आयात	एमटी	3,546	3,610	4,605	4,358
2	निम्नलिखित के संबंध में आयात					
क	उत्पादन	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	81	88	88
ख.	खपत	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	94	102	99

93. उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि उत्पादन और खपत के संबंध में आयात की मात्रा पहले घटी, फिर बढ़ी और फिर और भी कम हो गई। हालांकि, यह देखा जाता है कि आयात लगातार काफी बने हुए हैं।

ग. संबद्ध देश में उत्पादकों के पास उपलब्ध स्वतंत्र रूप से निपटान योग्य क्षमता

94. स्वतंत्र रूप से निपटान योग्य क्षमता की सूचना प्रतिभागी उत्पादकों द्वारा दायर प्रतिक्रिया के आधार पर गणना की गई है और नीचे दिखाई गई है।

क्र. सं.	विवरण	क्षमता (विचाराधीन उत्पाद)	उत्पादन (विचाराधीन उत्पाद)	निष्क्रिय क्षमता	रेंज
1	नैनटोंग एसिटिक एसिड केमिकल्स कंपनी लिमिटेड	***	***	***	
2	किंगदाओ हैवान स्पेशलिटी केमिकल्स कंपनी लिमिटेड	***	***	***	
3	कुल	***	***	***	
4	भारत में मांग			***	
5	भारत में मांग के प्रतिशत के रूप में बेकार क्षमता			***	130-140

स्रोत: चीन जन.गण. से दो प्रतिभागी उत्पादकों द्वारा दायर ईक्यूआर का परिशिष्ट-1

95. चीन जन.गण. से प्रतिभागी उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों से पता चलता है कि जांच की अवधि के दौरान *** एमटी के उत्पादन की तुलना में *** एमटी की संयुक्त क्षमता है। जिसके परिणामस्वरूप, ***एमटी की बेकार क्षमता है। प्रतिभागी उत्पादकों की निष्क्रिय क्षमता भारतीय मांग *** एमटी के लगभग ***% के बराबर है। यह पर्याप्त अप्रयुक्त क्षमता भारत को निर्यात बढ़ाने के लिए उत्तरदाता उत्पादकों के पास काफी क्षमता दर्शाती है और इसीलिए बढ़े हुए आयातों और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति की संभावना का मूल्यांकन करने में एक संगत कारक है।

घ. संबद्ध देश में उत्पादकों की निर्यातोन्मुखता

96. उत्पादन और कुल निर्यात की सूचना नीचे दी गई है। यह सूचना प्रतिभागी उत्पादकों द्वारा दायर प्रत्युत्तर से परिकलित की गई है।

क्र. सं.	विवरण	क्षमता (विचाराधीन उत्पाद)	उत्पादन (विचाराधीन उत्पाद)	निष्क्रिय क्षमता	रेंज %
1	नैनटोंग एसिटिक एसिड केमिकल्स कंपनी लिमिटेड	***	***	***	30-40
2	किंगदाओ हैवान स्पेशलिटी केमिकल्स कंपनी लिमिटेड	***	***	***	10-20
3	कुल	***	***	***	20-30

स्रोत: चीन जन.गण. से दो प्रतिभागी उत्पादकों द्वारा दायर ईक्यूआर का परिशिष्ट-1

97. चीन जन.गण. से प्रतिभागी उत्पादकों ने *** एमटी का निर्यात किया, जो उनके *** एमटी के कुल उत्पादन का लगभग ***% है, जो यह दर्शाता है कि उनका उत्पादन पूर्व प्रभावी रूप से घरेलू बाजार की ओर उन्मुख है। तथापि, उनकी काफी अप्रयुक्त क्षमता को देखते हुए, मौजूदा निर्यातोन्मुखता को अलग से नहीं देखा जा सकता है। मौजूदा पाटनरोधी शुल्क के समाप्त होने की स्थिति में, उत्पादकों के पास अपनी उपलब्ध क्षमता के एक हिस्से को भारतीय बाजार की ओर पुनर्निर्देशित करने की क्षमता हो सकती है, जिससे भारत को निर्यात की क्षमता बढ़ सकती है और घरेलू उद्योग पर दबाव पड़ सकता है। इस कारक को पहले से ही रिपोर्ट की गई पर्याप्त निष्क्रिय क्षमता के साथ पढ़ा जाता है, इसलिए चीन जन.गण. से आयात में वृद्धि की संभावना के आकलन के लिए संगत है।

ड. तीसरे देश को क्षतिकारक निर्यात

98. नीचे दी गई तालिका में उत्तरदाता उत्पादकों द्वारा तीसरे देशों को किए गए निर्यात और क्षतिकारक कीमतों पर निर्यात की मात्रा (क्षतिरहित कीमत से नीचे निर्यात) को दर्शाया गया है।

संबद्ध देश	कुल निर्यात (एमटी)	उचित बिक्री कीमत से कम निर्यात (एनआईपी) (एमटी)	क्षतिकारक निर्यातों का हिस्सा (%)	रेंज
नैनटोंग एसिटिक एसिड केमिकल्स कंपनी लिमिटेड	***	***	***	90-100
किंगदाओ हैवान स्पेशलिटी केमिकल्स कंपनी लिमिटेड	***	***	***	80-90
कुल	***	***	***	90-100

99. उपरोक्त तालिका से देखा जाता है कि:

- नांटोंग एसिटिक एसिड केमिकल्स कंपनी लिमिटेड के मामले में, निर्यात का ***% क्षतिरहित कीमतों से कम है।
- चिंगदाओ हैवान स्पेशलिटी केमिकल्स कंपनी लिमिटेड के मामले में, निर्यात का ***% क्षतिरहित कीमतों से कम है।

च. क्षति के जारी रहने/बार बार होने की संभावना संबंधी निष्कर्ष

100. उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर, प्राधिकारी निम्नलिखित निष्कर्ष निकालते हैं:

- संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित पाटन की कीमतों पर घरेलू बाजार में आना जारी रहे हैं।
- संबद्ध देश के मूल के आयात भारतीय घरेलू बाजार में काफी बाजार हिस्सेदारी बनाए रखते हैं, और वर्तमान में लागू पाटनरोधी उपायों की समाप्ति या वापसी की

स्थिति में, ऐसे आयात घरेलू बाजार में प्रचलित कीमत स्तरों पर एक हासमान प्रभाव डालने की संभावना है।

ग. संबद्ध देश के दो प्रतिभागी निर्यातकों द्वारा रिकॉर्ड में रखी गई सूचना और आंकड़े ये दर्शाते हैं कि प्रतिभागी उत्पादकों ने जांच की अवधि के दौरान अपने उत्पादन का काफी हिस्सा निर्यात किया, और भारत ऐसे निर्यात का प्रमुख गंतव्य था, जो उनके कुल निर्यात का लगभग ***% था।

घ. दो प्रतिभागी उत्पादकों द्वारा रिकॉर्ड में रखी गई सूचना से यह भी सिद्ध होता है कि उक्त उत्पादक काफी निष्क्रिय या कम उपयोग की गई उत्पादन क्षमताओं के साथ काम कर रहे हैं, और वर्तमान में लागू पाटनरोधी उपायों की समाप्ति की स्थिति में निर्यात मात्रा में वृद्धि की उचित संभावना है।

ड. दो प्रतिभागी उत्पादकों के संचयी आधार पर तीसरे देशों को निर्यात का ***% क्षतिरहित कीमत से कम कीमत पर है।

च. जांच की अवधि के दौरान संबद्ध आयातों का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम है। उपर्युक्त के आलोक में, प्राधिकारी का सुविचारित मत है कि पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में, पाटित आयातों के जारी रहने या बार बार होने का घरेलू उद्योग के निष्पादन, विश्वसनीयता और समग्र आर्थिक स्थिति पर वास्तविक रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।

101. प्राधिकारी निष्कर्ष निकालते हैं कि जांच से पता चला है कि पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने की स्थिति में घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना के पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं।

ज. कारणात्मक संपर्क और गैर-आरोपण विश्लेषण

102. नियमावली के अनुसार, प्राधिकारी को, अन्य बातों के साथ-साथ, पाटित आयातों को छोड़कर किसी भी ज्ञात कारकों की जांच करने की आवश्यकता है जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे हैं या क्षति पहुंचाने की संभावना है, ताकि इन अन्य कारकों के कारण होने वाली क्षति को पाटित आयातों के कारण न माना जाए। जबकि वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है और मूल जांच में पहले से ही कारणात्मक संपर्क की जांच की गई है, प्राधिकारी ने जांच की है कि क्या अन्य ज्ञात सूचीबद्ध कारकों ने घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाई

है या क्षति पहुंचाने की संभावना है। यह जांच की गई कि क्या नियमावली के तहत सूचीबद्ध अन्य कारकों ने योगदान दिया होगा या घरेलू उद्योग को हुई क्षति में योगदान करने की संभावना है।

क. तीसरे देशों से आयात की मात्रा और कीमत

103. अन्य देशों से आयात से कोई क्षति नहीं हुई है क्योंकि वे अधिक कीमतों पर और न्यूनतम स्तर से अधिक हैं।

ख. मांग में संकुचन

104. इस अवधि में संबद्ध सामानों की मांग में वृद्धि हुई है और इसकी वृद्धि की प्रवृत्ति जारी रहने की उम्मीद है। इसलिए, मांग में संभावित संकुचन के कारण घरेलू उद्योग को कोई क्षति होने की संभावना नहीं है।

ग. व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियां

105. कोई भी व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटी नहीं है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हुई हो या क्षति होने की संभावना हो।

घ. प्रौद्योगिकी में विकास

106. रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना से पता चलता है कि उत्पाद के उत्पादन की तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसलिए, प्रौद्योगिकी घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने का कारण नहीं हो सकती।

ड. निर्यात निष्पादन

107. घरेलू उद्योग काफी हद तक घरेलू बाजार में है। किसी भी मामले में, निर्यात निष्पादन को अलग कर दिया गया है।

च. कंपनी के अन्य उत्पादों का निष्पादन

108. प्राधिकारी ने केवल संबद्ध सामानों के निष्पादन से संबंधित आंकड़ों पर विचार किया है। इसलिए, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और बेचे जाने वाले अन्य उत्पादों का निष्पादन घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने का संभावित कारण नहीं है।

ट. क्षति मार्जिन की मात्रा

109. प्राधिकारी ने यथासंशोधित अनुबंध III के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए क्षति रहित कीमत निर्धारित की है। विचाराधीन उत्पाद की क्षतिरहित कीमत घरेलू उद्योग द्वारा दी गई उत्पादन लागत से संबंधित सूचना/आंकड़ों को अपनाकर निर्धारित की गई है। क्षति मार्जिन के परिकलन के लिए संबद्ध देश से पहुंच कीमत की तुलना करने के लिए क्षतिरहित कीमत पर विचार किया गया है। क्षतिरहित कीमत के निर्धारण के लिए क्षति की अवधि में कच्ची सामग्री और यूटिलिटियों के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। क्षति की अवधि में उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। उत्पादन लागत से असाधारण अथवा गैर-आवर्ती व्यय अलग किए गए हैं। विचाराधीन उत्पाद के लिए औसत नियोजित पूंजी (अर्थात् औसत निवल अचल परिसंपत्तियां और औसत कार्यशील पूंजी) पर उपयुक्त आय (कर-पूर्व 22% की दर से) पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III में निर्धारित क्षतिरहित कीमत निकालने के लिए कर पूर्व लाभ के रूप में अनुमति दी गई थी।
110. उपर्युक्त निर्धारित पहुंच कीमत और क्षतिरहित कीमत की तुलना विचाराधीन उत्पाद के लिए की गई है। उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्धारित क्षति मार्जिन का भारित औसत नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

क्र. सं.	विवरण	एनआईपी (डॉ./एमटी)	पहुंच कीमत (डॉ./एमटी)	क्षति मार्जिन		
				(डॉ./एमटी)	%	रेंज
1	नैनटोंग एसिटिक एसिड केमिकल कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	0 - 10
2	किंगदाओ हैवान स्पेशलिटी केमिकल कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	30-40
3	अन्य सभी उत्पादक/निर्यातक	***	***	***	***	80-90

ठ. भारतीय उद्योग के हित और अन्य मुद्दे

ठ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

111. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने भारतीय उद्योग के हित के बारे में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- i. पाटनरोधी शुल्क का जारी रहना जनहित में नहीं होगा।
- ii. संबद्ध आयात पहले से ही 7.5% के पाटनरोधी शुल्क और बुनियादी सीमा शुल्क के अधीन हैं।
- iii. शुल्कों को जारी रखने या बढ़ाने से निचले स्तर के उद्योगों और उपभोक्ताओं के लिए इनपुट लागत बढ़ जाएगी।

ठ.2 घरेलू उद्योग के अनुरोध

112. घरेलू उद्योग ने भारतीय उद्योग के हित के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- i. आवेदक वर्तमान में दाहेज में एक नए संयंत्र में निवेश कर रहा है।
- ii. विचाराधीन उत्पाद पर शुल्क की निरंतरता घरेलू विनिर्माताओं और उपभोक्ताओं के हित में होगी।
- iii. संबद्ध सामानों का कोई प्रत्यक्ष अंतिम उपयोग अनुप्रयोग नहीं है और उपयोग किए जाने के लिए आगे की प्रक्रिया से गुजरना चाहिए।
- iv. निचले स्तर के उद्योगों और अंतिम उपभोक्ताओं पर शुल्क का प्रभाव नगण्य है।
- v. वर्तमान जांच में किसी भी प्रयोक्ताओं ने भाग नहीं लिया है। यह पाटनरोधी उपायों के किसी भी प्रतिकूल प्रभाव का न होना सिद्ध करता है।

ठ.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

113. प्राधिकारी ने विचार किया कि क्या पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश जारी रखना जनहित के विरुद्ध होगा। यह निर्धारण घरेलू उद्योग, विदेशी उत्पादकों और उपभोक्ताओं सहित विभिन्न पक्षकारों के रिकॉर्ड और हितों की सूचना पर विचार के आधार पर किया जाता है।

114. प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों, जिसमें आयातक और अन्य हितबद्ध पक्षकार शामिल हैं, से विचार आमंत्रित करते हुए राजपत्र अधिसूचना जारी की। प्राधिकारी ने प्रयोक्ताओं के लिए एक प्रश्नावली भी निर्धारित की है ताकि वे वर्तमान समीक्षा जांच के संबंध में संगत सूचना प्रदान कर सकें, जिसमें उनके प्रचालन पर पाटनरोधी शुल्क का संभावित प्रभाव भी शामिल है। प्राधिकारी अन्य बातों के साथ साथ विभिन्न देशों के विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पाद की परस्पर परिवर्तनीयता, स्रोतों को बदलने की क्षमता की खपत पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव, पाटनरोधी शुल्क की निरंतरता के कारण नई स्थिति में समायोजन में तेजी लाने या देरी करने की संभावना वाले कारकों पर सूचना मांगी।
115. यह नोट किया जाता है कि पाटनरोधी उपायों का उद्देश्य, सामान्य तौर पर, पाटन की अनुचित व्यापार परिपाटियों से घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुले और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की स्थिति को फिर से स्थापित किया जा सके, जो देश के सामान्य हित में है। प्राधिकारी यह मानते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से विचाराधीन उत्पाद के साथ-साथ भारत में संबद्ध सामानों का उपयोग करके निर्मित अन्य निचले स्तर के उत्पादों के कीमत स्तर प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि, भारतीय बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा पाटनरोधी उपायों के लागू होने से कम नहीं होगी। इसके विपरीत, पाटनरोधी उपायों के लागू होने से कम कीमत वाले आयात के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग के निष्पादन मापदंडों में गिरावट को रोका जा सकेगा और विचाराधीन उत्पाद के उपभोक्ताओं के लिए विकल्पों की व्यापक उपलब्धता बनाए रखने में मदद मिलेगी।
116. किसी भी प्रयोक्ता ने निर्धारित आर्थिक हित प्रश्नावली के उत्तर दायर नहीं किए हैं। पाटनरोधी शुल्क के प्रतिकूल प्रभाव को दर्शाने वाले किसी भी मात्रात्मक साक्ष्य की अनुपस्थिति में, प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालने में असमर्थ है कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से निचले स्तर के उद्योगों को असमान नुकसान होगा। तदनुसार, प्राधिकारी ने प्रभाव का आकलन करने के उद्देश्य से घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों सहित रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना पर भरोसा किया है।

117. घरेलू उद्योग ने पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव को निम्नानुसार निर्धारित किया है:

क्र. सं.	विवरण	इकाई	कोटिंग्स	प्लास्टिक	स्याही
1	एरिलाइड्स पर सबसे कम शुल्क	%	24.79	24.79	24.79
2	पिगमेंट की कुल लागत में एलाइड्स के कारण लागत का हिस्सा	%	10	10	10
3	पिगमेंट लागत में वृद्धि	%	2.48	2.48	2.48
4	पिगमेंट प्राइस	रु/किग्रा	550	550	550
5	वर्णक लागत में वृद्धि	रु/किग्रा	13.63	13.63	13.63
6	डाउनस्ट्रीम उत्पाद का अनुमानित मूल्य	रु/किग्रा	220	300	250
7	डाउनस्ट्रीम उत्पाद की कुल लागत में वर्णक के कारण लागत का हिस्सा	%	7	18	13
8	अनुप्रवाह उत्पाद में पिगमेंट की लागत	रु/किग्रा	15.4	54	32.5
9	अनुप्रवाह उत्पाद में खपत वर्णक की लागत में वृद्धि	रु/किग्रा	0.38	1.34	0.81
10	पिगमेंट के डाउनस्ट्रीम उद्योग पर प्रभाव	%	0.17	0.45	0.32

118. पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव नगण्य पाया गया है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से भारत में संबद्ध सामानों की कमी नहीं होगी। यह नोट किया जाता है कि पाटनरोधी शुल्क आयात को प्रतिबंधित नहीं करता है, लेकिन यह सुनिश्चित करता है कि आयात उचित कीमतों पर उपलब्ध हों। इसलिए, शुल्क लगाने से उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी। किसी भी स्थिति में, भारतीय उद्योग की क्षमता संपूर्ण भारतीय मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त से अधिक है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि देश में पर्याप्त आपूर्ति बनी रहे।

ड. प्रकटन पश्चात टिप्पणियां

119. प्राधिकारी के विचाराधीन आवश्यक तथ्यों वाला प्रकटन विवरण सभी हितबद्ध पक्षकारों को 1 अक्टूबर 2026 को जारी किया गया था। प्रकटन विवरण पर टिप्पणियां घरेलू उद्योग, नैनटॉग एसिटिक एसिड केमिकल कंपनी लिमिटेड, (जिसे इसके बाद "नानटॉग"

कहा गया है) और किंगदाओ हैवान स्पेशलिटी केमिकल्स कं, लिमिटेड (जिसे इसके बाद "किंगदाओ हैवान" कहा गया है) से प्राप्त हुई हैं। टिप्पणियों को संक्षेप में नीचे जांचा गया है।

ड.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

120. किंगदाओ हैवान ने प्रकटन विवरण पर निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- i. प्रकटन विवरण में क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंडों में पर्याप्त सुधार दर्ज किया गया है। उत्पादन में वृद्धि **%, विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन **%, घरेलू बिक्री **%, क्षमता उपयोग **% और प्रति कर्मचारी उत्पादकता **% के साथ-साथ बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि हुई। इस तरह के सुधार का मतलब यह नहीं है कि शुल्क स्वचालित रूप से जारी रहने चाहिए। इसके अलावा, जांच की अवधि में दौरान लाभप्रदता, नकद लाभ और निवेश पर आय में गिरावट को अन्य संगत कारकों की जांच किए बिना स्वचालित रूप से आयात के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।
- ii. घरेलू उद्योग के प्रकटन विवरण के पैरा 85(ii) और (iii) में दर्ज किए गए घरेलू उद्योग के इस आरोप कि भारत को किंगदाओ हैवान के निर्यात में वृद्धि हुई जबकि तीसरे देशों को इसके निर्यात में गिरावट आई और भारत को इसकी निर्यात कीमत में गिरावट घरेलू बिक्री कीमत की तुलना में अधिक दर से हुई, अपने आप में भारतीय बाजार के चयनात्मक पाटन या लक्ष्यीकरण को सिद्ध नहीं करता है। मांग, उत्पाद मिश्रण, ग्राहक आवश्यकताओं, संविदात्मक व्यवस्थाओं और बाजार की स्थितियों के कारण विभिन्न बाजारों में मात्रा और कीमतों में अंतर उत्पन्न हो सकता है। ऐसी तुलना के आधार पर कोई प्रतिकूल अनुमान नहीं लगाया जाना चाहिए।
- iii. आयात की प्रवृत्ति पर्याप्त रूप से बढ़े हुए आयात की संभावना सिद्ध नहीं करते हैं। क्षति की अवधि के दौरान चीन जन.गण. से आयात में उतार-चढ़ाव आया और जांच की अवधि में 2024-25 की तुलना में गिरावट आई, और उत्पादन और खपत के संबंध में आयात में लगातार ऊपर की ओर प्रवृत्ति नहीं दिखी। घरेलू उद्योग ने मांग में वृद्धि के मुकाबले अपनी बिक्री में **% की वृद्धि की। शुल्क की अवधि के दौरान आयात की निरंतरता संभावना सिद्ध नहीं कर सकती है।

- iv. निष्क्रिय क्षमता का औचित्य अपने आप में भारत को निर्यात में वृद्धि की संभावना को सिद्ध नहीं कर सकता है। मूल्यांकन में उत्पादक-विशिष्ट कारकों जैसे घरेलू मांग, मौजूदा निर्यात प्रतिबद्धताओं और वैकल्पिक बाजारों पर विचार किया जाना चाहिए। दो उत्पादकों की संयुक्त निष्क्रिय क्षमता को किंगदाओ हैवान के संभावित निर्यात व्यवहार के प्रमाण के रूप में नहीं माना जा सकता है।
- v. प्रकटन विवरण स्वयं दर्शाता है कि निर्यात में भाग लेने वाले उत्पादकों के उत्पादन का केवल 15-25% हिस्सा था, जो मुख्य रूप से घरेलू बाजार की ओर उन्मुख हैं। यह निष्कर्ष कि उत्पादक काफी हद तक निर्यातोन्मुख हैं, पर पुनर्विचार की आवश्यकता है।
- vi. भारत के उद्योग के क्षतिरहित कीमत से कम तीसरे देश की निर्यात कीमत यह सिद्ध नहीं करती हैं कि ऐसे निर्यात पाटित किए गए हैं या यह कि सामान भारत को क्षतिकारक कीमतों पर निर्यात किया जाएगा। तुलना को उत्पाद प्रकार, बाजार की स्थिति, व्यापार के स्तर, माल भाड़ा और अन्य समायोजन में अंतर को ध्यान में रखना चाहिए, और इसे उत्पादक-विशिष्ट आधार पर किया जाना चाहिए।
- vii. नियोजित पूंजी पर 22% आय का समान अनुप्रयोग क्षतिरहित कीमत और परिणामस्वरूप क्षति मार्जिन को बढ़ाता है। अनुमत आय पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए और किंगदाओ हैवान के लिए क्षतिरहित कीमत और क्षति मार्जिन की पुनर्गणना की जानी चाहिए।
- viii. प्रयोक्ताओं की गैर-भागीदारी यह सिद्ध नहीं कर सकती है कि शुल्कों की निरंतरता का निचले स्तर के उद्योगों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। पिगमेंट की लागत में एराइलाइड्स की हिस्सेदारी के संबंध में घरेलू उद्योग की मान्यताओं की जांच की जानी चाहिए। घरेलू उद्योग भारत में एकमात्र उत्पादक है, और प्रयोक्ताओं के लिए उचित सोर्सिंग विकल्पों को संरक्षित किया जाना चाहिए।
- ix. बिना किसी पूर्वाग्रह के, यदि शुल्कों की निरंतरता उचित मानी भी जाती है, तो मौजूदा शुल्क बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है। प्राधिकारी को उत्पादक-विशिष्ट पाटन मार्जिन, क्षति मार्जिन और शुल्क के मौजूदा स्तर पर विचार करना चाहिए, और किंगदाओ हैवान पर लागू मौजूदा शुल्क को बढ़ाए बिना बनाए रखा जाना चाहिए।

121. नंतोंग ने प्रकटन विवरण पर निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- i. प्रकटन विवरण में दर्ज किया गया है कि नैनटोंग ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर दायर किया और दावा किए गए समायोजन की अनुमति देने के बाद उसके सत्यापित आंकड़ों के आधार पर उसकी निर्यात कीमत का निर्धारण किया गया था। प्राधिकारी से अनुरोध है कि वह अंतिम जांच परिणामों में एक सहयोगी उत्पादक/निर्यातक के रूप में अपनी स्थिति की पुष्टि करे। किसी भी परिवर्तन की स्थिति में, एक संशोधित प्रकटन विवरण जारी किया जाना चाहिए और टिप्पणी करने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए।
- ii. 4 अक्टूबर 2026 की तारीख के ईमेल के माध्यम से नैनटोंग को अलग से बताए गए 10-20% के पाटन मार्जिन और 0-10% के क्षति मार्जिन के साथ निवल निर्यात कीमत *** यूएसडी/एमटी और 10-20% के पहुंच मूल्य *** यूएसडी/एमटी की पुष्टि अंतिम जांच परिणामों में की जानी चाहिए। किसी भी संशोधन के लिए संशोधित प्रकटन विवरण की आवश्यकता होगी।
- iii. अधिनियम की धारा 9क(5) और नियम 17 के साथ पठित नियम 23 जो प्राधिकारी के मैनुअल ऑफ ऑपरेटिंग प्रैक्टिस के पैरा 17.29 और नियम 23(3) की दृष्टि से समीक्षाओं पर लागू हैं, में यह अपेक्षित है कि निर्णायक समीक्षा में शुल्क की मात्रा को नए मार्जिन के आधार पर फिर से निर्धारित किया जाए। मूल शुल्क की यांत्रिक निरंतरता समीक्षा को व्यर्थ कर देगी। भारतीय ग्रेफाइट मैन्युफैक्चर्स एसोसिएशन बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी, (2006) 199 ईएलटी 722, शंघाई फॉर्च्यून केमिकल कंपनी लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी, 2016 (342) ईएलटी 578 और रॉबिन रिसोर्सेज बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी, 2016 (342) ईएलटी 118, और एट्रज़िन टेक्निकल, सीपीवीसी, ज़ियोलाइट 4ए, पीटीएफई, एमोक्सीसिलिन, एल्युमिनियम फ़ॉइल और मेथिलिन क्लोराइड सहित कई निर्णायक समीक्षाओं में और माननीय सेस्टैट के निर्णयों पर विश्वास किया गया है, जिनमें शुल्कों को संशोधित किया गया था।
- iv. चूंकि नैनटोंग (0-10%) के लिए निर्धारित क्षति मार्जिन उसके पाटन मार्जिन (10-20%) से कम है, नैनटोंग के लिए अनुशंसित कोई भी शुल्क क्षति मार्जिन तक सीमित होना चाहिए। नान्तोंग पर लागू 26.64% की दर से मूल शुल्क जारी रखने से घरेलू उद्योग को अधिक संरक्षण मिलेगा।
- v. रिकॉर्ड पर मौजूद तथ्य शुल्क के पुनः समायोजन का समर्थन करते हैं। एक एकल घरेलू उत्पादक है, मांग में बिना क्षमता में वृद्धि के वृद्धि हुई है, और मांग-आपूर्ति

अंतर है। घरेलू उद्योग के मात्रात्मक मापदंडों में सुधार हुआ है। जांच की वर्तमान अवधि में आयात का पहुंच मूल्य (रु. ***/एमटी) मूल जांच (रु. ***/एमटी) की तुलना में अधिक है, और घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत वर्तमान क्षति की अवधि के दौरान लगभग ***% की गिरावट आई है, जबकि मूल जांच की क्षति की अवधि के दौरान इसमें वृद्धि हुई थी।

ड.2 घरेलू उद्योग के अनुरोध

122. घरेलू उद्योग ने प्रकटन विवरण पर निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- i. प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र, समान वस्तु को सही निर्धारित किया है और आवेदक नियमावली के नियम 2(ख) के अभिप्राय से घरेलू उद्योग है।
- ii. नाटोंग और किंगदाओ हैवान के लिए निर्धारित पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन के बीच एक उल्लेखनीय अंतर है, हालांकि दोनों उत्पादकों ने भारत में असंबद्ध ग्राहकों को सीधे निर्यात किया है। घरेलू उद्योग के पास उपलब्ध बाजार आसूचना के अनुसार, दो उत्पादकों की ग्रेड-वार पहुंच कीमतें और निर्यात कीमतें समान सीमा में हैं। प्राधिकारी से अनुरोध है कि वह उत्पादकों के डेटा आंकड़ों की पुनः जांच करे और डीजी सिस्टम आंकड़ों के साथ इसकी पुष्टि करे।
- iii. पाटनरोधी शुल्क से घरेलू उद्योग को बाजार में बने रहने की अनुमति मिली है। निर्णायक समीक्षा का उद्देश्य यह जांचना है कि क्या शुल्क की समाप्ति पर स्थिति वैसी ही रहेगी। एकमात्र उत्पादक होने के कारण, घरेलू उद्योग प्रचलित कीमतों से मेल खाने के लिए मजबूर है, जो चीनी आयात की कीमतें हैं। क्विन्गदाओ हैवान ने अपने उत्तर में यह स्वीकार किया है, जिसमें उसने कहा है कि "याचिकाकर्ता ने चीन से विचाराधीन उत्पाद के आयात मूल्यों के आधार पर अपनी बिक्री कीमतों को समायोजित किया है"।
- iv. प्रकटन विवरण में जांचे गए कारक, अर्थात् निरंतर पाटन, मांग में 23% की वृद्धि, संबद्ध आयात में 18% की वृद्धि, सकारात्मक कीमत कटौती, कीमत हास, हानियां, नकद हानियां, निवेश पर नकारात्मक आय और मालसूची में वृद्धि, निरंतर क्षति सिद्ध करते हैं। लागू शुल्कों के बावजूद घरेलू उद्योग को क्षति होना जारी है, और शुल्क की समाप्ति की स्थिति में नुकसान काफी अधिक होगा।

- v. पाटन और क्षति की संभावना ऐसी निष्क्रिय क्षमता के बावजूद लगातार पाटन, मांग के लगभग 40% को पूरा करने वाले आयात, दो प्रतिभागी उत्पादकों की निष्क्रिय क्षमता भारतीय मांग के 130-140% के बराबर, और उनके उत्पादन के 15-25% के निर्यात से सिद्ध होती है। चिंगदाओ हैवान की प्रतिक्रिया से पता चलता है कि भारत को इसके निर्यात में वृद्धि हुई (सूचकांक 100 से 284) जबकि तीसरे देशों को इसके निर्यात में गिरावट आई (सूचकांक 100 से 87), और यह कि भारत को इसके निर्यात कीमत में गिरावट घरेलू बिक्री कीमत की तुलना में तेजी से हुई, जिससे भारतीय बाजार में चयनात्मक पाटन सिद्ध होता है।
- vi. शुल्कों का जारी रहना जनहित में है। घरेलू उद्योग एरिलाइड्स के लिए समर्पित क्षमताओं के साथ दाहेज में एक नए संयंत्र में लगभग ***करोड़ रु. के निवेश को क्रियान्वित कर रहा है, जिसके लिए पर्यावरण मंजूरी रिकॉर्ड पर रखी गई है। वेलियंट एडवांस्ड साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड भी संभावित रूप से संबद्ध सामानों का निर्माण शुरू करने की प्रक्रिया में है, जैसा कि उसकी पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट से स्पष्ट है। जांच में किसी भी प्रयोक्ता ने भाग नहीं लिया है। निचले स्तर के उत्पादों पर शुल्क का प्रभाव केवल 0.17% से 0.45% है, और आयात का एक काफी हिस्सा शुल्क के भुगतान के बिना अग्रिम प्राधिकार के तहत किया जाता है। पिडिलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड और सुदर्शन केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड जैसे प्रयोक्ताओं ने 2024-25 में अपने पिगमेंट व्यापार में वृद्धि सूचित की है। सूची प्रबंधन, लीड टाइम, विदेशी मुद्रा जोखिम और आपूर्ति-श्रृंखला लचीलापन के संदर्भ में उपभोक्ताओं के हित में एक जीवंत घरेलू उद्योग है।
- vii. पांच साल की अवधि के लिए पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को अपनी लाभप्रदता को पुनः प्राप्त करने, निवेश पर अपनी आय में सुधार करने और अपनी विस्तार योजनाओं को लागू करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक है।

ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

123. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों की प्रकटन पश्चात की टिप्पणियों की जांच की है। जो टिप्पणियां पहले के अनरोधों की पुनरावृत्ति हैं और जिनकी पहले ही इन जांच परिणामों के संगत खंडों में जांच की जा चुकी है, उन्हें संक्षिप्तता के लिए दोहराया नहीं जा रहा है। प्रकटन के बाद की टिप्पणियों में पहली बार उठाए गए मुद्दों और प्राधिकारी द्वारा संगत माने जाने वाले मुद्दों की जांच नीचे की गई है।

124. नान्तोंग और किंगदाओ हैवान के अनुरोध के संबंध में, प्राधिकारी पुष्टि करते हैं कि दोनों उत्पादकों को सहयोगी उत्पादक/निर्यातक के रूप में माना गया है और उनकी व्यक्तिगत निर्यात कीमत, पहुंच मूल्य, पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन को उनके सत्यापित आंकड़ों के आधार पर निर्धारित किया गया है। इन उत्पादकों के संबंध में प्रकट किए गए आवश्यक तथ्यों में कोई बदलाव नहीं है, सिवाय किंगदाओ हैवान के लिए पहुंच मूल्य और क्षति मार्जिन की गणना में एक सुधार के, जिसे तब से ठीक कर दिया गया है।
125. घरेलू उद्योग के नान्तोन्ग और किंगदाओ हैवान के लिए निर्धारित मार्जिन में अंतर की पुनः जांच करने के अनुरोध के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रत्येक उत्पादक की निर्यात कीमत प्रश्नावली उत्तर में सूचित किए अनुसार और प्राधिकारी द्वारा सत्यापित किए गए अनुसार भारत को उसकी लेनदेन-वार निर्यात बिक्री से पीसीएन-वार आधार पर निर्धारित किया गया है। घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत तुलना उसके अपने बाजार सूचना के अनुमानों पर आधारित है, न कि रिकॉर्ड में मौजूद वास्तविक लेनदेन आंकड़ों पर। भारत औसत मार्जिन में अंतर प्रत्येक उत्पादक द्वारा भारत और उसके पीसीएन मिश्रण के निर्यात पर प्राप्त वास्तविक कीमतों को दर्शाता है। इसलिए प्राधिकारी को निर्धारित मार्जिन को संशोधित करने का कोई कारण नहीं मिला। यह भी जोड़ा जा सकता है कि दोनों उत्पादकों की निर्यात बिक्री को डीजी सिस्टम आंकड़ों के साथ मिलाया गया था।
126. घरेलू उद्योग के निष्पादन में सुधार के संबंध में किंगदाओ हैवान के तर्क के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि मात्रा मापदंडों में सुधार पाटनरोधी शुल्क लागू होने के दौरान हुआ है और शुल्क के इच्छित प्रभाव को दर्शाता है। शुल्कों के बावजूद, घरेलू उद्योग के कीमत मापदंड खराब हो गए हैं। बिक्री कीमत में क्षति की अवधि में बिक्री लागत में लगभग ***% की गिरावट के मुकाबले लगभग ***% की गिरावट आई। घरेलू उद्योग 2022-23 में लाभ से प्रत्येक अगले वर्ष में हानियों में चला गया और उसे नकद हानियां हुईं और जांच की अवधि में निवेश पर नकारात्मक आय हुई। आयात का पहुंच मूल्य, पाटनरोधी शुल्क पर विचार किए बिना, बिक्री की लागत और बिक्री कीमत, से कम है, और सभी उत्पाद प्रकारों में घरेलू कीमतों को ***% से ***% की कटौती करता है। किंगदाओ हैवान ने अपने उत्तर में स्वयं कहा है कि घरेलू उद्योग ने चीन से उत्पाद की आयात कीमतों के आधार पर अपनी बिक्री कीमतों को समायोजित किया है, जो पुष्टि करता है कि संबद्ध आयात भारतीय बाजार में कीमत निर्धारित करते हैं। उपरोक्त खंड जे में गैर-आरोपण विश्लेषण से पता चलता है कि किसी अन्य कारक ने घरेलू उद्योग क्षति नहीं

पहुंचाई है। निर्णायक समीक्षा में, प्राधिकारी को यह निर्धारित करने की आवश्यकता है कि क्या शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति के जारी रहने या बार बार होने की संभावना है, और शुल्क की अवधि के दौरान कुछ मापदंडों में सुधार स्वयं ऐसी संभावना को नकारता नहीं है। इसलिए यह तर्क स्वीकार्य नहीं है।

127. जहां तक आयातों की प्रवृत्ति का प्रश्न है, प्राधिकारी ने इस आधार पर कार्यवाही नहीं की है कि संबद्ध आयात तेजी से बढ़ रहे हैं। लागू शुल्कों के बावजूद क्षति की अवधि में संबद्ध आयातों में 18% की वृद्धि हुई है, और जांच की अवधि में 2024-25 की तुलना में गिरावट केवल 5% है। संबद्ध आयात भारतीय खपत का लगभग ***% का कारण बना रहा। घरेलू उद्योग की बिक्री में उच्च वृद्धि पाटनरोधी शुल्क की मौजूदगी में हासिल की गई है। पाटन और क्षति के जारी रहने या बार-बार होने की संभावना की जांच सभी संगत कारकों पर संचयी रूप से विचार करने पर की गई है न कि अकेले आयातों की मात्रा पर विचार करते हुए।
128. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि निष्क्रिय क्षमता की जांच उत्पादक-विशिष्ट आधार पर की जानी चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्पादक-विशिष्ट आधार पर भी, अकेले किंगदाओ हैवान की निष्क्रिय क्षमता (*** एमटी) भारतीय मांग का लगभग ***% है, और नानटोंग (*** एमटी) की निष्क्रिय क्षमता भारतीय मांग का लगभग ***% है। ये चीन जन.गण. में संबद्ध सामानों के केवल दो उत्पादक हैं। घरेलू उद्योग ने आगे अनुरोध किया है कि चीन जन.गण. में संबद्ध सामानों की क्षमता लगभग 267.8 केटी है, जबकि घरेलू मांग लगभग 136.6 केटी है, जिसका किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा साक्ष्य के साथ खंडन नहीं किया गया है। इस तरह की स्वतंत्र रूप से निपटान क्षमता की उपलब्धता, संबद्ध आयात के कीमत व्यवहार के साथ और इन उत्पादों के लिए भारतीय बाजार के महत्व के साथ, नियमावली के अनुबंध-II(vii) के संदर्भ में संभावना विश्लेषण के लिए संगत है।
129. निर्यातोन्मुखता के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि दो प्रतिभागी उत्पादकों के कुल निर्यात में से, *** एमटी, यानी, लगभग ***%, भारत को निर्यात किया गया था। भारत ने नानटोंग के निर्यात का लगभग ***% और किंगदाओ हैवान के निर्यात का लगभग ***% हिस्सा लिया। इसलिए, भारत इन उत्पादकों का प्रमुख निर्यात बाजार है। उनके पास उपलब्ध काफी निष्क्रिय क्षमता के साथ पढ़ने पर, यह शुल्क की समाप्ति की स्थिति में भारत को निर्यात बढ़ाने की क्षमता और प्रोत्साहन सिद्ध करता है।

130. जहां तक तीसरे देश की निर्यात कीमतों की तुलना क्षतिरहित कीमत से करने की बात है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि विश्लेषण उत्पादक-विशिष्ट आधार पर किया गया है, जैसा कि उत्पादकों द्वारा उनके प्रश्नावली उत्तरों में बताई गई निर्यात कीमतों के आधार पर ऊपर खंड-I में तालिका में दिखाया गया है। विश्लेषण तीसरे देश के बाजारों में पाटन का निर्धारण नहीं है, बल्कि उन मूल्य स्तरों का एक संकेतक है जिन पर उत्पादक संबद्ध सामानों को बेचने के लिए तैयार हैं। यहां तक कि एक निर्माता-विशिष्ट आधार पर भी, नैनटोंग के तीसरे देश के निर्यात का ***% और किंगदाओ हैवान के तीसरे देश के निर्यात का ***% क्षतिरहित कीमत से कम था।
131. नियोजित पूंजी पर 22% आय के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षतिरहित कीमत को नियमावली के अनुबंध-III में निर्धारित किया गया है, जो विचाराधीन उत्पाद के लिए नियोजित औसत पूंजी पर 22% की उचित आय (कर-पूर्व) निर्धारित करता है। क्षतिरहित कीमत कच्ची सामग्री, यूटिलिटियों और क्षति की अवधि में उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग और असाधारण और गैर-आवर्ती खर्चों हटा कर विचार करके घरेलू उद्योग के सत्यापित आंकड़ों के आधार पर निर्धारित की गई है। अतः यह तर्क स्वीकार्य नहीं है।
132. जहां तक जन हित का प्रश्न है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी भी प्रयोक्ता या आयातक ने अवसर के बावजूद वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया या आर्थिक हित प्रश्नावली का उत्तर दायर नहीं नहीं किया। किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा प्रतिकूल प्रभाव का कोई मात्रात्मक साक्ष्य रिकॉर्ड में नहीं रखा गया है। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत अनुमान की जांच की है और नोट करते हैं कि यहां तक कि अगर पिगमेंट की लागत में निचले स्तर के उत्पादों की लागत पर प्रभाव 1% से कम (लगभग 0.35% से 0.89%) बना रहेगा। इसके अलावा, पाटनरोधी शुल्क के भुगतान के बिना अग्रिम प्राधिकार योजना के तहत संबद्ध सामानों की एक काफी मात्रा का आयात किया जाता है, और इसलिए पिगमेंट का निर्यातोन्मुख उत्पादन प्रभावित नहीं होता है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि दाहेज में एक नई सुविधा में घरेलू उद्योग द्वारा लगभग 300 करोड़ रुपये का निवेश किया जा रहा है और वैलिएंट एडवांस्ड साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संबद्ध सामानों का प्रस्तावित निर्माण किया जा रहा है, जो दर्शाता है कि उपायों ने भारत में उत्पाद में निवेश को प्रोत्साहित किया है। सिफारिश किए गए शुल्क मौजूदा उत्पादक-विशिष्ट शुल्क हैं, जो लगभग पांच वर्षों से बिना किसी उपयोगकर्ता द्वारा प्रतिकूल प्रभाव

- के प्रमाण को रिकॉर्ड पर रखे बिना लागू हैं, और प्रयोक्ताओं को उचित कीमतों पर आयात तक पहुंच जारी है। इसलिए किंगदाओ हैवान का तर्क स्वीकार नहीं किया जाता है।
133. जहां तक शुल्क की मात्रा का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जांच नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क(5) के एक निर्णायक समीक्षा है, जिसका उद्देश्य यह निर्धारित करना है कि क्या मौजूदा शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति के जारी रहने या बार-बार होने की संभावना है। नियम 23(1) में यह प्रावधान है कि पाटन के कारण होने वाली क्षति का मुकाबला करने के लिए जब तक और जिस हद तक आवश्यक है, तब तक शुल्क लागू रहेगा। यह नोट किया जाता है कि जांच की वर्तमान अवधि में पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन उन आयातों के संबंध में निर्धारित किए गए हैं जो भारत में प्रवेश करते पाटनरोधी शुल्क लागू था, और इसलिए मौजूदा शुल्क की परिधि में निर्यातकों के कीमत निर्धारण व्यवहार को दर्शाते हैं। प्राधिकारी ने पाया है कि संबद्ध सामानों का निर्यात पाटित कीमतों पर जारी है, आयात का पहुंच मूल्य शुल्क के बिना घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत से कम है, और घरेलू उद्योग शुल्क लागू होने के बावजूद क्षति और निवेश पर नकारात्मक आय का सामना करना जारी रखता है। प्राधिकारी ने चीन जन.गण. में उत्पादकों के साथ महत्वपूर्ण स्वतंत्र रूप से निपटान क्षमता पाई है, भारत उनका प्रमुख निर्यात बाजार है, और तीसरे देश के निर्यात मुख्य रूप से क्षतिरहित कीमत से नीचे हैं, जो एक साथ शुल्क की समाप्ति की घटना में गहन पाटन की संभावना का संकेत देते हैं। इन परिस्थितियों में, प्राधिकारी का मानना है कि अधिसूचना संख्या 60/2021-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 14 अक्टूबर 2021 के माध्यम से लगाए गए मौजूदा शुल्कों को संभावित पाटन और क्षति का मुकाबला करने के लिए आवश्यक माना जाता है। तदनुसार, नान्तांग के इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाता है कि वर्तमान जांच अवधि के लिए निर्धारित उसके क्षति मार्जिन के स्तर तक शुल्क कम किया जाए। प्राधिकारी सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए मौजूदा शुल्कों को जारी रखने की सिफारिश करते हैं, जो किंदोआ हैवान के इस अनुरोध को भी हल करता है कि उस पर लागू शुल्क के मौजूदा स्तर को बढ़ाया नहीं जाना चाहिए।
134. जहां तक पांच वर्षों की अवधि के लिए शुल्कों के लिए घरेलू उद्योग के अनुरोध का संबंध है, प्राधिकारी उपर्युक्त जांच परिणामों के मद्देनजर पांच वर्षों की अवधि के लिए शुल्क की सिफारिश करना उपयुक्त मानते हैं।

ढ. निष्कर्ष एवं सिफारिशें

135. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों और उसमें उठाए गए मुद्दों की जांच करने के बाद, और रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों पर विचार करने के बाद, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि:

- i. विचाराधीन उत्पाद "ऐरोमैटिक या हेटेरोसायक्लिक यौगिकों के एसिटो एसिटाइल डेरिवेटिव" या "एरीलाइड्स" है, जिसमें एसिटोएसिटानिलाइड (एएए), एसिटोएसिट-मेटा-ज़ाइलिडाइड (एएएमएक्स), एसिटोएसिट-ओ-एनिसिडाइड (एएओए), एसिटोएसिट-ओ-टोलुइडाइड (एएओटी) और एसिटोएसिट-ओ-क्लोरोएनीलाइड (एएओसीए) शामिल हैं। एराइलाइड के अन्य सभी रूपों को बाहर रखा गया है। इसका क्षेत्र मूल जांच के समान ही है।
- ii. विचाराधीन उत्पाद को सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के उप-शीर्ष 2924 29 के तहत वर्गीकृत किया गया है और प्रशुल्क मद 2924 29 20, 2924 29 30 और 2924 29 90 के तहत आयात की गई है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।
- iii. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित सामान संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद की समान वस्तु है।
- iv. मेसर्स लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड भारत में संबद्ध सामानों का एकमात्र उत्पादक है और नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थ के अभिप्राय से घरेलू उद्योग है। आवेदन-पत्र नियमावली के नियम 5 की आवश्यकताओं को पूरा करता है।
- v. नंतोंग और किंगदाओ हैवान ने जांच में भाग लिया है और निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर दायर किए हैं। किसी भी उत्पादक ने बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार प्रश्नावली दायर नहीं की है, और सामान्य मूल्य नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 के अनुसार निर्धारित किया गया है।
- vi. नांटोंग(10-20%), किंगदाओ हैवान (50-60%) और अन्य सभी उत्पादकों/निर्यातकों (80-90 %) के लिए निर्धारित पाटन मार्जिन सकारात्मक, न्यूनतम स्तर से अधिक है और काफी है। लागू पाटनरोधी शुल्क के बावजूद संबद्ध सामानों का भारत को पाटित कीमतों पर निर्यात जारी है।
- vii. क्षति की अवधि में संबद्ध सामानों की मांग में लगभग 30% की वृद्धि हुई।

- viii. क्षति की अवधि में पूर्ण दृष्टि से संबद्ध आयातों में 18% तक वृद्धि हुई है और लागू शुल्कों के बावजूद भारतीय खपत का लगभग ***% हिस्सा बना रहा।
 - ix. संबद्ध आयातों का पहुंच मूल्य सभी उत्पाद प्रकारों के लिए घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति से कम है, जिसमें कीमत कटौती ***% से ***% तक है। संबद्ध आयातों का घरेलू कीमतों पर न्यूनीकरण और हासमान प्रभाव पड़ा है।
 - x. जबकि घरेलू उद्योग के मात्रात्मक मापदंडों में लागू शुल्कों के साथ सुधार हुआ, घरेलू उद्योग को जांच की अवधि में 2023-24 से आगे, हानियां, नकद हानियां और निवेश पर नकारात्मक आय हुई और उसकी मालसूची बढ़ी।
 - xi. गैर-आरोपण विश्लेषण से पता चलता है कि किसी अन्य ज्ञात कारक ने घरेलू उद्योग को क्षति नहीं पहुंचाई है।
 - xii. नांटोंग(0-10%), किंगदाओ हैवान (30-40%) और अन्य सभी उत्पादकों/निर्यातकों (80-90 %) के लिए निर्धारित क्षति मार्जिन सकारात्मक हैं।
 - xiii. जारी पाटन, प्रतिभागी उत्पादकों की काफी बेकार क्षमता (भारतीय मांग का 130-140%), भारत उनका प्रमुख निर्यात बाजार होने, आयातों का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम होने, प्रतिभागी उत्पादकों का तीसरे देशों को निर्यात क्षतिरहित कीमत से कम पूर्व प्रभावी रूप से कम कीमत वाला होने और किंगदाओ हैवान के भारत को निर्यातों में, जबकि तीसरे देशों को उसके निर्यात घटे, वृद्धि होने के मद्देनजर, शुल्क की समाप्ति की स्थिति में पाटन और क्षति के जारी रहने की संभावना है।
 - xiv. प्रयोक्ताओं और निचले स्तर के उद्योग पर शुल्क का प्रभाव नगण्य है।
136. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच लागू कानून के अनुसार की गई थी। सभी हितबद्ध पक्षकारों को विधिवत अधिसूचित किया गया और उन्हें जांच के तहत मामलों पर सूचना प्रदान करने और अपने विचार प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया गया, जिसमें पाटन, क्षति, कारणात्मक संपर्क, पाटन और क्षति के जारी रहने या बार-बार होने की संभावना, और भारतीय उद्योग पर उपायों का प्रभाव शामिल है। प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की आवश्यकता है।

137. उपर्युक्त सिद्ध पाटन और क्षति के जारी रहने या बार बार होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी मौजूदा दरों पर दिनांक 14 अक्टूबर, 2021 की अधिसूचना सं. 60/2021-सीमा शुल्क (एडीडी) द्वारा लगाए गए पाटनरोधी शुल्क जारी रखे जाने की सिफारिश करना आवश्यक समझते हैं। तदनुसार, प्राधिकारी इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से पांच वर्षों की अवधि के लिए संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के सभी आयातों पर, नीचे शुल्क तालिका के कॉलम 7 में दर्शाई दरों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना जारी रखने की सिफारिश करते हैं।

शुल्क तालिका

क्र. सं.	प्रशुल्क मद	सामानों का विवरण	मूल देश	निर्यात का देश	उत्पादक	शुल्क राशि (सीआईएफ मूल्य के % के रूप में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	2924 29 20 और 2924 29 90	ऐरोमैटिक या हेटेरोसायक्लिक यौगिकों या "एरीलाइड्स" के एसिटो एसिटाइल डेरिवेटिव्स	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. सहित कोई देश	किंगदाओ हैवान स्पेशलिटी केमिकल्स कंपनी लिमिटेड	24.79%
2	-वही-	-वही-	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. सहित कोई देश	नानतोंग एसिटिक एसिड केमिकल कंपनी लिमिटेड	26.64%
3	-वही-	-वही-	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. सहित कोई देश	क्र.सं. 1 और 2 पर मौजूद उत्पादक को छोड़कर कोई उत्पादक	44.90%
4	-वही-	-वही-	चीन जन.गण. को	चीन जन.गण.	कोई	44.90%

क्र. सं.	प्रशुल्क मद	सामानों का विवरण	मूल देश	निर्यात का देश	उत्पादक	शुल्क राशि (सीआईएफ मूल्य के % के रूप में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			छोड़कर कोई देश			

*विचाराधीन उत्पाद में एसीटोएसिटानिलाइड (एएए), एसीटोएसिट-मेटा-ज़ाइलिडाइड (एएएमएक्स), एसीटोएसिट-ओ-एनिसिडाइड (एएओए), एसीटोएसिट-ओ-टोलुइडाइड (एएओटी) और एसीटोएसिट-ओ-क्लोरोएनीलाइड (एएओसीए) शामिल हैं।

एराइलाइड के अन्य सभी रूपों को बाहर रखा गया है।

नोट: कॉलम 7 में दरें अधिसूचना संख्या 60/2021-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 14 अक्टूबर 2021 के माध्यम से लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की मौजूदा दरें हैं।

138. पाटनरोधी शुल्क आयातों के सीआईएफ मूल्य अर्थात् बीमा और भाड़ा सहित संबद्ध सामानों के निर्धारणीय मूल्य के प्रतिशत के रूप में लगाया जाएगा,। शुल्क भारतीय मुद्रा में देय होगा, और शुल्क के परिकलन के उद्देश्य से लागू विनिमय दर सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 14 के अधीन समय-समय पर जारी भारत सरकार की अधिसूचना में निर्धारित दर होगी, जो उपर्युक्त अधिनियम की धारा 46 के तहत प्रविष्ट के बिल की प्रस्तुति की तारीख को विनिमय दर के निर्धारण के लिए संगत तारीख है।

139. उपरोक्त शुल्क तालिका में उल्लिखित कंपनियों के लिए निर्दिष्ट व्यक्तिगत शुल्क दरों का आवेदन-पत्र सीमा शुल्क अधिकारियों को एक वैध वाणिज्यिक बीजक प्रस्तुत करने पर सशर्त होगा, जिस पर ऐसे बीजक जारी करने वाली कंपनी के एक अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एक घोषणा दिनांकित होगी, जो उसके नाम और कार्य से पहचाना जाएगा, जैसा कि निम्नलिखित प्रारूप में है:

'मैं, अधोहस्ताक्षरी, प्रमाणित करता हूं कि भारत को निर्यात के लिए बेचे गए ऐरोमैटिक या हेटेरोसायक्लिक यौगिकों के एसिटो एसिटाइल डेरिवेटिव (एरीलाइड्स)की मात्रा इस बीजक द्वारा कवर की गई चीन जन.गण. में (कंपनी का नाम और पता) द्वारा निर्मित की गई थी। मैं घोषणा करता हूं कि इस बीजक में दी गई सूचना पूर्ण और सही है।

140. यदि ऐसा कोई बीजक प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो अन्य सभी दरों पर लागू शुल्क लागू होगा। यह आवश्यकता लागू सीमा शुल्क कानून और विनियमों के तहत सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा स्वतंत्र रूप से की गई सत्यापन प्रक्रियाओं के लिए पूर्वाग्रह के बिना है।

ण. आगे की प्रक्रिया

141. इन जांच परिणामों के कारण केन्द्र सरकार के आदेश के विरुद्ध कोई अपील सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय अधिकरण के समक्ष की जाएगी।

अमिताभ कुमार, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th October, 2026

FINAL FINDINGS

Case No. AD(SSR) 01/2026

Subject: Final Findings in the sunset review investigation concerning imports of Aceto Acetyl Derivatives of Aromatic or Heterocyclic Compounds also known as ‘Arylides’ from China PR.

F. No. 7/04/2026-DGTR.—A. INTRODUCTION

Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter referred to as “the Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred to as the “Anti-Dumping Rules” or “the Rules”) thereof.

1. The Designated Authority (hereinafter referred to as “Authority”) received an application from M/s Laxmi Organic Industries Limited (hereinafter referred to as the ‘applicant’ or the ‘domestic industry’) seeking initiation of a sunset review for extension and enhancement of the anti-dumping duty imposed on imports of Aceto Acetyl Derivatives of Aromatic or Heterocyclic Compounds also known as “Arylides” (hereinafter to be referred to as the “subject goods” or the “the product under consideration” or “PUC”), originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as the “subject country”).
2. On the basis of *prima facie* evidence submitted by the applicant, the Authority issued a public notice vide notification no. 7/04/2026- DGTR dated 19th March 2026 published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating the subject investigation. The investigation was initiated in accordance with Section 9A (5) of the Act read with Rule 23 of the Rules to examine whether the expiry of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry and if there is a need for continued imposition of the anti-dumping duties.

B. BACKGROUND OF THE CASE

3. The original anti-dumping investigation concerning imports of product under consideration from China PR was initiated by the Authority vide Notification No. F. No. 6/28/2020-DGTR dated 21st August 2020. Pursuant to a duly substantiated application filed by the domestic industry and after detailed examination, the Authority concluded that the imports from the subject country have caused material injury to the domestic industry. Accordingly, the Authority, vide final finding dated 19th August 2021,

recommended imposition of anti-dumping duty. Subsequently, the Ministry of Finance vide notification 60/2021-Customs (ADD) dated 14th October 2021 imposed duties on the imports of subject goods.

4. In terms of Section 9A (5) of the Act, any anti-dumping duty imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on the expiry of five years from the date of such an imposition. Further, Rule 23(1B) of the Rules provides as follows:

“any definitive antidumping duty levied under the Act, shall be effective for a period not exceeding five years from the date of its imposition, unless the designated Authority comes to a conclusion, on a review initiated before that period on its own initiative or upon a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry, within a reasonable period of time prior to the expiry of that period, that the expiry of the said anti-dumping duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry”

5. In accordance with the above, the Authority is required to review, on the basis of a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry, whether the expiry of existing anti-dumping duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.
6. The scope of the present review covers all aspects of the final finding dated 19th August 2021, and Notification No. 60/2021-Customs (ADD) dated 14th October 2021.

C. PROCEDURE

7. The procedure described below has been followed with regard to the investigation:

C.1 Initiation

- i. Prior to initiation of the investigation, the government of the subject country was notified through its embassy in India about the receipt of the present anti-dumping application.
- ii. The interested parties were informed of the initiation of the investigation by sharing a copy of the initiation notification with the embassy of the subject country in India, known producers and exporters of the product under consideration in the subject country, known importers of the subject goods in India and other interested parties, as per the information made available in the application.
- iii. In accordance with Rule 6, upon examination of the application and finding *prima facie* evidence of dumping, injury, likelihood and causal link, the Authority issued a notification no. 7/04/2026- DGTR dated 19th March 2026, published in the Gazette of India Extraordinary, initiating the sunset review anti-dumping investigation concerning the imports of the product under consideration from the subject country.

C.2 Period of Investigation and Injury Period

- iv. The period of investigation (POI) for the purpose of the present investigation is 1st October 2024 to 30th September 2025 (12 months). The examination of trends in the context of injury analysis covers the years 2022-23, 2023-24, 2024-25 and the period of investigation.

C.3 Import Data

- v. A request was made to the DG System to obtain transaction-wise import data of the subject goods for the injury period. The data was received and has been relied upon for the necessary analysis after due examination of the transactions.

C.4 Circulation of non-confidential version of the application

- vi. In accordance with Rule 6(3), a copy of the non-confidential version of the application was provided to the government of the subject country through its embassy in India, known producers/exporters of the subject goods and to other interested parties who requested in writing a copy of the application.

C.5 Participation by Exporters of Subject Country

- vii. In accordance with Rule 6(4) of ADD Rules, Exporter's Questionnaires were sent to the following producers and exporters to seek information regarding the normal value and net export price for the investigation.

SN	Producers/exporters
1	Chemscapes APS
2	Cychem Company Ltd
3	Hangzhou Dinghao Chemical Co Ltd
4	Hangzhou Dingsheng Chemical Co Ltd
5	Hangzhou Paramount Product Corporation
6	Nanjing Skyfly Chemical Co Ltd
7	Nantong Acetic Acid Chemical Co Ltd
8	Nantong Boost Import And Export Co Ltd
9	Qingdad Haiwan Group Co Ltd
10	Qingdao Haiwan Speciality Chemical Co Ltd
11	Qingdao Langke Co Ltd
12	Shanghai Points Biopharmaceutical Co Ltd

13	Synchem International Co Ltd
14	Unique Chemical Ltd
15	Vita International Ltd

- viii. Exporter's Questionnaires were also sent to the government of the subject country through its embassy in India. The government of the subject country was requested to forward the Initiation Notification and the exporter's questionnaires to the producers/exporters of the subject goods in their respective country and advise them to respond to the questionnaire within the prescribed time limit.
- ix. In response to the above, the following producers/exporters from the subject country have responded and filed the exporter's questionnaire response:

SN	Producers/exporters
1	Nantong Acetic Acid Chemical Co Ltd
2	Qingdao Haiwan Speciality Chemical Co Ltd

C.6 Participation by Importers/Users

- x. In accordance with Rule 6(4) of the Rules, Importer's Questionnaires were also sent to the following known importers/users of the product under consideration in India calling necessary information:

SN	Names of importers and users in India
1	Advaitya Dye Chem
2	Anil Organics
3	Aries Organics Pvt Ltd
4	Asahi Tennants Color Pvt Ltd
5	Crystal Orgochem Pvt Ltd
6	Hercules Pigments Pvt Ltd
7	Heubach Colorants India Ltd
8	Hubergroup India Pvt Ltd
9	Kushan Impex
10	Kwalichem Pvt Ltd
11	Labdhi International Pvt Ltd
12	Mishika Consultants
13	N S Exports
14	Neeljyot Chemicals

15	Prasad International Pvt Ltd
16	Rajesh Dye Chem
17	Sudarshan Chemical Industries Ltd
18	Vibfast Pigments Pvt Ltd
19	Vijay Chemical Industries
20	Vipul Organics Ltd

- xi. In response to the above, none of the importers/users from India have responded or filed importer/user questionnaire response.

C.7 Registered Interested Parties

- xii. A list of all interested parties that registered themselves within the prescribed timeline was uploaded on the website. All registered interested parties were directed to circulate the non-confidential version of all their submissions in the present proceedings with all other interested parties.

C.8 Economic Interest Questionnaire

- xiii. An economic interest questionnaire was issued to all the known producers and exporters, importers, and the domestic industry. The economic interest questionnaire was also shared with the administrative line ministry. Economic interest questionnaire was filed by the domestic industry, Nantong Acetic Acid Chemical Co Ltd and Qingdao Haiwan Speciality Chemical Co Ltd.

C.9 Oral Hearing

- xiv. In accordance with Rule 6(6), the Authority provided an opportunity to the interested parties to present their views orally in a hearing held on 12th June 2026. The parties presenting their views in the oral hearing were directed to make written submissions of the views expressed orally, followed by rejoinder submissions.

C.10 Other Procedures

- xv. Foreign producers, exporters and other interested parties who have not responded, or have not supplied information relevant to this investigation, have been treated as non-cooperative interested parties.
- xvi. The non-confidential version of the submissions filed by the various interested parties was made available to all participating interested parties. A list of all the interested parties was uploaded on the DGTR website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all the other interested parties.

- xvii. In accordance with Rule 6(8), wherever an interested party has refused access to or has otherwise not provided necessary information in a timely manner during the course of the present proceedings, or has significantly impeded the investigation, such parties have been considered as non-cooperative and the findings have been recorded on the basis of the facts available.
- xviii. In accordance with Rule 7, the information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to the sufficiency of such confidentiality claims. On being satisfied, the confidentiality claims have been accepted wherever warranted, and such information has been considered as confidential and not disclosed to the other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.
- xix. An economic interest questionnaire along with initiation notification was also shared with the Ministry of Chemicals & Fertilizers vide email dated 20th March, 2026. However, no response/comments have been filed by the line ministry in the present case.
- xx. In accordance with Rule 8, verification of the data provided by the domestic industry and other interested parties was conducted to the extent considered necessary for the present proceedings. The Authority has considered the verified data of the interested parties in its analysis in the present case.
- xxi. The non-injurious price has been calculated based on the optimum cost of production and cost to produce & sell the domestic like article in India, based on the information furnished by the domestic industry and having regard to the Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and as per the principles laid down in Annexure III of the Rules.
- xxii. All the arguments raised and information provided by all the interested parties to the extent that the same is supported with evidence and considered relevant to the present investigation have been considered.
- xxiii. “***” in these final findings represents information furnished by an interested party on a confidential basis and so considered under the Rules.
- xxiv. The exchange rate adopted for the subject investigation is 1 US\$=Rs 86.76, being the average of the exchange rates notified by the Central Board of Indirect Taxes and Customs under Section 14 of the Customs Act, 1962 for conversion of the value of imported goods, in force during the period of investigation. The same rate has been applied throughout these final findings.
(Source: <https://foservices.icegate.gov.in/#/services/viewExchangeRate>)

C.11 Disclosure statement and post-disclosure comments

- xxv. In accordance with Rule 16 of the Rules, the Authority issued the disclosure statement containing the essential facts under consideration to all interested parties on 1st October 2026, and the interested parties were allowed time up to 7th October 2026 to file their comments thereon. Post-disclosure comments have been received from the domestic industry, Nantong Acetic Acid Chemical Co. Ltd. and Qingdao

Haiwan Specialty Chemicals Co., Ltd. The Authority has examined the post-disclosure comments in these final findings to the extent considered relevant. Any submission which is merely a reiteration of an earlier submission, and which has already been adequately examined, has not been repeated for the sake of brevity.

D. PRODUCT UNDER CONSIDERATION

D.1 Submission of the other interested parties

8. The other interested parties have not made any submissions with regards to the product under consideration and like articles.

D.2 Submission of the domestic industry

9. The domestic industry has made the following submissions with regard to the product under consideration and like articles:
 - i. Since the present investigation is a sunset review investigation, the scope of product under consideration remains the same as in the original investigation.
 - ii. The domestic industry is producing a like article to the product under consideration.

D.3 Examination by Authority

10. The present investigation is a sunset review investigation and the scope of the product under consideration remains the same as defined in the original investigation. The product under consideration as defined in the original investigation and considered at the stage of initiation is reproduced hereunder –

“8. The product under consideration in the present investigation is “Aceto Acetyl Derivatives of aromatic or heterocyclic compounds” or “Arylides”. The following forms of arylides are included within the scope of the present investigation whilst all other forms are excluded: a. Acetoacetanilide or AAA; b. Acetoacet metaxylidide or AAMX; c. Acetoacet-o-anisidide or AAOA; d. Acetoacet-O Toluidide or AAOT; e. Acetoacet-O-chloroanilide or AAOCA.”

“9 there can be various kinds of Aceto Acetyl Derivatives of aromatic or hetrocyclic compounds produced and sold globally. Following are the other known derivatives that are produced in India, however, are beyond the scope of the product under consideration as these are speciality custom made products, produced in small volume, as per the specific requirements of the customers and there are no known imports of such arylides:

- (i) AAP A - Acetoacet-p-anisidide*
- (ii) AAPCA - Acetoacet-p-chloroanilide*
- (iii) NA CSA - Acetoacet-p-cresidine-o-sulfonic acid*
- (iv) AAPCOA - Acetoacet-p-chloro-o-anisidide*
- (v) Cl-DAEP - N, N ' - (2-chloro-1,4-phenylene) bis (3-oxobutaneamide)*
- (vi) AASP - Pot 4 Acetoacetylaminobenzenesulfonate*

(vii) *AAPT-Aceto Acet P-Toluidide*

Following are the other known Aceto acetyl derivatives of aromatic or hetrocyclic compounds that are being imported in small volume but have not been included in the scope of product under consideration for the reason being these are also custom-made product types and are not being manufactured by the domestic industry.

i. 2',5'-Dimethoxy-4'-chloro-Acetoacetanilide, Naphthol ASIRG and

ii. 5-Acetoacetyl aminobenzimidazolone, 5-AABI"

11. The following PCN has been formed based on product types included within the product scope:
 - i. Acetoacetanilide or AAA;
 - ii. Acetoacet-meta-xylylide or AAMX;
 - iii. Acetoacet-o-anisidide or AAOA;
 - iv. Acetoacet-O-Toluidide or AAOT;
 - v. Acetoacet-O-chloroanilide or AAOCA.
12. None of the importers, exporters and other interested parties have advanced any argument with regard to the scope of the product under consideration and like article. Thus, the Authority is of the view that the scope of the product under consideration in the present review investigation remains the same as that in the original investigation and as considered at the stage of initiation notification.
13. The major raw materials used in the production of Aceto Acetyl Derivatives of aromatic or heterocyclic compounds” or “Arylides” is Glacial Acetic Acid. Glacial Acetic Acid is used to produce Diketene (intermediate), which is further used to produce different arylides using different aromatic compounds. The manufacturing process involves azo coupling of aromatic amines with Diketene. The product under consideration is primarily used as intermediates to essentially make different kinds of yellow pigments. It is also used in orange, red pigments and agrochemical sector.
14. The product under consideration is classified under Chapter 29 of Customs Tariff Act, 1975 under the sub heading 292429. It is seen that subject goods have been imported under other codes, namely, 2924 29 20, 2924 29 90 and 2924 29 30 during the period of investigation. It is also noted that the customs classification is indicative only and is in no way binding on the scope of the subject investigation.
15. The prescribed unit of measurement for the product under consideration is metric tons (MT), and the same has been adopted for this investigation.
16. In the absence of comments by any interested party on scope of the product under consideration, the Authority confirms the same scope as defined in the original investigation which is reproduced below.

The product under consideration in the present investigation is “Aceto Acetyl Derivatives of aromatic or heterocyclic compounds” or “Arylides”. The following forms of arylides are included within the scope of the present investigation whilst all other forms are excluded: a. Acetoacetanilide or AAA; b. Acetoacet metaxylidide or AAMX; c. Acetoacet-o-anisidide or AAOA; d. Acetoacet-O Toluidide or AAOT; e. Acetoacet-O-chloroanilide or AAOCA.”

17. It is noted that the subject goods produced by the domestic industry and those imported from the subject country are comparable in terms of characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. Accordingly, it is noted that the product produced by the domestic industry are ‘like article’ to the product under consideration imported from the subject countries in terms of Rule 2(d) of the Rules and the scope of product under consideration remains the same as defined in the original investigation.

E. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

E.1 Submission of the other interested parties

18. The other interested parties have not made any submission with respect to the domestic industry and standing.

E.2 Submission of the domestic industry

19. The domestic industry has made the following submission with respect to the domestic industry and standing:
 - i. The applicant is the sole producer of the subject goods in India.
 - ii. The applicant has neither imported the subject goods from subject country nor is related to any importer in India or producer/exporter from subject country.

E.3 Examination by the Authority

20. Rule 2(b) of the anti-dumping rules defines domestic industry as below:

“(b) “domestic industry” means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term ‘domestic industry’ may be construed as referring to the rest of the producers.”

21. The application has been filed by M/s Laxmi Organic Industries Limited. There is no other producer of the subject goods in India. The applicant has not imported the subject

goods from the subject country and is not related to any exporter in the subject country or importer in India.

22. Accordingly, the Authority holds that the applicant constitutes domestic industry within the meaning of Rule 2(b) of the Rules. The application has been filed satisfying the requirement of Rule 5.

F. MISCELLANEOUS ISSUES AND CONFIDENTIALITY

F.1 Submission of the other interested parties

23. The other interested parties have made the following submission with respect to miscellaneous issues and confidentiality:
- i. Unreliable import data used by applicant.
 - ii. The application does not contain adequate evidence of dumping and/or injury to justify initiation.
 - iii. Anti-dumping duty should expire after 5 years as a rule and continuation of duty is an exception.
 - iv. Continuation of anti-dumping duties is permissible only where there exists sufficient, positive and credible evidence demonstrating the likelihood of continuation or recurrence of dumping and consequent injury to the domestic industry.

F.2 Submission of the domestic industry

24. The domestic industry has made the following submission with respect to miscellaneous issues and confidentiality:
- i. The applicant had relied on the import data as per secondary sources. There is no sufficient evidence brought forward by the interested party showing how the import data of the applicants is unreliable. The interested party could have assisted the Authority by providing the information on actual export data from China. However, the party has failed to do so.
 - ii. The initiation notification itself records that Authority has after examining the duly substantiated application and the prima facie evidence, initiated the sunset review.

F.3 Examination by the Authority

25. The non-confidential version of the information provided by various interested parties was made available to all interested parties as per Rule 6(7) and Trade Notice 10/2018 dated 7th September 2018.
26. Rule 7 of the Rules provide that:

“Confidential information: (1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule(2) of rule12,sub-rule(4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by

any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.

(2) The designated authority may require the parties providing information on a confidential basis to furnish a non-confidential summary thereof, and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible to summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information.”

27. The submissions made by the domestic industry and the other interested parties concerning confidentiality, to the extent considered relevant, were examined by the Authority and addressed accordingly. It is seen that the domestic industry and interested parties have claimed confidentiality on information, such as production, capacity, capacity utilization, sales volumes, market share, stocks, selling price, costs, profits, cash profits, return on investment, non-injurious price, cost of production related information, normal value, export price, dumping margin, injury margin, price adjustments, profit related information, sales channels, sales & purchase documents, customers and suppliers names, etc. It is also seen that wherever information is for injury period, the same has been provided on an indexed basis. Information such as normal value, non-injurious price and price undercutting has been disclosed in the range.
28. The interested parties have claimed confidentiality on various supporting documents & information, wherever such information has not been publicly disclosed by them. In those cases where an interested party has not publicly disclosed its annual reports and financial statements, the same have been claimed confidential. Wherever the interested parties have claimed a document as confidential, it is noted that these interested parties have claimed that these documents are not susceptible to summary and have given reasons why summarisation is not possible.
29. The Authority has examined each claim of confidentiality having regard to the nature of the information and the reasons furnished by the party concerned. The Authority notes that all the interested parties have claimed their business-related sensitive information as confidential. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted, and such information has been considered confidential and not disclosed to the other interested parties.

30. With regard to the submissions that unreliable import data has been relied upon by the domestic industry, it is noted that a plain reading of the initiation notification shows that the Authority has relied upon the import data obtained from the DG Systems for the purpose of initiation. There is nothing on record to indicate that the domestic industry insisted upon the exclusive use of its own import data for the proposed determination. Accordingly, the contention in this regard is not found to be substantiated.
31. With regards to the submissions made by the other interested parties that the domestic industry has not brought any substantive evidence to justify initiation of the present investigation and the Authority has not carried out appropriate scrutiny of facts, it is seen the domestic industry had provided sufficient information to justify initiation and the investigation was initiated by the Authority after satisfying that there was sufficient prima-facie evidence to justify initiation.
32. With regards to the submission of the interested parties that termination of anti-dumping duty after five years is a rule and continuation is an exception, the Authority notes that Section 9A(5) and Rule 23 of the Anti-dumping Rules provide as follows:

*RULE 23. Review. - [(1) Any anti-dumping duty imposed under the provision of section 9A of the Act, **shall remain in force, so long as and to the extent necessary, to counteract dumping, which is causing injury.***

(1A) The designated authority shall review the need for the continued imposition of any anti-dumping duty, where warranted, on its own initiative or upon request by any interested party who submits positive information substantiating the need for such review, and a reasonable period of time has elapsed since the imposition of the definitive anti-dumping duty and upon such review, the designated authority shall recommend to the Central Government for its withdrawal, where it comes to a conclusion that the injury to the domestic industry is not likely to continue or recur, if the said anti-dumping duty is removed or varied and is therefore no longer warranted.

33. The Authority observes that, in terms of the applicable provisions of the Anti-Dumping Rules, an anti-dumping duty is intended to remain in force for such period as is necessary to counteract the dumping that is causing injury to the domestic industry. The imposition and continuation of anti-dumping duty is, therefore, intended to address the injurious effects of dumped imports. Rule 23(1) provides that a duty shall remain in force so long as, and to the extent, necessary to counteract dumping which is causing injury. While Section 9A (5) provides for imposition of anti-dumping duty for a period of five years, it expressly preserves continuation where a review establishes that expiry would be likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. Further, the practice is not peculiar to India but is followed globally. The domestic industry has provided a list of products on which various Authorities have globally extended anti-dumping measures for a period as high as 20 years.

G. DETERMINATION OF NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING MARGIN IN RESPECT OF IMPORTS INTO INDIA.

G.1 Submission of the other interested parties

34. The other interested parties have made the following submissions concerning normal value, export price and dumping margin:
- i. The domestic industry has wrongly claimed that the subject country is a non-market economy.
 - ii. Normal value for participating producers may be determined based on the cost records maintained by them.

G.2 Submission of the domestic industry

35. The domestic industry has made the following submissions concerning normal value, export price and dumping margin:
- i. Since China is presumed to be a non-market economy, Chinese producers are required to establish that their domestic industry operates under market economy conditions.
 - ii. None of the Chinese producers in the present investigation have filed a market economy treatment (MET) questionnaire. Therefore, the Authority must determine the normal value in accordance with Paragraph 7 of Annexure I to the Anti-Dumping Rules.

G.3 Examination by the Authority

G.3.1 Normal Value.

36. Under section 9A(1)(c), normal value in relation to an article means:

- i) *The comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article, when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6), or*
- ii) *When there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either: (a) comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory to an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*

the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profit, as determined in accordance with the rules made under sub-section 6);

b) Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transshipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.

37. The Authority notes the following relevant provisions under Para 7 and Para 8 of Annexure I to the Anti-Dumping Rules with regard to the determination of normal value for China PR.

“7. In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in the market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India, or where it is not possible, or on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted, if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated authority in a reasonable manner, keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of selection. Accounts shall be taken within time limits, where appropriate, of the investigation made in any similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without any unreasonable delay of the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments.”

“8. (1) The term “non-market economy country” means any country which the designated authority determines as not operating on market principles of cost or pricing structures, so that sales of merchandise in such country do not reflect the fair value of the merchandise, in accordance with the criteria specified in subparagraph (3).

(2) There shall be a presumption that any country that has been determined to be, or has been treated as, a non-market economy country for purposes of an antidumping investigation by the designated authority or by the competent authority of any WTO member country during the three-year period preceding the investigation is a non-market economy country. Provided, however, that the non-market economy country or the concerned firms from such country may rebut such a presumption by providing information and evidence to the designated authority that establishes that such country is not a non-market economy country on the basis of the criteria specified in sub-paragraph (3).

(3) The designated authority shall consider in each case the following criteria as to whether: (a) the decisions of the concerned firms in such country regarding prices, costs and inputs, including raw materials, cost of technology and labour, output, sales and investment, are made in response to market signals reflecting supply and demand and without significant State interference in this regard, and whether costs of major inputs substantially reflect market values; (b) the production costs and financial situation of such firms are subject to significant distortions carried over from the former non-market economy system, in particular in relation to depreciation of assets, other write-offs, barter trade and payment via compensation of debts; (c) such firms are subject to bankruptcy and property laws which guarantee legal certainty and stability for the operation of the firms, and (d) the exchange rate conversions are carried out at the market rate. Provided, however, that where it is shown by sufficient evidence in writing on the basis of the criteria specified in this paragraph that market conditions prevail for one or more such firms subject to anti-dumping investigations, the designated authority may apply the principles set out in paragraphs 1 to 6 instead of the principles set out in paragraph 7 and in this paragraph.

(4) Notwithstanding, anything contained in sub-paragraph (2), the designated authority may treat such country as market economy country which, on the basis of the latest detailed evaluation of relevant criteria, which includes the criteria specified in sub paragraph (3), has been, by publication of such evaluation in a public document, treated or determined to be treated as a market economy country for the purposes of anti-dumping investigations, by a country which is a Member of the World Trade Organization.”

38. At the stage of initiation, the Authority proceeded with the presumption of treating China PR as an NME country. Upon initiation, the Authority advised the producers/ exporters in China PR to respond to the notice of initiation and provide information on whether their data/information could be adopted for normal value determination. The Authority vide email dated 20th March, 2026 sent copies of the market economy treatment/ supplementary questionnaire to all the known producers/exporters in China PR to provide relevant information in this regard.

39. Article 15 of China's Accession Protocol in WTO provides as follows:

“(a) In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the Anti-Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices or costs for the industry under investigation or a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China based on the following rules:

(i) *If the producers under investigation can clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product, the importing WTO Member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability;*

(ii) *The importing WTO Member may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.*

(b) *In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when addressing subsidies described in Articles 14(a), 14(b), 14(c) and 14(d), relevant provisions of the SCM Agreement shall apply; however, if there are special difficulties in that application, the importing WTO Member may then use methodologies for identifying and measuring the subsidy benefit which take into account the possibility that prevailing terms and conditions in China may not always be available as appropriate benchmarks. In applying such methodologies, where practicable, the importing WTO Member should adjust such prevailing terms and conditions before considering the use of terms and conditions prevailing outside China.*

(c) *The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (a) to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (b) to the Committee on Subsidies and Countervailing Measures.*

(d) *Once China has established, under the national law of the importing WTO Member, that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated provided that the importing Member's national law contains market economy criteria as of the date of accession. In any event, the provisions of subparagraph (a)(ii) shall expire 15 years after the date of accession. In addition, should China establish, pursuant to the national law of the importing WTO Member, that market economy conditions prevail in a particular industry or sector, the nonmarket economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to that industry or sector."*

40. It is noted that while the provision contained in Article 15 (a)(ii) of the Accession Protocol to the WTO Anti-Dumping Agreement have expired on 11th December 2016, the provision under Article 2.2.1.1 of WTO anti-dumping agreement read with obligation under 15(a)(i) of the Accession Protocol require the criterion stipulated in para 8 of the Annexure I of the Rules to be satisfied through information/data to be provided in the supplementary questionnaire on claiming the market economy status.
41. It is noted that paragraph 7 of Annexure I to the Rules stipulates three methods of constructing the normal value for non-market economies: (a) on the basis of price or

constructed value in a market economy third country; (b) export price from a third country to other countries, including India; and (c) on any other reasonable basis. The Authority notes that under the provisions of paragraph 7 of Annexure-I to the AD Rules, the normal value must first be determined on the basis of the price or constructed value in a surrogate country, or the price of the exports from such country to other countries, including India. However, when such basis is not possible, only then the Authority can determine normal value on any other reasonable basis, including the price paid or payable in India.

42. The response to exporter's questionnaire has been filed by the following producers/exporters from China PR.

SN	Producers/exporters
1	Nantong Acetic Acid Chemical Co Ltd
2	Qingdao Haiwan Speciality Chemical Co Ltd

43. At the stage of initiation, the Authority proceeded with the presumption of treating China PR as a non-market economy country. Upon initiation, the Authority advised the producers/exporters in China PR to respond to the notice of initiation and provide information on whether their data/information could be adopted for normal value determination. The Authority sent copies of the market economy treatment/supplementary questionnaire to all the known producers/exporters in China PR to provide relevant information in this regard.
44. All interested parties, including domestic industry, have not provided any information on record which would allow determination of normal value based on price or constructed value in a market economy third country, the normal value could not be determined based on prices or cost in market economy. It is also seen that no information has been provided on the export price from a market economy third country to other countries, including India. The product under consideration does not have dedicated code and considering that the product involves PCN mix, the export price from a market economy country cannot be considered as a basis to arrive at normal value. In view of this, the normal value has been determined based on the price payable in India, having regard to to the cost of production of the domestic industry in India, duly adjusted for selling, general and administrative expenses and a reasonable profit. The normal value so determined is mentioned at the dumping margin table.

G.3.2 Export Price.

a. Nantong Acetic Acid Chemical Co Ltd

45. Nantong Acetic Acid Chemical Co Ltd, the producer and exporter of the subject goods in China PR, has filed questionnaire response. During the period of investigation, Nantong Acetic Acid Chemical Co Ltd has exported *** MT of the subject goods to India directly. The producer/exporter has claimed adjustments on account of ocean freight, marine

insurance, inland transportation, port and other related expenses and the same has been allowed after verification. Accordingly, PCN wise export price at ex-factory level has been determined and the weighted average export price has been determined after aggregating all PCNs at the ex factory level, and ex factory export price so determined is mentioned in the dumping margin table.

b. Qingdao Haiwan Speciality Chemical Co Ltd

46. Qingdao Haiwan Specialty Chemicals Co., Ltd., is a limited liability company incorporated under the Company Law of China . Qingdao Haiwan Speciality Chemical Co Ltd the producer and exporter of the subject goods in China PR, and has filed questionnaire response. During the period of investigation, Qingdao Haiwan Speciality Chemical Co Ltd has exported *** MT of subject goods of invoice value *** USD to unrelated buyers in India. directly. The producer/exporter has claimed adjustments on account of ocean freight, marine insurance, inland transportation, port and other related expenses and the same has been allowed after verification. Accordingly, PCN wise export price at ex-factory level has been determined and the weighted average export price has been determined after aggregating all PCNs at the ex factory level, and ex factory export price so determined is mentioned in the dumping margin table.

c. Non-cooperative producers/ exporters

47. The Authority has determined the net export price for non-cooperative producers/exporters on the facts available. The ex-factory export price as determined is shown in the dumping margin table below.

G.3.3 Dumping Margin.

48. Considering the normal value and the export price for the product under consideration, the dumping margin for the product under consideration from the subject country has been determined as follows:

SN	Particulars	Normal value	Export price	Dumping margin		
		\$/MT	\$/MT	\$/MT	%	Range
1	Nantong Acetic Acid Chemical Co Ltd	***	***	***	***	10 - 20
2	Qingdao Haiwan Specialty Chemicals Co., Ltd.	***	***	***	***	50 - 60
3	All other producers/ exporters	***	***	***	***	80 - 90

It is seen that the dumping margin is more than *de-minimis* for the producers/exporters from China PR.

H. ASSESSMENT OF INJURY AND CAUSAL LINK

H.1 Submission of the other interested parties

49. The other interested parties have made the following submissions with regard to injury and causal link:

- i. Imports into India from China PR have increased with the increase in demand and have decreased with decrease in demand during the injury period.
- ii. Applicant's capacity position has remained static for a long period, while demand in India has increased.
- iii. There is a clear demand and supply gap, which underscores and validates the necessity for imports from the subject country.
- iv. Domestic industry is increasing its exports and is more focused on exports market.
- v. Domestic industry's sales performance reflects strong growth as the domestic sales increased by ***% and export sales increased by ***% during the injury period.
- vi. Significant volume of imports under advance authorization cannot be considered for assessment of likelihood.
- vii. The annual report also states that the company achieved "resilient growth", with volumes rising ***% and EBITDA increasing by ***% to ₹*** Mn, supported by a PAT margin of ***%. It further notes that the specialties segment recorded ***% revenue growth and ***% volume growth.
- viii. Uniform application of a 22% ROCE results in unreasonable and inflated profits, distorts the non-injurious price, and has been questioned by CESTAT. A reasonable return must instead be based on actual profitability under normal competitive conditions.
- ix. Trends do not support a conclusion that the domestic industry is commercially collapsing or is likely to suffer recurrence of material injury merely because the current duty expires.
- x. The available evidence suggests that any financial challenges faced by the domestic industry arise from factors unrelated to subject imports and not from any adverse volume effects caused by imports from China PR.
- xi. Net fixed assets of the domestic industry have increased without any increase in the capacity. If the increase in the net fixed assets is due to revaluation of assets, it must be discarded for the purpose of determination of non-injurious price.
- xii. The original duty was imposed in a materially different factual matrix. While the domestic industry had suffered significant injury during that investigation which led to imposition of duties, the performance has improved drastically which does not warrant imposition of duties.

H.2 Submission of the domestic industry

50. The domestic industry has made the following submissions with regard to injury and causal link:

- i. The claim that the imports increased due to demand and supply gap is misleading. The demand supply gap in the period of investigation is [***] MT whereas the import volume from China is [***] MT.
- ii. The demand for the subject good has increased over the injury period.
- iii. The volume of subject imports has increased by 18% over the injury period.
- iv. A significant volume of subject goods is imported under advance license scheme for export purposes.
- v. Imports have had a depressing effect on the domestic market even in case of individual product type.
- vi. The production volume has declined in the period of investigation.
- vii. Capacity utilization has also declined in the period of investigation.
- viii. The market share of imports continues to be significant despite the duties being in force.
- ix. The ROI followed the same trend as that of profits and declined by ***%.
- x. The domestic industry was earning cash profits until 2024-2025, however, it has suffered cash losses in the period of investigation.
- xi. The level of inventories with the domestic industry has increased in spite of the increased demand.
- xii. With dumping in the period of investigation, subject imports have again negatively impacted the growth of the domestic industry in terms of profits, cash flow and ROI during the injury period.
- xiii. The imposition of anti-dumping duty has allowed the applicant to survive in the domestic market. Prior to the imposition of anti-dumping duty, the adverse effect of dumping was felt on the both the volume and price parameters of the applicant.
- xiv. Over the injury period, the economic parameters of the applicant, including capacity, production, capacity utilization, domestic sales, market share, cash profit, profit before interest and tax and return on investment, inventory and growth have all shown considerable improvement.
- xv. Authority has consistently recognized that imports under duty exemption schemes cannot be disregarded for dumping and injury analysis.
- xvi. Imports under advance authorization must be taken into account because such imports adversely affect the opportunities available to the domestic industry to increase its supplies, thereby reducing the effective demand available to the domestic industry
- xvii. Fluctuation in capital employed for domestic operations is on account of decline in export sales, and increase in domestic sales of the domestic industry, and not due to any disproportionate revaluation undertaken by the applicant.
- xviii. When seen on per unit basis, it would be seen that the net fixed assets have increased only by Rs [***] per MT. This increase is also because certain capital expenditures are incurred in the plant which may not result in any change in the capacity of the plant but will result in increase in costs.

H.3 Examination by the Authority

51. Rule 11 of Antidumping Rules read with Annexure II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, “... *taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on the domestic producers of such articles...*”. In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry, such as production, capacity utilisation, sales volume, inventory, profitability, net sales realisation, the magnitude and margin of dumping, etc., have been considered in accordance with Annexure II of the Anti-Dumping Rules.
 52. Various submissions made by the domestic industry and other interested parties on injury and causal link have been examined and analyzed considering the facts available on record and applicable laws. The injury analysis by the Authority ipso facto addresses submissions made by the domestic industry and other interested parties.
 53. With regards to the submission that Imports into India from China PR have increased with the increase in demand and have decreased with decrease in demand during the injury period. The Authority observes that while there is a demand-supply gap, however it does not justify dumping. The Authority is of the view that the exporters are free to export the product at fair prices but not at dumped price.
 54. With regards to the submission that significant volume of imports under advance authorization cannot be considered for assessment of likelihood, it is seen that the imports under duty exemption schemes cannot be disregarded for dumping and injury analysis. The Authority is of the view that imports adversely affect the opportunities available to the domestic industry to increase its supplies, thereby reducing the effective demand available to the domestic industry. Accordingly, the existence of a significant volume of imports under advance authorization is highly relevant to the likelihood analysis.
 55. With regard to exclusion of imports under advance license for dumping and injury determination, it is noted that these imports have been taken into account for the purpose of working out dumping and injury as these dumped imports adversely affect the opportunities available to domestic industry to increase their supplies to these exporters and to that extent, the demand of the subject goods declines. It is noted that it is the consistent practice of the Authority to include imports under duty exemption for the purpose of assessment of injury to the domestic industry.
-

56. With regard to submission of the interested parties on improvement in performance as compared to the original investigation, the Authority considers that improvement in performance of the industry is a consequence of anti-dumping duty in force. The requirement of an original investigation is different from the subset review investigation. The requirement in a sunset review investigation is to prove that the expiry of the duty is likely to lead to continuation of dumping and injury to the domestic industry. With respect to the injury determination, if the anti-dumping duty has had the desired effect, the condition of the domestic industry would be expected to have improved during the period the anti-dumping duty was in effect. The Authority draws reference to the decision of CESTAT in the case of Kalyani Steel Limited vs Designated Authority 2006 (203) ELT418 (Tri – Delhi) reproduced below.

“15.1 Any one or more factors may sufficiently demonstrate injury to domestic industry. Decisive injury demonstrated by adverse effect of dumped imports on price would not be brushed aside by counting some marginal improvements of economic factors and indices on the state of industry due to imposition of the anti-dumping duty.”

57. The Authority has examined the injury parameters objectively, considering the facts and arguments submitted by the domestic industry and other interested parties. The injury analysis made by the Authority hereunder addresses the various submissions made by the interested parties.

H.3.1 Volume effect of the dumped imports.

a. Assessment of demand/consumption

58. The Authority has determined demand or apparent consumption of the product in India as the sum of domestic sales of the domestic industry, and imports from all sources.

SN	Particulars	UOM	2022-23	2023-24	2024-25	POI
1	Imports from subject country	MT	3,546	3,610	4,605	4,358
2	Imports from other countries	MT	742	200	120	120
3	Sales of domestic industry	MT	***	***	***	***
	Trend	Trend	100	129	145	143
4	Total demand		***	***	***	***
	Trend	Trend	100	112	136	123

59. The data shows that the demand of the product under consideration has increased over the injury period but has slightly declined in the period of investigation. Over the injury period, the demand for the product has increased by ***%.

b. Imports in absolute and relative terms

60. With regard to the volume of dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in the dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. For the injury analysis, the Authority has relied on the DG system import data. The information is as below:

SN	Particulars	UOM	2022-23	2023-24	2024-25	POI
1	Imports from subject country	MT	3,546	3,610	4,605	4,358
2	Imports from other countries	MT	742	200	120	120
3	Subject imports in relation to					
A	Indian production	%	***	***	***	***
	Trend		100	81	88	88
B	Indian consumption	%	***	***	***	***
	Trend	Index	100	94	102	99
C	Total imports	%	***	***	***	***
	Trend	Index	100	115	118	118

61. It is noted that:

- i. The subject imports increased from 2022-23 to 2024-25 but declined in the period of investigation. The volume of subject imports has increased by 18% over the injury period.
- ii. The imports from the subject country, in relation to Indian production, remained significant throughout the injury period. Such imports accounted for ***% of Indian production in the base year and ***% during the period of investigation.
- iii. The imports from the subject country, in relation to Indian consumption, were ***% in the base year and ***% during the period of investigation. While the ratio witnessed marginal fluctuations during the intervening years, it remained at a significant level throughout the injury period.
- iv. Imports from other countries declined from 742 MT in the base year to 120 MT during the period of investigation, indicating that imports from non-subject countries remained negligible throughout the injury period.
- v. The imports have remained consistent, in absolute and relative terms, despite the duties being in force and sufficient capacity with the domestic industry.

H.3.2 Price effect of the dumped imports

62. In terms of Annexure II (ii) of the Rules, with regard to the effect of the dumped imports on prices, the Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant

degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.

a. Price undercutting

63. Price undercutting has been determined for each type of subject arylides by comparing the net sales realization of the domestic industry with the landed price of the imports for the period of investigation. The table below shows the price undercutting from the subject country.

SN	Product	Import volume	Net sales realization	Landed value of imports	Price undercutting		Range
		MT	Rs/MT	Rs/MT	Rs/MT	%	
1	AAA	1,819	***	***	***	***	10-20
2	AAMX	862	***	***	***	***	20-30
3	AAOA	688	***	***	***	***	10-20
4	AAOCA	176	***	***	***	***	20-30
5	AAOT	814	***	***	***	***	20-30
6	Total	4,358		***	***	***	20-30

64. It is seen that the landed value of imports is below the domestic industry's net sales realization for all grades indicating that imported goods undercut the domestic industry prices. The margin of price undercutting is considered significant.

b. Price suppression and depression

65. In order to determine whether the dumped imports are depressing the domestic prices and whether the effect of such imports is to suppress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred in the normal course, the changes in the costs and prices over the injury period were compared as follows:

SN	Particulars	Unit	2022-23	2023-24	2024-25	POI
1	Cost of sales	Rs / MT	***	***	***	***
	Trend	Index	100	91	87	85
2	Selling price	Rs / MT	***	***	***	***
	Trend	Index	100	84	82	77
3	Landed Value	Rs/MT	229,543	195,543	186,172	180638
	Trend	Index	100	85	81	79

66. The data indicates **both price suppression and price depression** during the period under consideration. Selling price declined from Rs. ***/MT in 2022-23 to Rs. ***/MT during the POI, representing a decline of about ***% (index 100 to 77). During the same period, cost of sales declined by about ***% (index 100 to 85), while landed value declined by about ***% (index 100 to 79). Accordingly, the selling price has declined at a faster rate

than the cost of sales, indicating **price suppression**, while the significant decline in the selling price over the period indicates **price depression**.

H.3.3 Economic parameters of the domestic industry

67. Annexure II to the Rules provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. The various injury parameters relating to the domestic industry are discussed below. The Authority has examined the injury parameters objectively, taking into account various facts and arguments made by the interested parties in their submissions.

a. Production, capacity, capacity utilisation and domestic sales

68. The Authority has considered capacity, production, capacity utilization and domestic sales of the domestic industry over the injury period.

SN	Particulars	UOM	2022-23	2023-24	2024-25	POI
1	Capacity	MT	***	***	***	***
	Trend	Index	100	100	100	100
2	Total Production (PUC+NPUC)	MT	***	***	***	***
	Trend	Index	100	126	147	139
3	Capacity utilisation	%	***	***	***	***
	Trend	Index	100	126	147	139
4	Production of PUC	MT	***	***	***	***
	Trend	Index	100	125	148	140
5	Domestic sales	MT	***	***	***	***
	Trend	Index	100	129	145	143

69. It is seen that:

- The capacity of the domestic industry has remained unchanged throughout the injury period.
- The production and capacity utilisation of the domestic industry improved from 2022-23 till 2024-25 but has declined in the period of investigation. Over the injury period, the production and capacity utilisation of the domestic industry has improved.
- The production of the product under consideration has increased till 2024-25 but declined in the period of investigation.

- iv. Domestic sales increased from 2022-23 to 2024-25 but has marginally declined during the period of investigation.
- v. The imposition of anti-dumping duty has allowed the domestic industry to increase its production and its domestic sales.
- vi. Although the domestic industry has consistently maintained its installed capacity throughout the injury period, the decline in production, capacity utilisation and domestic sales during the period of investigation indicates that it has not been able to utilise its installed capacity to its optimum level despite the existence of sufficient demand in the domestic market.

b. Market share of all suppliers.

70. The Authority has examined the effect of the dumped imports on the market share of the domestic industry, subject country and other countries as under.

SN	Particulars	Unit	2022-23	2023-24	2024-25	POI
1	Subject country	%	***	***	***	***
	Trend	Index	100	96	108	96
2	Other countries	%	***	***	***	***
	Trend	Index	100	27	11	15
3	Domestic industry	%	***	***	***	***
	Trend	Index	100	115	106	117

71. It is seen that:

- i. The market share of the domestic industry increased in 2023-24, declined in 2024-25 but has increased again in period of investigation.
- ii. The market share of the imports from subject country declined in 2023-24, increased in 2024-25 but has declined again in the period of investigation.
- iii. The market share of the subject imports is significant despite the duties being in force.

c. Profitability, cash profit and return on capital employed.

72. The performance of the domestic industry has been examined in respect of profitability, profits, cash profits, PBIT, and return on investment.

SN	Particulars	Unit	2022-23	2023-24	2024-25	POI
1	Profit/ Loss	Rs/MT	***	***	***	***
	Trend	Index	100	-45	-11	-77
2	Profit/ Loss	Rs lakhs	***	***	***	***
	Trend	Index	100	-58	-16	-110
3	PBIT	Rs lakhs	***	***	***	***

	Trend	Index	100	-19	-2	-78
4	Cash profit	Rs lakhs	***	***	***	***
	Trend	Index	100	5	48	-33
5	ROI	%	***	***	***	***
	Trend	Index	100	-18	-2	-79

73. It is seen that:

- The domestic industry was making profits in 2022-23 but due to the decline in the prices of subject imports, the profits of the domestic industry significantly declined and turned into losses thereafter. The profit turned negative in 2023-24, with losses declining in 2024-25 but increasing thereafter in the period of investigation.
- A similar trend has been seen in the profit before interest. Both cash profits and PBIT have declined and have turned into cash losses and negative return on investment in the period of investigation.
- Return on investment was positive in 2022-23, turned negative in 2023-24, improved marginally in 2024-25 and further declined in the period of investigation.

d. Inventories

74. The inventory position with the domestic industry over the injury period is given in the table below:

SN	Particulars	Unit	2022-23	2023-24	2024-25	POI
1	Opening Inventory	MT	***	***	***	***
	Trend	Index	100	115	98	151
2	Closing Inventory	MT	***	***	***	***
	Trend	Index	100	85	106	118
3	Average inventory	MT	***	***	***	***
	Trend	Index	100	99	102	133

75. It is noted that the average inventory has increased significantly in the period of investigation. The level of inventories have increased with the domestic industry despite there being an increase in demand in the period of investigation.

e. Employment, wages and productivity

76. Employment, wages and productivity of the domestic industry over the injury period is given in the table below:

SN	Particulars	Unit	2022-23	2023-24	2024-25	POI
1	No. of employees	Nos.	***	***	***	***
	Trend	Index	100	102	98	97
2	Salary and wages	Rs Lacs	***	***	***	***
	Trend	Index	100	133	112	113
3	Productivity per day	MT/day	***	***	***	***
	Trend	Index	100	125	148	140
4	Productivity per employee	MT/empl oyee	***	***	***	***
	Trend	Index	100	123	151	145

77. It is observed that the number of employees has increased in 2023-24 and declined thereafter in 2024-25, and further declined marginally in the period of investigation. The salary and wages paid also increased in 2023-24 and declined thereafter.

78. The productivity per day and productivity per employee increased till 2024-25 but declined in the period of investigation.

f. Growth

79. The growth of the domestic industry in terms of capacity, production, domestic sales volume, PBT, PBIT, cash profits and the return on capital employed is as per the table given below:

SN	Particulars	Unit	2023-24	2024-25	POI
1	Production (PUC)	Y/Y	25%	18%	-5%
2	Domestic sales	Y/Y	29%	12%	-1%
3	Profit before tax - Profit before tax - Rs lakhs	Y/Y	-158%	73%	-599%
5	Profit before interest - Rs lakhs	Y/Y	-119%	88%	-3211%
6	Cash profits - Rs lakhs	Y/Y	-95%	921%	-169%
7	ROCE	Y/Y	-118%	89%	-3903%

80. It is observed that the domestic industry recorded positive growth in volume parameters the year 2023-24, but price parameters declined. The volume and price parameters

showed positive growth in 2024-25. It is however seen that both volume and price parameters recorded a negative growth in period of investigation.

g. Ability to raise capital investment

81. It is noted that there is a demand and supply gap in the country. It is also noted that the profitability and return on capital employed of the domestic industry has declined and the domestic industry was operating with losses during the period of investigation. Therefore, the ability to raise capital investment has been severely impacted, preventing the domestic industry from expanding its capacity.

h. Factor affecting the domestic prices.

82. The examination of DG System imports data shows that the landed price of imports from the subject country is below the selling price and cost of sales of the domestic industry. As a result, the domestic industry was compelled to reduce its selling price, which fell below the cost of sales. This had a significant adverse impact on the profitability of the domestic industry. The fact that the domestic industry has incurred losses and recorded a negative return on investment during the period of investigation clearly demonstrates the adverse effects of continued dumped imports.

i. Magnitude of dumping

83. It is seen that there is continued dumping of the subject goods in India from the subject country.

I. LIKELIHOOD OF CONTINUATION OR RECURRENCE OF INJURY

I.1 Submission of the other interested parties

84. The other interested parties have made the following submissions with regards to likelihood of injury:
- i. No likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury.
 - ii. Exports to India have a minor share, major sales are to domestic market.
 - iii. Inconsistent with the suggestion that Nantong has spare capacity or redirected exports to India.
 - iv. The likelihood analysis advanced by the domestic industry is based largely on assumptions regarding Chinese capacities, inventories and future export behavior.
 - v. Mere existence of capacity or exports in third-country markets cannot establish likelihood of injury.
 - vi. The Authority is required to examine whether there is positive evidence showing that expiry of duties would likely result in increased dumped imports causing material injury to the domestic industry. No such evidence has been placed on record.

I.2 Submission of the domestic industry

85. The domestic industry has made the following submissions with regard to likelihood of injury:

- i. Dumping has continued post the imposition of anti-dumping duty, itself establishes the likelihood of dumping in event of expiry of measures.
- ii. Qingdao Haiwan Specialty Chemicals Co. Ltd.'s exports to third countries have decreased in the period of investigation. However, the exports to India have substantially increased.
- iii. Qingdao Haiwan Specialty Chemicals Co. Ltd.'s price has declined for the domestic market as well, the export price to India has declined at a higher rate as compared to the domestic selling price.
- iv. Imports of the product under consideration from the subject country have continued to enter India in significant volumes. Even after the imposition of anti-dumping duties in 2021, the volume of imports has remained significant and constitutes 40% of the demand.
- v. Subject imports registered an overall increase from the base year to the period of investigation. The fact that imports increased when duties were in place, establishes the likelihood of further increase in event of expiry of measures.
- vi. In the original investigation, the Authority found positive price undercutting in the range of 0-20% across all PCNs. The price undercutting has increased significantly and now ranges from 10-30% across PCNs.
- vii. This price depression is likely to continue or intensify if anti-dumping measures lapses, which will in turn aggravate material injury to the domestic industry.
- viii. The Indian market is highly price sensitive, with consumers making procurement decisions primarily on the basis of price. Imports enter at prices lower than the cost of sales of the domestic industry and if duties are not continued, the domestic industry will have to either reduce its selling price and suffer even higher losses or lose sales volumes and consequently market share.
- ix. Capacities in China are higher than the demand in those countries. Against current capacity of 267.8 KT, the demand in China is only around 136.6 KT. The fact that the capacities are such high, establishes that with the cessation of duties, the producers will flood the Indian market.

I.3 Examination by the Authority

86. The Authority has examined the likelihood of continuation or recurrence of injury considering the requirement laid down under Section 9A (5), Rule 23 and parameters relating to the threat of material injury in terms of Annexure - II (vii) of the anti-dumping rules. and other relevant factors brought on record by the interested parties.

87. The present investigation is a sunset review of duties imposed on the imports of the product under consideration from China PR. Under the Rules, the Authority is required to determine whether cessation of existing duty is likely to lead to continuance or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

88. There are no specific methodologies available to conduct such a likelihood analysis. However, Clause (vii) of Annexure II of the Rules provides, *inter alia*, for factors which could be taken into consideration, viz.
- A significant rate of increase of dumped imports into India indicating the likelihood of substantially increased importation.
 - Sufficient freely disposable, or an imminent, substantial increase in, capacity of the exporter indicating the likelihood of substantially increased dumped exports to Indian markets, taking into account the availability of other export markets to absorb any additional exports.
 - Whether imports are entering at prices that will have a significant depressing or suppressing effect on domestic prices and would likely increase demand for further imports; and
 - Inventories of the article are being investigated.
89. The Authority has, *inter alia*, considered the above requirements and in order to determine whether dumping is likely in the event of cessation of anti-dumping duty, and if so, whether the same is likely to cause injury to the domestic industry in case of cessation of anti-dumping duty.

a. Continued dumping.

90. The table below shows the dumping margin determined by the Authority in the original investigation and the present investigation in case of imports from China.

SN	Particulars	UOM	Original investigation	Present investigation
1	Nantong Acetic Acid Chemicals Co Ltd	%	20-30%	10-20%
2	Qingdao Haiwan Specialty Chemicals Co Ltd	%	30-40%	50-60%
3	All others	%	40-50%	80-90%

91. The table shows that the dumping from China has continued. The continuation of dumping in the current period shows the likelihood of dumping in event of expiry of measures.

b. Rate of increase of dumped imports into India.

92. The information on the DGCI&S transaction wise import data is given below.

SN	Particulars	UoM	2022-23	2023-24	2024-25	POI
1	Imports from China PR	MT	3,546	3,610	4,605	4,358
2	Imports in relative terms					
a	Production	%	***	***	***	***
	Trend	Index	100	81	88	88

b	Consumption	%	***	***	***	***
	Trend	Index	100	94	102	99

93. It is seen from the above table that the import volume in relation to production and consumption first declined, then increased and then has further declined. It is, however, seen that the imports continue to remain significant.

c. Freely disposable capacity available with the producers in the subject country.

94. The information on freely disposable capacity has been calculated based on the response filed by the participating producers and is shown below.

SN	Particulars	Capacity (PUC)	Production (PUC)	Idle capacity	Range
1	Nantong Acetic Acid Chemicals Co Ltd	***	***	***	
2	Qingdao Haiwan Specialty Chemicals Co Ltd	***	***	***	
3	Total	***	***	***	
4	Demand in India			***	
5	Idle capacity as % of demand in India			***	130-140

Source: Appendix 1 of the EQR filed by the two participating producers from China PR.

95. The data furnished by the participating producers from China PR indicates a combined capacity of *** MT against production of *** MT, resulting in **idle capacity of *** MT** during the POI. The idle capacity of the participating producers is thus equivalent to approximately ***% of the **Indian demand of *** MT**. This substantial unutilised capacity indicates significant potential with the responding producers to increase exports to India and is therefore a relevant factor in assessing the likelihood of increased imports and consequent injury to the domestic industry.

d. Export orientation of the producers in the subject country.

96. The information on production and total exports is given below. The information has been calculated from the response filed by the participating producers.

SN	Particulars	Production PUC (MT)	Total exports PUC (MT)	Export orientation %	Range (%)
1	Nantong Acetic Acid Chemicals Co Ltd	***	***	***	30-40
2	Qingdao Haiwan Specialty Chemicals Co Ltd	***	***	***	10-20
3	Total	***	***	***	20-30

Source: Appendix 1 of the EQR filed by the two participating producers from China PR.

97. The participating producers from China PR exported *** MT, accounting for approximately ***% of their total production of *** MT, indicating that their production is predominantly oriented towards the domestic market. However, given their **significant unutilised capacity**, the existing export orientation cannot be viewed in isolation. In the event of cessation of the existing anti-dumping duty, the producers may have the ability to redirect a part of their available capacity towards the Indian market, thereby increasing the potential for exports to India and exerting pressure on the domestic industry. This factor, read with the substantial idle capacity already reported, is therefore relevant to the assessment of the likelihood of increased imports from China PR..

e. Third country injurious exports.

98. The table below shows the exports made to third countries by the responding producers from the subject countries and the volume of exports at injurious prices (exports below the non-injurious price).

SN	Subject countries	Total Exports (MT)	Exports below fair selling price (NIP) (MT)	Share of injurious exports (%)	Range
1	Nantong Acetic Acid Chemicals Co Ltd	***	***	***	90-100
2	Qingdao Haiwan Specialty Chemicals Co Ltd	***	***	***	80-90
3	Total	***	***	***	90-100

99. It is seen from the above table that
- In the case of Nantong Acetic Acid Chemicals Co Ltd, ***% of exports are below the non-injurious prices.
 - In the case of Qingdao Haiwan Specialty Chemicals Co Ltd, ***% of exports are below the non-injurious prices.

f. Conclusions on likelihood of continuation/recurrence of injury

100. Based on the above analysis, the Authority concludes as follows
- The imports originating from or exported from the subject country have continued to enter the domestic market at dumped prices

- b. The imports originating from the subject country continue to maintain a significant market share within the Indian domestic market, and that in the event of the expiry or revocation of the anti-dumping measures currently in force, such imports are likely to exert a depressing influence on the prevailing price levels in the domestic market.
- c. The information and data placed on record by the two participating exporters from the subject country shows that, the participating producers exported significant portion of their production during the period of investigation, and India was the principal destination of such exports, accounting for about ***% of their total exports.
- d. The information placed on record by the two participating producers further establishes that the said producers are operating with significant idle or underutilized production capacities, and that there exists a reasonable likelihood of an increase in export volumes in the event of the expiry of the anti-dumping measures currently in force.
- e. On a cumulative basis of the two participating producers, ***% of the exports to third countries are priced below the non-injurious price.
- f. The landed value of the subject imports during the period of investigation is below the cost of sales of the domestic industry. In light of the foregoing, the Authority is of the considered view that in the event of the expiry of the anti-dumping duty, the continuation or recurrence of dumped imports is likely to have a materially adverse effect on the performance, profitability, and overall economic condition of the domestic industry.

101. The Authority concludes that the investigation has shown that there exists sufficient evidence of likelihood of injury to the domestic industry in event of cessation of antidumping duty.

J. CAUSAL LINK AND NON-ATTRIBUTION ANALYSIS

102. As per the Rules, the Authority is required to, inter alia, examine any known factors other than dumped imports which are injuring or are likely to cause injury to the domestic industry, so that the injury caused by these other factors may not be attributed to the dumped imports. While the present investigation is a sunset review investigation and a causal link has already been examined in the original investigation, the Authority examined whether other known listed factors have caused or are likely to cause injury to the domestic industry. It was examined whether other factors listed under the Rules could have contributed or are likely to contribute to the injury suffered by the domestic industry.

a. Volume and price of imports from third countries.

103. Imports from other countries have not caused injury as they have been at higher prices and at de minimus levels.

b. Contraction in demand.

104. The demand for the subject goods has increased over the period and is expected to continue the trend of growth. Therefore, no injury to the domestic industry is likely due to possible contraction in demand.

c. Trade restrictive practices.

105. There is no trade restrictive practice that has caused or is likely to cause injury to the domestic industry.

d. Development in technology.

106. Information on record shows that technology for the production of the product has not undergone any change. Therefore, technology cannot be a cause of injury to the domestic industry.

e. Export performance.

107. The domestic industry is largely into the domestic market. In any case, export performance has been segregated.

f. Performance of other products of the company.

108. The Authority has considered data relating to the performance of the subject goods only. Therefore, the performance of the other products produced and sold by the domestic industry is not a possible cause of injury to the domestic industry.

K. MAGNITUDE OF INJURY MARGIN

109. The Authority has determined the NIP for the domestic industry on the basis of principles laid down in AD Rules read with Annexure III, as amended. The NIP of the product under consideration has been determined by adopting the information/data relating to the cost of production provided by the domestic industry. The NIP has been considered for comparing the landed price from the subject countries for calculating the injury margin. For determining the NIP, the best utilisation of the raw materials and utilities has been considered over the injury period. Best utilisation of production capacity over the injury period has been considered. Extraordinary or non-recurring expenses have been excluded from the cost of production. A reasonable return (pre-tax @ 22%) on average capital employed (i.e., average net fixed assets plus average working capital) for the product under consideration was allowed as pre-tax profit to arrive at the NIP as prescribed in Annexure III to the AD Rules.

110. The landed price and non-injurious price determined above have been compared for the product under consideration. The weighted average of the injury margin determined for the producers/exporters is provided in the table below:

SN	Particulars	NIP (\$/MT)	Landed Price (\$/MT)	Injury Margin		
				(\$/MT)	%	Range
1	Nantong Acetic Acid Chemical Co Ltd	***	***	***	***	0 - 10
2	Qingdao Haiwan Speciality Chemical Co Ltd	***	***	***	***	30-40
3	All other producers/ exporters	***	***	***	***	80-90

L. INDIAN INDUSTRY INTEREST AND OTHER ISSUES

L.1 Submission of the other interested parties

111. The other interested parties have made the following submissions about the Indian industry's interest:

- i. Continuation of anti-dumping duties will not be in public interest.
- ii. The subject imports are already subject to anti-dumping duties and basic custom duty of 7.5%.
- iii. Continuation or enhancement of duties would increase input costs for downstream industries and consumers.

L.2 Submission of the domestic industry

112. The domestic industry has made the following submissions with regard to the Indian industry's interest:

- i. The applicant is currently executing an investment in a new plant at Dahej.
- ii. The continuation of the duty on the product under consideration would be in the interests of the domestic manufacturers and consumers.
- iii. The subject goods do not have any direct end-use application and must undergo further processing to be utilized.
- iv. The impact of duties on downstream industries and end-consumers is negligible.
- v. In the present investigation no user has participated. This establishes the absence of any adverse effect of anti-dumping measures.

L.3 Examination by the Authority

113. The Authority considered whether the recommendation for continuation of imposition of anti-dumping duty will be against public interest. This determination is based on

consideration of information on records and interests of various parties including the domestic industry, foreign producers and consumers.

114. The Authority issued gazette notification inviting views from all the interested parties, including importers, consumers and other interested parties. The Authority also prescribed a questionnaire for the users to provide the relevant information with regard to the present review investigation, including possible effect of the anti-dumping duty on their operation. The Authority sought information on, inter-alia, interchangeability of the product supplied by the various suppliers from different countries, ability to switch sources, the effect of the anti-dumping duty on the consumers, the factors that are likely to accelerate or delay the adjustment to the new situation caused by the continuation of the anti-dumping duty.
115. It is noted that the purpose of anti-dumping measures, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. The Authority recognizes that the imposition of the anti-dumping duties might affect the price levels of the product under consideration as well as other downstream products manufactured by using the subject goods in India. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the imposition of anti-dumping measures. On the contrary, the imposition of anti-dumping measures would prevent the decline in the performance parameters of the domestic industry caused as a consequence of low-priced imports from the subject country and help maintain the wider availability of choices to the consumers of the product under consideration.
116. None of the users have filed the prescribed economic interest questionnaire responses. In the absence of any quantified evidence demonstrating the adverse impact of anti-dumping duties, the Authority is unable to conclude that the imposition of anti-dumping duty would cause disproportionate harm to the downstream industry. Accordingly, the Authority has relied on the information available on record, including the data provided by the domestic industry, for the purpose of assessing the impact.

117. The domestic industry has quantified the impact of anti-dumping duty as below:

SN	Particulars	Unit	Coatings	Plastics	Ink
1	Lowest duty on arylides	%	24.79	24.79	24.79
2	Share of cost on account of arylides in total cost of pigment	%	10	10	10
3	Increase in pigment cost	%	2.48	2.48	2.48
4	Pigment price	Rs/Kg	550	550	550
5	Increase in pigment cost	Rs/Kg	13.63	13.63	13.63
6	Estimated price of downstream product	Rs/Kg	220	300	250

7	Share of cost on account of pigment in total cost of downstream product	%	7	18	13
8	Cost of pigment in downstream product	Rs/Kg	15.4	54	32.5
9	Increase in cost of pigment consumed in downstream product	Rs/Kg	0.38	1.34	0.81
10	Impact on downstream industry of pigments	%	0.17	0.45	0.32

118. The impact of anti-dumping duty is found to be negligible. The Authority further notes that the imposition of anti-dumping duty will not lead to scarcity of the subject goods in India. It is noted that anti-dumping duty does not restrict imports but ensures that imports are available at fair prices. The imposition of duty would, therefore, not affect the availability of the product. In any case, the capacity of the Indian industry is more than sufficient to cater the entire Indian demand, thereby ensuring that there remains sufficient supply in the country.

M. POST-DISCLOSURE COMMENTS

119. The disclosure statement containing the essential facts under consideration of the Authority was issued to all interested parties on 1st October 2026. Comments on the disclosure statement have been received from the domestic industry, Nantong Acetic Acid Chemical Co. Ltd. (hereinafter referred to as "Nantong") and Qingdao Haiwan Specialty Chemicals Co., Ltd. (hereinafter referred to as "Qingdao Haiwan"). The comments are summarised and examined below.

M.1 Submissions of the other interested parties

120. Qingdao Haiwan has made the following submissions on the disclosure statement:
- The disclosure statement records substantial improvement in the economic parameters of the domestic industry over the injury period. Production increased by **%, production of the product under consideration by **%, domestic sales by **%, capacity utilisation by **% and productivity per employee by **%, along with an increase in market share. Such improvement does not mean that duties must automatically continue. Further, the deterioration in profitability, cash profits and return on investment in the period of investigation cannot automatically be attributed to imports without examining other relevant factors.
 - The allegation of the domestic industry recorded at para 85(ii) and (iii) of the disclosure statement, that the exports of Qingdao Haiwan to India increased while its exports to third countries declined, and that its export price to India declined at a higher rate than its domestic selling price, does not by itself establish selective dumping or targeting of the Indian market. Differences in volumes and prices across markets may arise on account of demand, product mix, customer requirements, contractual arrangements and market conditions. No adverse inference should be drawn on the basis of such comparison.

-
- iii. The import trends do not establish a likelihood of substantially increased imports. Imports from China PR fluctuated during the injury period and declined in the period of investigation as compared to 2024-25, and imports in relation to production and consumption did not show a consistent upward trend. The domestic industry increased its sales by ***% as against an increase of ***% in demand. Mere continuation of imports during the period of duty cannot establish likelihood.
 - iv. The existence of idle capacity cannot by itself establish likelihood of increased exports to India. The assessment must consider producer-specific factors such as domestic demand, existing export commitments and alternative markets. The combined idle capacity of two producers cannot be treated as evidence of the likely export behaviour of Qingdao Haiwan.
 - v. The disclosure statement itself shows that exports constituted only 15-25% of the production of the participating producers, who are predominantly oriented towards the domestic market. The conclusion that the producers are substantially export oriented requires reconsideration.
 - vi. Third-country export prices being below the non-injurious price of the Indian industry do not establish that such exports are dumped or that the goods would be exported to India at injurious prices. The comparison must account for differences in product type, market conditions, level of trade, freight and other adjustments, and must be undertaken on a producer-specific basis.
 - vii. Uniform application of a 22% return on capital employed inflates the non-injurious price and consequently the injury margin. The return allowed should be reconsidered and the non-injurious price and injury margin for Qingdao Haiwan should be recalculated.
 - viii. Non-participation of users cannot establish that continuation of duties would have no adverse impact on downstream industries. The assumptions of the domestic industry regarding the share of arylides in the cost of pigments should be examined. The domestic industry is the sole producer in India, and reasonable sourcing options for users should be preserved.
 - ix. Without prejudice, even if continuation of duty is considered appropriate, there is no justification for enhancing the existing duty. The Authority should consider the producer-specific dumping margin, injury margin and the existing level of duty, and the existing duty applicable to Qingdao Haiwan should be maintained without enhancement.
121. Nantong has made the following submissions on the disclosure statement:
- i. The disclosure statement records that Nantong filed the exporter's questionnaire response and that its export price was determined on the basis of its verified data after allowing the claimed adjustments. The Authority is requested to confirm its status as a cooperating producer/exporter in the final findings. In case of any change, a revised disclosure statement should be issued and an opportunity to comment should be provided.
 - ii. The net export price of USD ***/MT and landed value of USD ***/MT, as separately disclosed to Nantong vide email dated 4th October 2026, and the
-

- dumping margin of 10-20% and injury margin of 0-10% determined for Nantong, should be confirmed in the final findings. Any revision would require a revised disclosure.
- iii. Section 9A(5) of the Act and Rule 23 of the Rules, read with Rule 17 which applies to reviews by virtue of Rule 23(3), and para 17.29 of the Manual of Operating Practice of the Authority, require that the quantum of duty in a sunset review be re-determined on the basis of the fresh margins. Mechanical continuation of the original duty would render the review futile. Reliance has been placed on the decisions of the Hon'ble CESTAT in *Indian Graphite Mfrs. Association v. Designated Authority*, (2006) 199 ELT 722, *Shanghai Fortune Chemical Company Ltd. v. Designated Authority*, 2016 (342) ELT 578 and *Robin Resources v. Designated Authority*, 2016 (342) ELT 118, and on the practice of the Authority in several sunset reviews including Atrazine Technical, CPVC, Zeolite 4A, PTFE, Amoxycillin, Aluminium Foil and Methylene Chloride, in which the duty was modified.
 - iv. Since the injury margin determined for Nantong (0-10%) is lower than its dumping margin (10-20%), any duty recommended for Nantong should be confined to the injury margin. Continuation of the original duty rate of 26.64% applicable to Nantong would result in over-protection to the domestic industry.
 - v. The facts on record support recalibration of duty. There is a single domestic producer, demand has increased without any increase in capacity, and there is a demand-supply gap. The volume parameters of the domestic industry have improved. The landed value of imports in the present period of investigation (Rs. ***/MT) is higher than that in the original investigation (Rs. ***/MT), and the cost of sales of the domestic industry has declined by about ***% over the present injury period as against an increase of ***% during the injury period of the original investigation.

M.2 Submissions of the domestic industry

122. The domestic industry has made the following submissions on the disclosure statement:
- i. The Authority has rightly determined the scope of the product under consideration, the like article, and that the applicant constitutes the domestic industry under Rule 2(b) of the Rules.
 - ii. There is a notable difference between the dumping margins and injury margins determined for Nantong and Qingdao Haiwan, although both producers have exported directly to unrelated customers in India. As per the market intelligence available with the domestic industry, the grade-wise landed prices and export prices of the two producers are in a similar range. The Authority is requested to re-examine the data of the producers and verify the same with the DG Systems data.
 - iii. The anti-dumping duty has allowed the domestic industry to survive in the market. The purpose of a sunset review is to examine whether the situation would remain the same upon expiry of the duty. Being the sole producer, the domestic industry is compelled to match the prevailing prices, which are the prices of Chinese imports. This has been admitted by Qingdao Haiwan in its response, wherein it has stated

- that "the Petitioner has adjusted its selling prices based on the import prices of PUC from China".
- iv. The factors examined in the disclosure statement, namely continued dumping, increase in demand by 23%, increase in subject imports by 18%, positive price undercutting, price depression, losses, cash losses, negative return on investment and increase in inventories, establish continued injury. The domestic industry continues to suffer losses despite the duties in force, and the losses would be significantly higher in the event of expiry of duties.
 - v. The likelihood of dumping and injury is established by continued dumping, imports catering to about 40% of the demand, idle capacity of the two participating producers equivalent to 130-140% of Indian demand, and exports of 15-25% of their production despite such idle capacity. The response of Qingdao Haiwan shows that its exports to India increased (index 100 to 284) while its exports to third countries declined (index 100 to 87), and that its export price to India declined at a faster rate than its domestic selling price, establishing selective dumping in the Indian market.
 - vi. Continuation of duty is in public interest. The domestic industry is executing an investment of about Rs. *** crores in a new plant at Dahej with capacities dedicated to arylides, for which the environmental clearance has been placed on record. Valiant Advanced Sciences Private Limited is also in the process of potentially commencing manufacture of the subject goods, as evidenced by its Environmental Impact Assessment report. No user has participated in the investigation. The impact of the duty on downstream products is only 0.17% to 0.45%, and a significant share of imports is made under advance authorisation without payment of duty. Users such as Pidilite Industries Limited and Sudarshan Chemical Industries Limited have reported growth in their pigment business in 2024-25. A vibrant domestic industry is in the interest of consumers in terms of inventory management, lead time, foreign exchange risk and supply-chain resilience.
 - vii. Anti-dumping duty for a period of five years is necessary to enable the domestic industry to recover its profitability, improve its return on investment and implement its expansion plans.

M.3 Examination by the Authority

123. The Authority has examined the post-disclosure comments of the interested parties. Comments which are reiterations of earlier submissions and which have already been examined in the relevant sections of these findings are not being repeated for the sake of brevity. The issues raised for the first time in the post-disclosure comments, and considered relevant by the Authority, are examined hereunder.
124. As regards the request of Nantong and Qingdao Haiwan, the Authority confirms that both producers have been treated as cooperating producers/exporters, and that their individual export price, landed value, dumping margin and injury margin have been determined on the basis of their verified data. There is no change in the essential facts disclosed in respect

- of these producers except for one correction in the calculation of landed price and injury margin for Qingdao Haiwan, which has since been corrected.
125. As regards the request of the domestic industry to re-examine the difference in the margins determined for Nantong and Qingdao Haiwan, the Authority notes that the export price of each producer has been determined on a PCN-wise basis from its transaction-wise export sales to India as reported in its questionnaire response and verified by the Authority. The comparison furnished by the domestic industry is based on its own market intelligence estimates and not on the actual transaction data on record. The difference in the weighted average margins reflects the actual prices realised by each producer on its exports to India and its PCN mix. The Authority therefore does not find any reason to modify the margins determined. It may also be added that the export sales of both producers were reconciled with the DG Systems data.
126. As regards the contention of Qingdao Haiwan regarding improvement in the performance of the domestic industry, the Authority notes that the improvement in volume parameters has taken place while the anti-dumping duty was in force and reflects the intended effect of the duty. Notwithstanding the duty, the price parameters of the domestic industry have deteriorated. The selling price declined by about ***% over the injury period as against a decline of about ***% in the cost of sales. The domestic industry moved from profits in 2022-23 to losses in each subsequent year, and suffered cash losses and a negative return on investment in the period of investigation. The landed value of the subject imports, without considering the anti-dumping duty, is below both the cost of sales and the selling price of the domestic industry, and undercuts the domestic prices by ***% to ***% across all product types. Qingdao Haiwan has itself stated in its response that the domestic industry has adjusted its selling prices based on the import prices of the product from China, which confirms that the subject imports set the price in the Indian market. The non-attribution analysis in Section J above shows that no other factor has caused injury to the domestic industry. In a sunset review, the Authority is required to determine whether expiry of the duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury, and improvement in certain parameters during the currency of the duty does not by itself negate such likelihood. The contention is therefore not accepted.
127. As regards the import trends, the Authority has not proceeded on the basis that the subject imports are increasing at an accelerating rate. The subject imports increased by 18% over the injury period notwithstanding the duties in force, and the decline in the period of investigation as compared to 2024-25 is only about 5%. The subject imports continued to account for about ***% of the Indian consumption. The higher growth in the sales of the domestic industry has been achieved in the presence of the anti-dumping duty. The likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury has been examined on a cumulative consideration of all relevant factors, and not on the volume of imports alone.
128. As regards the contention that idle capacity should be examined on a producer-specific basis, the Authority notes that even on a producer-specific basis, the idle capacity of Qingdao Haiwan alone (*** MT) is about ***% of the Indian demand, and that of

- Nantong (*** MT) is about ***% of the Indian demand. These are only two of the producers of the subject goods in China PR. The domestic industry has further submitted that the capacity for the subject goods in China PR is about 267.8 KT as against domestic demand of about 136.6 KT, which has not been rebutted by any interested party with evidence. The availability of such freely disposable capacity, read with the price behaviour of the subject imports and the importance of the Indian market for these producers, is relevant to the likelihood analysis in terms of Annexure II (vii) of the Rules.
129. As regards export orientation, it is noted that out of the total exports of *** MT of the two participating producers, *** MT, i.e., about ***, were exported to India. India accounted for about ***% of the exports of Nantong and about ***% of the exports of Qingdao Haiwan. India is, therefore, the principal export market of these producers. Read with the significant idle capacity available with them, this establishes the ability and the incentive of these producers to increase exports to India in the event of cessation of the duty.
130. As regards the comparison of third-country export prices with the non-injurious price, the Authority notes that the analysis has been carried out on a producer-specific basis, as shown in the table in Section I above, on the basis of the export prices reported by the producers themselves in their questionnaire responses. The analysis is not a determination of dumping in third-country markets, but an indicator of the price levels at which the producers are willing to sell the subject goods. Even on a producer-specific basis, ***% of the third-country exports of Nantong and ***% of the third-country exports of Qingdao Haiwan were priced below the non-injurious price.
131. As regards the return of 22% on capital employed, the Authority notes that the non-injurious price has been determined in accordance with Annexure III to the Rules, which prescribes a reasonable return (pre-tax) of 22% on average capital employed for the product under consideration. The non-injurious price has been determined on the basis of the verified data of the domestic industry, considering the best utilisation of raw materials, utilities and production capacity over the injury period and excluding extraordinary and non-recurring expenses. The contention is therefore not accepted.
132. As regards public interest, the Authority notes that none of the users or importers participated in the present investigation or filed the economic interest questionnaire response, despite opportunity. No quantified evidence of adverse impact has been placed on record by any interested party. The Authority has examined the estimate furnished by the domestic industry and notes that even if the share of arylides in the cost of pigments were assumed at twice the level considered by the domestic industry, the impact on the cost of downstream products would remain below 1% (about 0.35% to 0.89%). Further, a significant volume of the subject goods is imported under the advance authorisation scheme without payment of anti-dumping duty, and the export-oriented production of pigments is therefore not affected. The Authority also notes the investment of about Rs.

*** crores being made by the domestic industry in a new facility at Dahej and the proposed manufacture of the subject goods by Valiant Advanced Sciences Private Limited, which indicate that the measures have encouraged investment in the product in India. The duties recommended are the existing producer-specific duties, which have been in force for about five years without any user placing on record evidence of adverse impact, and users continue to have access to imports at fair prices. The contention of Qingdao Haiwan is therefore not accepted.

133. As regards the quantum of duty, the Authority notes that the present investigation is a sunset review under Section 9A(5) of the Act read with Rule 23 of the Rules, the purpose of which is to determine whether the expiry of the existing duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. Rule 23(1) provides that the duty shall remain in force so long as and to the extent necessary to counteract dumping which is causing injury. It is noted that the dumping margins and injury margins in the present period of investigation have been determined in respect of imports which entered India while the anti-dumping duty was in force, and therefore reflect the pricing behaviour of the exporters under the discipline of the existing duty. The Authority has found that the subject goods continue to be exported at dumped prices, that the landed value of imports without the duty is below the cost of sales of the domestic industry, and that the domestic industry continues to suffer losses and a negative return on investment even with the duty in force. The Authority has further found significant freely disposable capacity with the producers in China PR, India being their principal export market, and third-country exports predominantly below the non-injurious price, which together indicate a likelihood of intensified dumping in the event of cessation of the duty. In these circumstances, the Authority considers that the existing duties imposed vide Notification No. 60/2021-Customs (ADD) dated 14th October 2021 continue to be necessary to counteract the likely dumping and injury. Accordingly, the request of Nantong that the duty be reduced to the level of its injury margin determined for the present period of investigation is not accepted. The Authority recommends continuation of the existing duties for all producers/exporters, which also addresses the request of Qingdao Haiwan that the existing level of duty applicable to it should not be enhanced.
134. As regards the request of the domestic industry for duties for a period of five years, the Authority considers it appropriate to recommend the duties for a period of five years in view of the findings above.

N. CONCLUSION AND RECOMMENDATION

135. After examining the submissions made by the interested parties and the issues raised therein, and considering the facts available on record, the Authority concludes that:
- The product under consideration is "Aceto Acetyl Derivatives of aromatic or heterocyclic compounds" or "Arylides", covering Acetoacetanilide (AAA), Acetoacet-meta-xylidide (AAMX), Acetoacet-o-anisidide (AAOA), Acetoacet-o-

- toluidide (AAOT) and Acetoacet-o-chloroanilide (AAOCA). All other forms of arylides are excluded. The scope remains the same as in the original investigation.
- ii. The product under consideration is classified under sub-heading 2924 29 of the Customs Tariff Act, 1975 and has been imported under tariff items 2924 29 20, 2924 29 30 and 2924 29 90. The customs classification is indicative only and is not binding on the scope of the product under consideration.
 - iii. The goods produced by the domestic industry are like article to the product under consideration imported from the subject country.
 - iv. M/s Laxmi Organic Industries Limited is the sole producer of the subject goods in India and constitutes the domestic industry within the meaning of Rule 2(b) of the Rules. The application satisfies the requirements of Rule 5 of the Rules.
 - v. Nantong and Qingdao Haiwan have participated in the investigation and filed exporter's questionnaire responses. None of the producers filed the market economy treatment questionnaire, and the normal value has been determined in accordance with para 7 of Annexure I to the Rules.
 - vi. The dumping margins determined for Nantong (10-20%), Qingdao Haiwan (50-60%) and all other producers/exporters (80-90%) are positive, above de minimis and significant. The subject goods have continued to be exported to India at dumped prices despite the anti-dumping duty in force.
 - vii. The demand for the subject goods increased by about ***% over the injury period.
 - viii. The subject imports increased by 18% in absolute terms over the injury period and continued to account for about ***% of the Indian consumption despite the duties in force.
 - ix. The landed value of the subject imports is below the net sales realisation of the domestic industry for all product types, with price undercutting of ***% to ***%. The subject imports have had a depressing and suppressing effect on the domestic prices.
 - x. While the volume parameters of the domestic industry improved with the duties in force, the domestic industry suffered losses from 2023-24 onwards, cash losses and a negative return on investment in the period of investigation, and its inventories increased.
 - xi. The non-attribution analysis shows that no other known factor has caused injury to the domestic industry.
 - xii. The injury margins determined for Nantong (0-10%), Qingdao Haiwan (30-40%) and all other producers/exporters (80-90%) are positive.
 - xiii. There is likelihood of continuation of dumping and injury in the event of cessation of the duty, in view of the continued dumping, the significant idle capacity of the participating producers (130-140% of Indian demand), India being their principal export market, the landed value of imports being below the cost of sales of the domestic industry, the third-country exports of the participating producers being priced predominantly below the non-injurious price, and the increase in the exports of Qingdao Haiwan to India while its exports to third countries declined.
 - xiv. The impact of the duties on the users and downstream industry is negligible.

136. The Authority notes that the investigation was conducted in accordance with the applicable law. All interested parties were duly notified and were granted adequate opportunity to provide information and present their views on the matters under investigation, including dumping, injury, causal link, likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury, and the impact of the measures on the Indian industry. The Authority has arrived at the conclusion that continuation of anti-dumping duty on the imports of the subject goods from the subject country is required.
137. Having regard to the likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury established above, the Authority considers it necessary to recommend continuation of the anti-dumping duty imposed vide Notification No. 60/2021-Customs (ADD) dated 14th October 2021, at the existing rates. Accordingly, the Authority recommends continued imposition of definitive anti-dumping duty at the rates indicated in Column 7 of the duty table below, on all imports of the subject goods originating in or exported from the subject country, for a period of five years from the date of the notification to be issued in this regard by the Central Government.

DUTY TABLE

SN	Tariff item	Description of goods	Country of origin	Country of export	Producer	Duty amount (as % of CIF value)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	2924 29 20 and 2924 29 90	Aceto Acetyl Derivatives of aromatic or heterocyclic compounds or "Arylides"*	China PR	Any country including China PR	Qingdao Haiwan Specialty Chemicals Co., Ltd.	24.79%
2	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Nantong Acetic Acid Chemical Co., Ltd.	26.64%
3	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Any producer other than those at SN 1 and 2	44.90%
4	-do-	-do-	Any country other than China PR	China PR	Any	44.90%

*The product under consideration covers Acetoacetanilide (AAA), Acetoacet-meta-xylylide (AAMX), Acetoacet-o-anisidide (AAOA), Acetoacet-o-toluidide (AAOT) and Acetoacet-o-chloroanilide (AAOCA). All other forms of arylides are excluded.

Note: The rates in Column 7 are the existing rates of anti-dumping duty imposed vide Notification No. 60/2021-Customs (ADD) dated 14th October 2021.

138. The anti-dumping duty shall be levied as a percentage of the CIF value of imports, i.e., the assessable value of the subject goods including insurance and freight. The duty shall be payable in Indian currency, and the rate of exchange applicable for the purpose of calculation of the duty shall be the rate specified in the notification of the Government of

India issued from time to time under Section 14 of the Customs Act, 1962, the relevant date for determination of the rate of exchange being the date of presentation of the bill of entry under Section 46 of the said Act.

139. The application of the individual duty rates specified for the companies mentioned in the above duty table shall be conditional upon presentation to the customs authorities of a valid commercial invoice, on which shall appear a declaration dated and signed by an official of the entity issuing such invoice, identified by his/her name and function, drafted as follows:

'I, the undersigned, certify that the (volume) of Aceto Acetyl Derivatives of aromatic or heterocyclic compounds (Arylides) sold for export to India covered by this invoice was manufactured by (company name and address) in China PR. I declare that the information provided in this invoice is complete and correct.'

140. If no such invoice is presented, the duty applicable to all other producers shall apply. This requirement is without prejudice to the verification procedures independently undertaken by the customs authorities under the applicable customs law and regulations.

O. FURTHER PROCEDURE

141. An appeal against the order of the Central Government arising out of these findings shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act, 1975.

AMITABH KUMAR, Designated Authority